

ORDERS
ISSUED UNDER
THE CONSTITUTION OF INDIA
Constitution Orders 191-273

C. O. No.	Short Title	Date
191	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2003	18/02/2003
192	Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003	20/02/2003
193	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2003	04/03/2003
194	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2003	18/03/2003
195	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2003	31/03/2003
196	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2003	31/03/2003
197	Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2003	31/03/2003
198	Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2003	31/03/2003
199	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2004	29/03/2003
200	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2004	29/03/2003
201	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2004	29/03/2003
202	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2004	29/03/2004
203	State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004	30/04/2004
204	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2005	01/04/2005
205	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2005	01/04/2005
206	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2005	01/04/2005
207	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2005	01/04/2005
208	State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005	30/04/2005
209	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2005	07/06/2005
210	State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005	16/12/2005
211	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2006	31/03/2006
212	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2006	31/03/2006
213	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2006	31/03/2006
214	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2006	31/03/2006
215	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2006	31/03/2006
216	Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2006	31/03/2006

C. O. No.	Short Title	Date
217	Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2006	31/03/2006
218	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2007	28/03/2007
219	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2007	28/03/2007
220	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2007	28/03/2007
221	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2007	28/03/2007
222	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2007	28/03/2007
223	Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2007	28/03/2007
224	Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2007	28/03/2007
225	Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2007	28/03/2007
226	Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2007	28/03/2007
227	Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2007	28/03/2007
228	Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2007	28/03/2007
229	Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007	11/04/2007
230	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2008	28/03/2008
231	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2008	28/03/2008
232	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2008	28/03/2008
233	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2008	28/03/2008
234	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2008	28/03/2008
235	Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2008	28/03/2008
236	Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2008	28/03/2008
237	Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2008	28/03/2008
238	Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2008	28/03/2008
239	Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2008	28/03/2008
240	Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2008	28/03/2008
241	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2009	27/03/2009
242	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2009	27/03/2009
243	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2009	27/03/2009
244	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2009	27/03/2009
245	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2009	27/03/2009
246	Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2009	27/03/2009
247	Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2009	27/03/2009
248	Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2009	27/03/2009
249	Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2009	27/03/2009
250	Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2009	27/03/2009
251	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2010	30/03/2010
252	Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2010	30/03/2010
253	Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2010	30/03/2010
254	Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2010	30/03/2010
255	Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2010	30/03/2010
256	Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2010	30/03/2010
257	Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2010	30/03/2010
258	Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2010	30/03/2010
259	Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2010	30/03/2010
260	Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2010	30/03/2010
261	State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010	29/04/2010

C. O. No.	Short Title	Date
262	Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2010	03/05/2010
263	Tribes Advisory Council (State of Uttarakhand) Order, 2010	25/06/2010
264	State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2010	26/07/2010
265	State of Karnataka (Special Responsibility of Governor for Hyderabad-Karnataka Region) Order, 2013	24/10/2013
266	State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2015	30/04/2015
267	Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2015	01/06/2015
268	Constitution (Puducherry) Scheduled Tribes Order, 2016	22/12/2016
269	Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2017	06/07/2017
270	Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 2018	19/05/2018
271	Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2019	01/03/2019
272	Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019	05/08/2019
273	Declaration under Article 370(3) of the Constitution	06/08/2019



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2003/माघ 29, 1924

No. 77]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2003/MAGHA 29, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

सा०का०नि० 112(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 191”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2003

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2003 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000-05 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए स्थानीय निकाय (पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय) अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है :—

क्र० सं०	राज्य	निम्नलिखित में राज्य का अंश	
		पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान
		(रुपये करोड़ में)	
1.	बिहार	543.75	67.07
2.	झारखण्ड	241.29	26.83
3.	मध्य प्रदेश	505.47	127.40
4.	छत्तीसगढ़	210.00	28.61
5.	उत्तर प्रदेश	1167.13	227.89
6.	उत्तरांचल	152.00	23.74

4. इन अनुदानों की रकम का पांचवां भाग प्रत्येक वर्ष राज्यों को स्थानीय निकायों के अनुदानों के उपयोग के लिए वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विहित अनुबंधों के अनुसार लेखागत आधार पर निर्मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकम वित्तीय वर्ष के अन्त में राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके नियमित की जाएंगी।

5. किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और वह अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, राज्यों के राजवित्तीय सुधार कार्यक्रम के अधीन 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति”

[फा. सं० 19(1)/2003-वि. I.]

सुभाष. सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2003

G.S.R. 112(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O.191

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, read with section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President hereby makes the following Order :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2003.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. The Local Bodies (Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies) grants recommended by Eleventh Finance Commission for the period 2000-05 have been divided on the basis of the relative proportion of rural and urban local bodies in the successor States as follows :—

Sl. No.	State	Share of the State in	
		Grants for Panchayati Raj Institutions	Grants for Urban Local Bodies
(Rupees in Crores)			
1.	Bihar	543.75	67.07
2.	Jharkhand	241.29	26.83
3.	Madhya Pradesh	505.47	127.40
4.	Chhattisgarh	210.00	28.61
5.	Uttar Pradesh	1167.13	227.89
6.	Uttaranchal	152.00	23.74

4. One fifth of amount of these grants shall be released to the States each year on an “on account” basis in accordance with the stipulations prescribed in the guidelines for utilisation of local bodies grants issued by the Ministry of Finance and Company Affairs. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of Presidential Order at the end of the financial year.

5. The unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remains unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 under the States’ Fiscal Reforms Programme.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President”

[F. No. 19(1)/2003-L. 1.]

SUBHASH C. JAIN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

No. 79]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 20, 2003/फाल्गुन 1, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2003/PHALGUNA 1, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 114(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—
“सं. आ. 192

अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 6 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 को, जहां तक उसका संबंध उन क्षेत्रों से है जो अब छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में समाविष्ट हैं, विखंडित करते हैं और संबद्ध राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिभाषित किए जाते हैं :—

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला - 1, गोरिल्ला - 2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड
11. राजनंदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मेनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

झारखंड

1. रांची जिले में बुड़मु, मांडर चानहो, बेरो, लापुंग, रातू, नामकुम, कांके, ओरमांझी, अनगाड़ा सिल्ली, सोनाहातु, तमाड़, बुंड़ू, अड़की, खूंटी, मूरहू, कर्रा, तोरपा और रनिया खंड
2. लोहरदगा जिले में किसको, कूरु, लोहरदगा, भांदरा और सेनहा खंड
3. गुमला जिले में बिशनपुर, घाघरा, चैनपुर, डुमरी, रायडीह, गुमला, सिसई, भरनो, कामडरा, बसिया और पालकोट खंड

4. सिमडेगा जिले में सिमडेगा, कोलेबीरा, बानो, जलडेगा, ठेठेटांगर, कुरडेग और बोलबा खंड
5. लातेहार जिले में बरवाडीह, मनिका, बालूमठ, चंदवा, लतेहार, गारू और महुआदारन खंड
6. गढ़वा जिले में भांडरिया खंड
7. पश्चिमी - सिंहभूम जिले में बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ, गोयलकेरा, मनोहरपुर, नोआमुंडी, जगन्नाथपुर, मांघगांव, कुमारडुंगी, मंझारी, तंतनगर, झिकपानी, टोंटो, खुतपानी और चाईबासा खंड
8. सरायकेला- खरसावन जिले में गोविंदपुर (राजनगर) आदित्यपुर (घमड़िया) सरायकेला, खरसावन, कुचई, चांदिल, ईचागढ़ और निमडीह खंड
9. पूर्वी - सिंहभूम जिले में गोलमुरी -जुगसलाई, पटमादा, पोटका, डुमरिया, मुसबनी, घाटसिला, धलभूमगढ़, चाकुलिया और बहरागोरा खंड
10. दुमका जिले में सरियाहाट, जरमुंदी, जामा, रामगढ़, गोपीकंदर, कठिकुंड, दुमका, सिकरीपारा, रानेश्वर और मसलिया खंड
11. जमतारा जिले में कुंधित, नाला, जमतारा और नारायणपुर खंड
12. साहेबगंज जिले में साहेबगंज, बोरियो, तलझरी, राजमहल, बरहरवा, पथना और बरहेत खंड
13. पाकुर जिले में लिट्टीपारा, अमरापारा, हिरनपुर पाकुर, महेशपुर और पाकुरिया खंड
14. गोड्डा जिले में बोरिजोर और सुंदरपहाड़ी खंड ।

मध्य प्रदेश

1. झाबुआ जिला
2. मण्डला जिला
3. दिंदौरी जिला
4. बरवानी जिला

5. धार जिले में सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी और मनावर तहसील
6. खरगोन (पश्चिमी निमाड़) जिले में भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगोन और महेश्वर तहसील
7. खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिले में हरसूद तहसील का खलवा जनजाति विकास खंड और खांकर तहसील का खांकर जनजाति विकास खंड
8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजनां तहसील
9. बैतूल जिले में बैतूल तहसील (बैतूल विकास खंड को छोड़कर) और भैंसदेही और शाहपुर तहसील
10. सेवनी जिले में लखनादौन, घनसौर और कुरई तहसील
11. बालाघाट जिले में बैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सीदी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास खंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं० 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल संख्या 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 25 का बमहानी गांव । हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 से 36, 41, 43, 44 और 45बी तक ।

बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं० 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं० 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं० 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं० 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 के नीलकंठ और ध्वादिखापा गांव ।

3. पूर्ववर्ती पैरा में किसी राज्य क्षेत्रीय प्रभाग के प्रति किसी निर्देश का, चाहे वह किसी नाम से उपदर्शित हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस नाम के राज्य क्षेत्रीय प्रभाग के प्रतिनिर्देश है, जो वह इस आदेश के प्रारंभ के समय विद्यमान है ।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।”

[फा. सं० 19(5)/2002-वि. 1]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2003

G.S.R. 114(E).— The following Order made by the President is published for general information :—
“C.O.192

**THE SCHEDULED AREAS (STATES OF CHHATTISGARH,
JHARKHAND AND MADHYA PRADESH) ORDER, 2003**

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977 in so far as it relates to the areas now comprised in the States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh and in consultation with the Governors of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003.

(2) It shall come into force at once.

2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh:—

CHHATTISGARH

1. Surguja district
2. Korla district
3. Bastar district

4. Dantewara district
5. Kanker district
6. Marwahi, Gorella-1, Gorella-2 Tribal Development Blocks and Kota Revenue Inspector Circle in Bilaspur district
7. Korba district
8. Jashpur district
9. Dharmjaigarh, Gharghoda, Tamnar, Lailunga and Kharsia Tribal Development Blocks in Raigarh district
10. Dondi Tribal Development Block in Durg district
11. Chauki, Manpur and Mohla Tribal Development Blocks in Rajnandgaon district
12. Gariaband, Mainpur and Chhura Tribal Development Blocks in Raipur district
13. Nagri (Sihawa) Tribal Development Block in Dhamtari district.

JHARKHAND

1. Burmu, Mandar, Chanho, Bero, Lapung, Ratu, Namkom, Kanke, Ormanjhi, Angara, Silli, Sonahatu, Tamar, Bundu, Arki, Khunti, Murhu, Karra, Torpa and Rania blocks in Ranchi district
2. Kisko, Kuru, Lohardaga, Bhandra and Senha blocks in Lohardaga district
3. Bishunpur, Ghagra, Chainpur, Dumri, Raidih, Gumla, Sisai, Bharno, Kamdara, Basia and Palkot blocks in Gumla district
4. Simdega, Kolebira, Bano, Jaldega, Thethaitangar, Kurdeg and Bolba blocks in Simdega district
5. Barwadih, Manika, Balumath, Chandwa, Latehar, Garu and Mahuadarn blocks in Latehar district
6. Bhandaria block in Garhwa district
7. Bandgaon, Chakradharpur, Sonua, Goelkera, Manoharpur, Noamundi, Jagannathpur, Manghgaon, Kumardungi, Manjhari, Tantnagar, Jhickpani, Tonto, Khutpani and Chaibasa blocks in West-Singhbhum district
8. Govindpur (Rajnagar), Adityapur (Gamhariya), Saraikela, Kharsawan, Kuchai, Chandil, Ichagarh and Nimdih blocks in Saraikela-Kharsawan district
9. Golmuri-Jugsalai, Patnada, Potka, Dumaria, Musabani, Ghatsila, Dhalbhumgarh, Chakulia and Bahragora blocks in East-Singhbhum district
10. Saraiyahat, Jarmundi, Jama, Ramgarh, Gopikandar, Kathikund, Dumka, Sikaripara, Raneshwar and Masalia blocks in Dumka district
11. Kundhit, Nala, Jamtara and Narainpur blocks in Jamtara district
12. Sahebganj, Borio, Taljhari, Rajmahal, Barharwa, Pathna and Bathet blocks in Sahebganj district
13. Littipara, Amrapara, Hiranpur, Pakur, Maheshpur and Pakuria blocks in Pakur district
14. Boarijore and Sunderpahari blocks in Godda district.

MADHYAPRADESH

1. Jhabua district
2. Mandla district
3. Dindori district
4. Barwani district
5. Sardarpur, Dhar, Kukshi, Dharampuri, Gandhwani and Manawar tahsils in Dhar district

6. Bhagwanpura, Segaoon, Bhikangaon, Jhirniya, Khargone and Meheshwar tahsils in Khargone (West Nimar) district
 7. Khalwa Tribal Development Block of Harsud tahsil and Khaknar Tribal Development Block of Khaknar tahsil in Khandwa (East Nimar) district
 8. Sailana and Bajna tahsils in Ratlam district
 9. Betul tahsil (excluding Betul Development Block) and Bhainsdehi and Shahpur tahsils in Betul district
 10. Lakhanadone, Ghansaur and Kurai tahsils in Seoni district
 11. Baihar tahsil in Balaghat district
 12. Kesla Tribal Development Block of Itarsi tahsil in Hoshangabad district
 13. Pushparajgarh, Anuppur, Jaithari, Kotma, Jaitpur, Sohagpur and Jaisinghnagar tahsils of Shahdol district
 14. Pali Tribal Development Block in Pali tahsil of Umaria district
 15. Kusmi Tribal Development Block in Kusmi tahsil of Sidhi district
 16. Karahal Tribal Development Block in Karahal tahsil of Sheopur district
 17. Tamia and Jamai tahsils, patwari circle Nos. 10 to 12 and 16 to 19, villages Siregaon Khurd and Kirwari in patwari circle No. 09, villages Mainawari and Gaulie Parasia of patwari circle No. 13 in Parasia tahsil, village Bamhani of patwari circle No. 25 in Chhindwara tahsil, Harai Tribal Development Block and patwari circle Nos. 28 to 36, 41, 43, 44 and 45B in Amarwara tahsil
Bichhua tahsil and patwari circle Nos. 05, 08, 09, 10, 11 and 14 in Saunsar tahsil, Patwari circle Nos. 01 to 11 and 13 to 26, and patwari circle No. 12 (excluding village Bhuli), village Nandpur of patwari circle No. 27, villages Nilkanth and Dhawdikhapa of patwari circle No. 28 in Pandurna tahsil of Chhindwara district.
3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.”

[F.No. 19 (5)/2002-L. 1.]

SUBHASH C. JAIN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2003/फाल्गुन 13, 1924

No. 102]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2003/PHALGUNA 13, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003

सा.का.नि. 189(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 193

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2003 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।
3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000—2005 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए उन्नयन अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक में जिलों की संख्या के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर विभाजित किया गया है। आगे, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000—2005 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए विशेष समस्या अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच स्कीमों के विशिष्ट अवस्थानों के आधार पर विभाजित किया गया है।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000—2005 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों में उत्तरवर्ती राज्यों का अंश यथा निम्नलिखित होगा :—

राज्य	उन्नयन अनुदान	विशेष समस्या अनुदान	जोड़ (उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान)
		(रुपए करोड़ में)	
बिहार	228.48	31.67	260.15
झारखंड	113.12	28.33	141.45
मध्य प्रदेश	292.02	60.00	352.02
छत्तीसगढ़	142.50	—	142.50
उत्तर प्रदेश	503.53	33.73	537.26
उत्तरांचल	106.38	26.27	132.65

उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों को वित्त मंत्रालय के ष्य विभाग के पत्र सं. एफ.16(2)-एफसीडी/2000, तारीख 3 नवम्बर, 2000 द्वारा उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों के उपयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में अधिकथित अनुबंधों के अनुसार राज्यों को निर्मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकमों को राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमित किया जाएगा :

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाएगा और वह अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, राज्यों के राजवित्तीय सुधार कार्यक्रम के अधीन 2004-2005 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं० 19(2)/2003-विधायी-1]

सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2003

G.S.R. 189(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 193

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 2 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, read with Section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), Section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and Section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2003.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. The upgradation grants recommended by the Eleventh Finance Commission for the period 2000—2005 have been divided on the basis of the relative proportion of the number of districts in each of the successor States. Further, the special problem grants recommended by the Eleventh Finance Commission for the period 2000—2005 have been divided on the basis of the particular locations of the schemes among the successor States.

The share of the successor States in the upgradation and special problem grants recommended by the Eleventh Finance Commission for the period 2000—2005 shall be as under :—

State	Upgradation grants	Special problem grants	Total (Upgradation and special problem grants)
(Rupees in crores)			
Bihar	228.48	31.67	260.15
Jharkhand	113.12	28.33	141.45
Madhya Pradesh	292.02	60.00	352.02
Chattisgarh	142.50	—	142.50
Uttar Pradesh	503.53	33.73	537.26
Uttaranchal	106.38	26.27	132.65

The upgradation and special problem grants will be released to States in accordance with the stipulations laid down in the guidelines for utilisation of upgradation and special problem grants issued by the Ministry of Finance, Department of Expenditure, *vide* letter No. F. 16(2)-FCD/2000, dated the 3rd November, 2000. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of President Order at the end of the financial year :

Provided that the unutilised grant for a particular year shall be carried forward to next year and the grant which remains unutilised shall be credited to the Incentive Fund during 2004-2005 under the States' Fiscal Reform Programmes.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President."

[F. No. 19(2)/2003-L. 1.]
SUBHASH C. JAIN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]
No. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2003/फाल्गुन 27, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2003/PHALGUNA 27, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2003

सा.का.नि 227(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 194

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं० 3 आदेश, 2003 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 कर 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 1 नवंबर, 2000 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान मध्य प्रदेश, 9 नवंबर, 2000 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान उत्तर प्रदेश और 15 नवंबर, 2000 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान बिहार राज्यों के लिए सिफारिश किए गए विपत्ति राहत निधि के अंश को, संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, तथा बिहार और झारखंड के बीच अंतर अनुसचिवीय समिति की सिफारिशों के आधार पर और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दखलकृत राज्यक्षेत्रों के क्षेत्र के अनुपात में अवधारित किया गया है। विपत्ति राहत निधि के केन्द्र और राज्यों के अंशों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजित किया गया है और इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि उन्हें नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में क्रमशः 308.26:135.19, 241.07:53.34 और 94.16:79.72 के अनुपात में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, तथा बिहार और झारखंड राज्यों के बीच प्रभाजित किया गया है:

सारणी

राज्य	केन्द्र के और राज्यों के अंश की प्रतिशतता	2000-01	2001- 02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल 2000-05
				(रुपए लाख में)			
मध्य प्रदेश	75% और 25% कुल	4698 1566 6264	4932 1644 6576	5178 1726 6904	5439 1812 7251	5710 1903 7613	25957 8651 34608
छत्तीसगढ़	75% और 25% कुल	2060 687 2747	2163 721 2884	2272 757 3029	2385 795 3180	2503 835 3338	11383 3795 15178
उत्तर प्रदेश	75% और 25% कुल	10970 3657 14627	11519 3840 15359	12095 4032 16127	12700 4233 16933	13336 4445 17781	60620 20207 80827
उत्तरांचल	75% और 25% कुल	2428 809 3237	2549 849 3398	2676 892 3568	2810 937 3747	2950 984 3934	13413 4471 17884
बिहार	75% और 25% कुल	5022 1674 6696	5273 1758 7031	5537 1845 7382	5814 1938 7752	6105 2035 8140	27751 9250 37001
झारखंड	75% और 25% कुल	4252 1417 5669	4465 1488 5953	4688 1563 6251	4922 1641 6563	5168 1723 6891	23495 7832 31327

4. विपत्ति राहत निधि को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र सं. 43(1)पी.एफ-1/2000 तारीख 24 नवंबर, 2000 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में अधिकथित शर्तों के पूरा करने पर राज्यों को निर्मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकमों को राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके वित्तीय वर्ष के अंत में नियमित किया जाएगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(3)/03/एल आई]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2003

G.S.R. 227(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 194

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3
ORDER, 2003**

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, read with section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. The shares of the Calamity Relief Fund, recommended by the Eleventh Finance Commission for the States of Madhya Pradesh as it existed immediately before the 1st November, 2000, Uttar Pradesh as it existed immediately before the 9th November, 2000 and Bihar as it existed immediately before the 15th November, 2000, has been determined between the respective successor States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttaranchal, and Bihar and Jharkhand in the ratio of the area of the territories occupied by the successor States, on the basis of the recommendations of Inter-Ministerial Committee and in pursuance of the provisions of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 and the Bihar Reorganisation Act, 2000. The Centre's and the States shares of the Calamity Relief Fund have been apportioned between the successor States and shall be construed to be apportioned between the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttaranchal, and Bihar and Jharkhand in the proportion of 308.26 : 135.19, 241.07 : 53.34 and 94.16 : 79.72 respectively as specified in the table below:

TABLE

State	Percentage of Centre's and State's share	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	Total (2000-05)
Rupees in lakhs							
Madhya Pradesh	75% and 25%	4698	4932	5178	5439	5710	25957
		1566	1644	1726	1812	1903	8651
	Total	6264	6576	6904	7251	7613	34608
Chhattisgarh	75% and 25%	2060	2163	2272	2385	2503	11383
		687	721	757	795	835	3795
	Total	2747	2884	3029	3180	3338	15178
Uttar Pradesh	75% and 25%	10970	11519	12095	12700	13336	60620
		3657	3840	4032	4233	4445	20207
	Total	14627	15359	16127	16933	17781	80827
Uttaranchal	75% and 25%	2428	2549	2676	2810	2950	13413
		809	849	892	937	984	4471
	Total	3237	3398	3568	3747	3934	17884
Bihar	75% and 25%	5022	5273	5537	5814	6105	27751
		1674	1758	1845	1938	2035	9250
	Total	6696	7031	7382	7752	8140	37001
Jharkhand	75% and 25%	4252	4465	4688	4922	5168	23495
		1417	1488	1563	1641	1723	7832
	Total	5669	5953	6251	6563	6891	31327

4. The Calamity Relief Fund will be released to States on fulfilment of the conditions laid down in the guidelines issued by the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide letter No. 43 (1) PF-1/2000 dated the 24th November, 2000. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of Presidential Order at the end of the financial year.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President."

[F.No. 19(3)/03/LI]
SUBHASH C. JAIN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925

No. 149]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

सा.का.नि. 261(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 195”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2003 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित राशियां भारित होंगी जो राज्यों में सहायता अनुदान के रूप में,—

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में इसके सामने जो राशियां विनिर्दिष्ट हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए

अनुदान के लिए हैं:-

सारणी

राज्य	रु० लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	15204.83
असम	2334.47
बिहार	16312.50
छत्तीसगढ़	4200.38
गोवा	92.72
गुजरात	10441.30
हरियाणा	2941.74
हिमाचल प्रदेश	656.69
कर्नाटक	3941.17
केरल	6592.58
मध्य प्रदेश	10109.00
महाराष्ट्र	6567.29
मेघालय	256.08
मिजोरम	157.10
नागालैंड	128.66
उड़ीसा	3455.88
पंजाब	9278.13
राजस्थान	4909.48
सिक्किम	52.92
तमिलनाडु	4661.18
त्रिपुरा	284.59
उत्तर प्रदेश	11671.33
पश्चिमी बंगाल	5777.29

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उसके सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में जो राशियों विनिर्दिष्ट हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के लिए हैं :-

सारणी

राज्य	रु० लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	2483.71
अरुणाचल प्रदेश	20.50
असम	646.26
बिहार	3352.35
छत्तीसगढ़	572.23
गोवा	46.36
गुजरात	3975.69
हरियाणा	732.80
हिमाचल प्रदेश	116.76
जम्मू-कश्मीर	469.74
झारखंड	1342.50
कर्नाटक	3744.58
केरल	1504.91
मध्य प्रदेश	3822.00
महाराष्ट्र	3162.54
मणिपुर	131.88
मेघालय	80.97
मिजोरम	76.89
नागालैंड	53.58
उड़ीसा	399.60
पंजाब	1641.79
राजस्थान	994.16
सिक्किम	6.24
तमिलनाडु	1933.67
त्रिपुरा	40.16
उत्तर प्रदेश	2278.82

उत्तरांचल	712.50
पश्चिमी बंगाल	3949.78

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के निबंधनों के अनुसार और इस संबंध में अनुदानों के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी:

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को, आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान दिया जाना है ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(5)/2003-विधावी-1]

सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

G.S.R. 261(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“ C.O. 195 ”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 4 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely: —

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3: (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, as grants-in-aid of the revenues of —

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—

Table

State (1)	Rupees in lakhs (2)
Andhra Pradesh	15204.83
Assam	2334.47
Bihar	16312.50
Chhattisgarh	4200.38
Goa	92.72
Gujarat	10441.30
Haryana	2941.74
Himachal Pradesh	656.69
Karnataka	3941.17
Kerala	6592.58
Madhya Pradesh	10109.00
Maharashtra	6567.29
Meghalaya	256.08
Mizoram	157.10
Nagaland	128.66
Orissa	3455.88
Punjab	9278.13
Rajasthan	4909.48
Sikkim	52.92
Tamil Nadu	4661.18
Tripura	284.59
Uttar Pradesh	11671.33
West Bengal	5777.29

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants:

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local

93261/03-2

Bodies:—

Table

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	2483.71
Arunachal Pradesh	20.50
Assam	646.26
Bihar	3352.35
Chhattisgarh	572.23
Goa	46.36
Gujarat	3975.69
Haryana	732.80
Himachal Pradesh	116.76
Jammu and Kashmir	469.74
Jharkhand	1342.50
Karnataka	3744.58
Kerala	1504.91
Madhya Pradesh	3822.00
Maharashtra	3162.54
Manipur	131.88
Meghalaya	80.97
Mizoram	76.89
Nagaland	53.58
Orissa	399.60
Punjab	1641.79
Rajasthan	994.16
Sikkim	6.24
Tamil Nadu	1933.67
Tripura	40.16
Uttar Pradesh	2278.82
Uttaranchal	712.50
West Bengal	3949.78:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Eleventh Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants:

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remains unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President

[F.No. 19(5)/2003-L-I]
SUBHASH C. JAIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]
No. 150]नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

सा.का.नि. 262(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 196”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2003 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- 3.(1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि पर, निम्नलिखित राशियां भारत होंगी, जो नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं:-

	राज्य	रु० करोड़ में
	(1)	(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	209.20
2.	हिमाचल प्रदेश	804.55
3.	जम्मू-कश्मीर	1903.48
4.	मणिपुर	299.18

	(1)	(2)
5.	मेघालय	277.30
6.	मिजोरम	284.60
7.	नागालैंड	612.13
8.	उड़ीसा	236.88
9.	सिक्किम	144.35
10.	त्रिपुरा	421.02
11.	पश्चिमी बंगाल	443.58

(2) उपपैरा (1) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2002-03. के लिए सिफारिश की गई रकमों का 85 प्रतिशत है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदान के 15 प्रतिशत को रोक कर और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य के सामने यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सहायता अनुदान को चालू वर्ष के दौरान राज्यों के राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान निर्मुक्त किया गया था:-

	राज्य	रु० करोड़ में
	(1)	(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	37.91
2.	असम	32.72
3.	छत्तीसगढ़	35.15
4.	जम्मू-कश्मीर	40.92
5.	केरल	344.98
6.	मध्य प्रदेश	33.08
7.	मनीपुर	55.32
8.	मेघालय	103.34
9.	नागालैंड	102.08
10.	पंजाब	57.56
11.	सिक्किम	51.70
12.	तमिलनाडु	45.40
13.	पश्चिमी बंगाल	240.13

(4) उपपैरा (1) और (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(6)/2003-विधायी-1]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

G.S.R. 262(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“ C.O. 196 ”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 5 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified below, the sums specified against it:—

State	Rupees in crores
(1)	(2)
1. Arunachal Pradesh	209.20
2. Himachal Pradesh	804.55
3. Jammu and Kashmir	1903.48
4. Manipur	299.18
5. Meghalaya	277.30
6. Mizoram	284.60
7. Nagaland	612.13
8. Orissa	236.88
9. Sikkim	144.35
10. Tripura	421.02
11. West Bengal	443.58

(2) The sums specified in column (2) of sub-paragraph (1) represent 85 per cent. of the amount recommended by the Eleventh Finance Commission for the year 2002-03. The Eleventh Finance Commission in its last report had recommended withholding of 15 per cent. of the grant recommended to the above States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States.

(3) The following grants-in-aid as specified against each State were released during current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States during 2000-01 and 2001-02:—

State	Rupees in crores
(1)	(2)
1. Arunachal Pradesh	37.91
2. Assam	32.72
3. Chhattisgarh	35.15
4. Jammu and Kashmir	344.98
5. Kerala	40.92
6. Madhya Pradesh	33.08
7. Manipur	55.32
8. Meghalaya	103.34
9. Nagaland	102.08
10. Punjab	57.56
11. Sikkim	51.70
12. Tamil Nadu	45.40
13. West Bengal	240.13

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F.No. 19(6)/2003-L.I.]
SUBHASH C. JAIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925

No. 151]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

सां०कां०नि० 263(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 197”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2003 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- 3.(1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

	राज्य	रु० लाख में
	(1)	(2)
1.	आन्ध्र प्रदेश	12283.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	994.00

	(1)	(2)
3.	असम	8392.00
4.	बिहार	8173.50
5.	छत्तीसगढ़	2272.00
6.	गोवा	196.00
7.	गुजरात	13346.00
8.	हरियाणा	6723.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3596.00
10.	जम्मू-कश्मीर	5634.00
11.	कर्नाटक	6166.00
12.	केरल	5560.00
13.	मध्य प्रदेश	5178.00
14.	महाराष्ट्र	12999.00
15.	मणिपुर	403.50
16.	मेघालय	326.00
17.	मिजोरम	468.50
18.	नागालैंड	81.00
19.	उड़ीसा	9052.00
20.	पंजाब	10147.00
21.	राजस्थान	21609.00
22.	सिक्किम	557.50
23.	तमिलनाडु	8487.00
24.	त्रिपुरा	430.00
25.	उत्तर प्रदेश	17854.50
26.	उत्तरांचल	2612.50
27.	पश्चिमी बंगाल	12341.00

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी:

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2002 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा० सं० 19(7)/2003-विधायी-1]

सुभाष सी० जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

G.S.R. 263(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“ C.O. 197 ”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 6 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2003.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (f) In accordance with the provisions of clause (1) of the article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the

1st day of April, 2002 as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm in the States:—

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	12283.00
2. Arunachal Pradesh	994.00
3. Assam	8392.00
4. Bihar	8173.50
5. Chhattisgarh	2272.00
6. Goa	196.00
7. Gujarat	13346.00
8. Haryana	6723.00
9. Himachal Pradesh	3596.00
10. Jammu and Kashmir	5634.00
11. Karnataka	6166.00
12. Kerala	5560.00
13. Madhya Pradesh	5178.00
14. Maharashtra	12999.00
15. Manipur	403.50
16. Meghalaya	326.00
17. Mizoram	468.50
18. Nagaland	81.00
19. Orissa	9052.00
20. Punjab	10147.00
21. Rajasthan	21609.00
22. Sikkim	557.50
23. Tamil Nadu	8487.00
24. Tripura	430.00
25. Uttar Pradesh	17854.50
26. Uttaranchal	2612.50
27. West Bengal	12341.00

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2002.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President

[F No. 19(7)/2003-L.I.]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

9346F/03-2



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152]
No. 152]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

सा०का०नि० 264(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
“सं0आ0 198”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2003 है ।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2002 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित राशियां भारित होंगी, जो राज्यों को राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में,-

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राशियां उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (14) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं, जो उन स्तंभों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने और “विशेष समस्याओं” के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं, अर्थात् :-

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित सैक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि का, ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर उपगत उस वास्तविक व्यय के विरुद्ध, जो कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, 1 अप्रैल, 2002 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर समायोजन किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिससे सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान दिए जाने हैं ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (8) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं, जो 1 अप्रैल, 2002 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उन स्तम्भों में उल्लिखित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर और “विशेष समस्याओं” पर पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं, अर्थात् :-

परन्तु यह कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदत्त राशि को किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा।

(2) उपपैरा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा० सं० 19(4)/2003-वि०-1]

सुभाष सी० जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

G.S.R. 264(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“ C.O. 198 ”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 7 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2003.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, as grants-in-aid of the revenues to—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (14) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and “special problems” relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees:

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 2002 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as reflected in the accounts of that years:

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remain unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States:

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (8) of the said Table, towards expenditure of capital nature, on programmes approved by the Central Government for upgradation of Standards and "special problems" mentioned in those columns, incurred in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, namely:—

Table

State	For upgradation of standards relating to						
	Police	Computa- risation Treasuries	Jails	Record Rooms	Educa- tion	Fire Services	Special Problems
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>(Rupees in lakhs)</i>							
Andhra Pradesh	60.55	—	—	—	—	40.00	—
Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—	15.68	—
Bihar	38.00	—	32.40	185.59	1455.92	24.17	—
Jammu and Kashmir	—	—	—	9.80	—	29.91	369.90
Jharkhand	124.55	—	37.74	—	—	6.77	—
Manipur	2.65	—	—	—	21.82	—	292.98
Meghalaya	—	—	0.37	—	—	—	—
Orissa	6.36	—	—	8.50	217.94	—	137.10
Sikkim	2.42	0.01	1.35	0.01	—	51.75	25.00
Uttar Pradesh	—	—	—	498.65	—	—	—
Uttaranchal	—	—	—	19.67	—	—	—

Provided that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(4)/2003-L-I]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

935 GI/03 - 2

V8. 14146
9/6/04

भारत सरकार मुद्रण
दिनांक... 21.4.04
REGD. NO. D. L. 33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



सत्यमेव जयते

प्रभारी

राजस्व वितरण विभाग

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO - 350

EM - 30

Depth - 100

C.P.B. 270

सं. 163]
No. 163]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

पुरा

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

प्रभारी

सा.का.नि. 230(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं० आ० 199”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2004

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2004 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी:—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
1. आन्ध्र प्रदेश	17196.00
2. अरुणाचल प्रदेश	1044.00
3. असम	4406.00
4. बिहार	2907.00
5. छत्तीसगढ़	1192.50
6. गोवा	159.50
7. गुजरात	14013.00
8. हरियाणा	7059.00
9. हिमाचल प्रदेश	3775.00
10. जम्मू-कश्मीर	3030.00
11. झारखंड	7149.00
12. कर्नाटक	6474.00
13. केरल	5838.00
14. मध्य प्रदेश	5439.00
15. महाराष्ट्र	17231.75
16. मेघालय	342.00
17. मिजोरम	252.00
18. नागालैंड	166.00
19. उड़ीसा	9504.00
20. पंजाब	10655.00
21. राजस्थान	13479.00
22. सिक्किम	885.50
23. तमिलनाडु	8911.00
24. उत्तर प्रदेश	12700.00
25. उत्तरांचल	4148.00
26. पश्चिमी बंगाल	8778.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा ।

(2) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2003 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/2004-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 230(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 199”

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
ORDER, 2004**

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2004.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the

Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm in the States:—

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	17196.00
2. Arunachal Pradesh	1044.00
3. Assam	4406.00
4. Bihar	2907.00
5. Chhattisgarh	1192.50
6. Goa	159.50
7. Gujarat	14013.00
8. Haryana	7059.00
9. Himachal Pradesh	3775.00
10. Jammu and Kashmir	3030.00
11. Jharkhand	7149.00
12. Karnataka	6474.00
13. Kerala	5838.00
14. Madhya Pradesh	5439.00
15. Maharashtra	17231.75
16. Meghalaya	342.00
17. Mizoram	252.00
18. Nagaland	166.00
19. Orissa	9504.00
20. Punjab	10655.00
21. Rajasthan	13479.00
22. Sikkim	885.50
23. Tamil Nadu	8911.00
24. Uttar Pradesh	12700.00
25. Uttaranchal	4148.00
26. West Bengal	8778.00:

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2003.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(1)/2004-L.I.]

T.K. VISWANATHAN, Secy.

K-14341, 14342

R-9805

मगल
15/3/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 450
Km. 30
Dept. 100
Pin. Dept. 100
CPB 220

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

पुरा
लिखित

विधि और न्याय मंत्रालय.

प्रभारी
डा० वि० ए०

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29. मार्च, 2004

सा.का.नि. 231(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं० आ० 200”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2, आदेश, 2004

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2, आदेश, 2004 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी:—

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
1. अरुणाचल प्रदेश	205.67
2. हिमाचल प्रदेश	713.35
3. जम्मू - कश्मीर	1947.04
4. मणिपुर	292.91
5. मेघालय	255.77
6. मिजोरम	298.39
7. नागालैंड	623.93
8. सिक्किम	141.47
9. त्रिपुरा	404.64

(2) उपपैरा (1) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए सिफारिश की गई रकमों का 85 प्रतिशत है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदान के 15 प्रतिशत को रोक कर और उतना ही अंशदान केंद्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य के सामने यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सहायता अनुदान को, चालू वर्ष के दौरान राज्यों के राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान निर्मुक्त किया गया था :-

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
1. आंध्र प्रदेश	173.67
2. असम	58.39
3. जम्मू - कश्मीर	349.97
4. केरल	4.61
5. मणिपुर	75.85
6. मेघालय	51.03
7. नागालैंड	109.09
8. उड़ीसा	134.87
9. तमिलनाडु	78.98
10. त्रिपुरा	76.93
11. उत्तर प्रदेश	405.10
12. पश्चिमी बंगाल	170.23

- (4) उपपैरा (1) और उपपैरा (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(2)/2004-वि. 1]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 231(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 200”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 2 ORDER, 2004

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2004.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003, as grants-in-aid of the revenues to each of the States

State	Rupees in crores
(1)	(2)
1. Arunachal Pradesh	205.67
2. Himachal Pradesh	713.35
3. Jammu and Kashmir	1947.04
4. Manipur	292.91
5. Meghalaya	255.77
6. Mizoram	298.39
7. Nagaland	623.93
8. Sikkim	141.47
9. Tripura	404.64

(2) The sums specified in column (2) of sub-paragraph (1) represent 85 per cent. of the amount recommended by the Eleventh Finance Commission for the year 2003-04. The Eleventh Finance Commission in its last report had recommended withholding of 15 per cent. of the grant recommended to the above States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States.

(3) The following grants-in-aid as specified against each State were released during current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States during 2001-02 and 2002-03:—

State	Rupees in crores
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	173.67
2. Assam	58.39
3. Jammu and Kashmir	349.97
4. Kerala	4.61
5. Manipur	75.85
6. Meghalaya	51.03
7. Nagaland	109.09
8. Orissa	134.87
9. Tamil Nadu	78.98
10. Tripura	76.93
11. Uttar Pradesh	405.10
12. West Bengal	170.23

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(2)/2004-L.I.]
T. K. VISWANATHAN, Secy.

Va-14340

मीमा

18/7/04

R. 9806

20/04/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-450

KM. 30

Depth. 100

Fin. Dept. 100

C.B. 220

सं. 165]

No. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

पुस्तिका

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

प्रभावी
दिस वि. एडव

सा.का.नि. 232(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं0आ0 201”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2004

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2004 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि पर नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (13) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, उन स्तम्भों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को उन्नत करने और “विशेष समस्याओं” के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए, भारत होंगी, अर्थात् :-

सारणी
निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को उन्नत करने के लिए

राज्य	जिला प्रशासन	पुलिस प्रशासन	कारागार प्रशासन	अग्नि	न्यायिक	स्वास्थ्य	प्रारंभिक शिक्षा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	सार्वजनिक पुस्तकालय	विरासत संरक्षण	पर्यावरणिक जल स्रोतों की वृद्धि	विशेष समस्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(रुपर लाख में)												
आंध्र प्रदेश	..	915.25	158.90	153.57	..	172.08	1513.17	248.90	2127.60	950.71
अरुणाचल प्रदेश	44.52	33.21	153.24	232.95
असम	..	436.07	..	248.90	497.80	298.93	..	399.72	364.15	1113.11
बिहार	233.27	511.90	1244.70
छत्तीसगढ़	1063.21	79.00
गोवा	20.11	226.07
गुजरात	..	754.12	271.48
हरियाणा	..	316.60	296.70	124.00	172.00	286.84	456.82
हिमाचल प्रदेश	49.78	149.34	81.44	..	49.78	..	237.62	..	492.82	1841.20
जम्मू-कश्मीर	60.32
कर्नाटक	597.36	..	422.31	401.80	1060.79	..
केरल	..	738.28	226.25	..	113.31	313.02	29.67	209.38	..	99.56	191.37	2489.00
मध्य प्रदेश	3288.14	1445.95	293.70	1028.45	..	1147.75	..	963.24	..	122.12	2123.86	3288.50
महाराष्ट्र	2177.30	639.56
मणिपुर	..	155.66	49.78	180.99	..	309.39	150.82
नागालैंड	..	613.16	20.11	49.78	..	220.19	20.11	49.78	100.51	100.55
उड़ीसा	..	686.79	62.84	429.33	442.42	389.13	..	497.80	819.08	2939.00
राजस्थान	..	1481.02	836.10	611.33
सिक्किम	..	55.09	79.94	19.62	19.64	89.01	49.78	137.51	..	5.10	62.72	..
तमिलनाडु	1530.32	1235.47	398.24	136.66	..	211.15	452.07	497.80	919.42	2439.22
त्रिपुरा	..	165.46	10.58	49.78	49.78	..	89.62	20.11	..	758.24
उत्तर प्रदेश	1633.50	2003.97	184.07	797.97	4420.18	1679.08
उत्तरांचल	1063.92	201.21	4.83	623.51	181.42	247.82	47.36	152.93	490.80
पश्चिमी बंगाल	181.43	..	2641.12	311.94

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को उन्नत करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-2005 के दौरान ऐसी प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिससे सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान किए जाने हैं :

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदत्त राशि का किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

[फा. सं. 19(3)/2004-वि. 1]

टी.के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 232(E)— The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.201”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 3 ORDER, 2004

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2004.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (13) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and “special problems” relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

TABLE
For upgradation of Standards relating to

State	District Administration	Police Administration	Jail Administration	Fire	Judicial	Health	Elementary Education	Computer Training	Public Libraries	Heritage Protection	Water Sources		
											10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						(Rupees in lakhs)							
Andhra Pradesh	...	915.25	158.90	153.57	...	172.08	1513.17	248.90	2127.60	950.71	
Arunachal Pradesh	44.52	33.21	153.24	232.95	
Assam	...	436.07	...	248.90	497.80	298.93	...	399.72	364.15	1113.11	
Bihar	233.27	511.90	1244.70	
Chhattisgarh	1063.21	79.00	
Goa	20.11	226.07	
Gujarat	...	754.12	271.48	
Haryana	...	316.60	296.70	124.00	172.00	286.84	456.82	
Himachal Pradesh	49.78	149.34	8.44	...	49.78	...	237.62	...	492.82	1841.20	
Jammu and Kashmir	60.32	
Karnataka	597.36	...	422.31	401.80	1060.79	...	
Kerala	...	738.28	226.25	...	113.31	313.02	29.67	209.38	...	99.56	191.37	2489.00	
Madhya Pradesh	3288.14	1445.95	293.70	1028.45	...	1147.75	...	963.24	...	122.12	2123.86	3288.50	
Maharashtra	217.30	639.56	
Manipur	...	155.66	49.78	180.99	...	309.39	150.82	
Nagaland	...	613.16	20.11	49.78	...	220.19	20.11	49.78	100.51	100.55	
Orissa	...	686.79	62.84	429.33	442.42	389.13	...	497.80	819.08	2939.00	
Rajasthan	...	1481.02	836.10	611.33	
Sikkim	...	55.09	79.94	19.62	19.64	89.01	49.78	137.51	...	5.10	62.72	...	
Tamil Nadu	1530.32	1235.47	398.24	136.66	...	211.15	452.07	497.80	919.42	2439.22	
Tripura	...	165.46	10.58	49.78	49.78	...	89.62	20.11	...	758.24	
Uttar Pradesh	1633.50	2003.97	184.07	797.97	4420.18	1679.08	
Uttaranchal	1063.92	201.21	4.83	623.51	181.42	247.82	47.36	152.93	490.80	
West Bengal	181.43	...	264.12	311.94	

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees:

Provided further that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remain unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States:

Provided also that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

[F. No. 19(3)/2004-L. 1]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

1084 GI/04-2

V8.14144
9/6/04

R-9783
भारत सरकार मुद्रा...
के विभाग...
के माध्यम से।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

प्रभारी
राजस्व वितरण एकक



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Po-350
Km. 30
Dept. 100
UB. 220

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

पूरा किया

सा.का.नि. 233(अ).—राष्ट्रपति
प्रकाशित किया जाता है :-

द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए

प्रभारी
डा० वि० एक

“सं0आ0 202”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2004

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2004 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित राशियां भारित होंगी जो राजस्वों में सहायता अनुदानों के रूप में,—

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उसके सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में जो राशियां विनिर्दिष्ट हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों के लिए हैं :-

सारणी

राज्य	रूपए	लाख में
आन्ध्र प्रदेश		30409.66
अरुणाचल प्रदेश		1670.55
असम		4668.95
बिहार		10875.00
छत्तीसगढ़		2100.19
हरियाणा		2941.75
हिमाचल प्रदेश		1313.38
कर्नाटक		11823.52
केरल		6592.58
मध्य प्रदेश		10109.00
महाराष्ट्र		6567.28
मणिपुर		187.70
मेघालय		768.24
मिजोरम		157.11
उड़ीसा		3455.88
सिक्किम		158.77
तमिलनाडू		13983.54
उत्तर प्रदेश		23342.66
उत्तरांचल		1520.00

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उसके सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में जो राशियां विनिर्दिष्ट हैं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के लिए हैं :-

सारणी

राज्य	रूपए	लाख में
आन्ध्र प्रदेश		4939.71
छत्तीसगढ़		286.11
हरियाणा		732.80
हिमाचल प्रदेश		77.84
केरल		1504.91
मध्य प्रदेश		3822.00
मिजोरम		76.89
उड़ीसा		1198.80
राजस्थान		1988.32
सिक्किम		6.24
तमिलनाडू		3867.34
त्रिपुरा		120.48
उत्तर प्रदेश		4557.64
पश्चिम बंगाल		3949.78

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के निबंधनों के अनुसार, जो रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट हैं और इस संबंध में अनुदानों के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को, आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान दिया जाना है।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

[फा. सं. 19(4)/2004-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 233(E).—The following Order made by the President is published for general information/

“C.O.202”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 4

ORDER, 2004

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2004.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	30409.66
Arunachal Pradesh	1670.55
Assam	4668.95
Bihar	10875.00
Chhattisgarh	2100.19
Haryana	2941.75
Himachal Pradesh	1313.38
Karnataka	11823.52
Kerala	6592.58
Madhya Pradesh	10109.00
Maharashtra	6567.28
Manipur	187.70
Meghalaya	768.24
Mizoram	157.11
Orissa	3455.88
Sikkim	158.77
Tamil Nadu	13983.54
Uttar Pradesh	23342.66
Uttaranchal	1520.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	4939.71
Chhattisgarh	286.11
Haryana	732.80
Himachal Pradesh	77.84
Kerala	1504.91
Madhya Pradesh	3822.00
Mizoram	76.89
Orissa	1198.80
Rajasthan	1988.32
Sikkim	6.24
Tamil Nadu	3867.34
Tripura	120.48
Uttar Pradesh	4557.64
West Bengal	3949.78:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Eleventh Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants:

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remains unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

[F. No. 19(4)/2004-L. I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

108595/09-2

Vn-14556,14557

R-10024

17/8/04

दिनांक 26.5.04

संज्ञक सं० डी.एल. 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



सत्यमेव जयते

प्रभारी
राजपत्र वितरण एका

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-450

KM. 30

Dept-100 (Law &)

"-100 (H-Affairs)

CPB-220

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2004/वैशाख 10, 1926

पुरा किया

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2004/VAISAKHA 10, 1926

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2004

प्रभारी

रा० वि० एकक

सा.का.नि. 292(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 203”

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 2004

राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रभावी करते हुए किया है;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ तथा उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के निबंधनों के अनुसार, इसे 30 अप्रैल, 1999 तक या उस तारीख को, जो राष्ट्रपति इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, प्रवृत्त रहना था;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की स्थापना उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक के लिए की थी;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश 175 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 1999, 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि 30 अप्रैल, 2004 तक बढ़ा दी थी;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों में बनाए रखने के हित में समीचीन समझा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः अब राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2005 तक प्रवृत्त रहेगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(6)/2004-विधायी I]

जेड. एस. नेगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2004

G.S.R. 292(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 203”

THE STATE OF MAHARASHTRA (SPECIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNOR FOR VIDARBHA, MARATHWADA AND THE REST OF MAHARASHTRA) AMENDMENT ORDER, 2004

Whereas the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order), giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

And whereas the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, it was to remain in force up to the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

And whereas in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra had set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remained in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 175 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

And whereas the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on the approval of the State Government of Maharashtra has requested the President to extend the duration of the said Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2005.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(6)/2004-L1]

Z. S. NEGI, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]
No. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 207(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं0आ0 204”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2005 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के मद्दे केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी:-

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
1. आन्ध्र प्रदेश	18056.00
2. अरुणाचल प्रदेश	1096.00
3. असम	13658.00
4. बिहार	9012.00
5. छत्तीसगढ़	3695.50
6. गोवा	113.00
7. गुजरात	14714.00
8. हरियाणा	7412.00
9. हिमाचल प्रदेश	3964.00
10. जम्मू-कश्मीर	3182.00
11. झारखंड	5045.00
12. कर्नाटक	6798.00
13. केरल	6130.00
14. मध्य प्रदेश	5710.00
15. महाराष्ट्र	10748.25
16. मेघालय	359.00
17. मिजोरम	400.00
18. नागालैंड	264.00
19. उड़ीसा	9979.00
20. पंजाब	11187.00
21. राजस्थान	18871.00
22. सिक्किम	630.00
23. तमिलनाडु	9357.00
24. त्रिपुरा	925.00
25. उत्तर प्रदेश	13336.00
26. उत्तरांचल	2950.00
27. पश्चिमी बंगाल	9217.00

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी:

परंतु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा(1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2004 के पैरा 3 के उप-पैरा(1) के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(2)/05-वि. 1]

टी.के. विश्वानाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 207(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 204”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2005.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of the Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm in the States:—

State (1)	Rupees in lakhs (2)
1. Andhra Pradesh	18056.00
2. Arunachal Pradesh	1096.00
3. Assam	13658.00
4. Bihar	9012.00
5. Chhattisgarh	3695.50
6. Goa	113.00
7. Gujarat	14714.00
8. Haryana	7412.00
9. Himachal Pradesh	3964.00
10. Jammu and Kashmir	3182.00
11. Jharkhand	5045.00
12. Karnataka	6798.00
13. Kerala	6130.00
14. Madhya Pradesh	5710.00
15. Maharashtra	10748.25
16. Meghalaya	259.00
17. Mizoram	400.00
18. Nagaland	264.00
19. Orissa	9979.00
20. Punjab	11187.00
21. Rajasthan	18871.00
22. Sikkim	630.00
23. Tamil Nadu	9357.00
24. Tripura	925.00
25. Uttar pradesh	13336.00
26. Uttaranchal	2950.00
27. West Bengal	9217.00:

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2004.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(2)/05-L. I]

T.K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 141]
No. 141]नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सं.का.नि. 208(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं0आ0 205”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2, आदेश 2005 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :-

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
1. अरुणाचल प्रदेश	211.28
2. हिमाचल प्रदेश	605.07
3. जम्मू - कश्मीर	1979.34

	(1)	(2)
4.	मणिपुर	287.86
5.	मेघालय	235.18
6.	मिजोरम	287.36
7.	नागालैंड	649.20
8.	सिक्किम	139.31
9.	त्रिपुरा	388.01

(2) उपपैरा (1) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए सिफारिश की गई रकमों का 85 प्रतिशत हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदान के 15 प्रतिशत को रोकने और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य के सामने यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सहायता अनुदान, राज्यों के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से चालू वर्ष के दौरान दिया गया था :-

	राज्य	रुपए करोड़ में
	(1)	(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	38.41
2.	बिहार	411.41
3.	छत्तीसगढ़	2.74
4.	गुजरात	55.40
5.	हरियाणा	55.17
6.	हिमाचल प्रदेश	156.96
7.	जम्मू - कश्मीर	354.31
8.	झारखंड	42.95
9.	कर्नाटक	184.94
10.	मध्य प्रदेश	304.97
11.	मणिपुर	107.50
12.	मेघालय	91.38
13.	मिजोरम	53.43
14.	नागालैंड	114.58
15.	उड़ीसा	50.91
16.	पंजाब	7.47

	(1)	(2)
17.	राजस्थान	120.38
18.	सिक्किम	76.45
19.	तमिलनाडु	181.06
20.	त्रिपुरा	75.02
21.	उत्तर प्रदेश	174.34
22.	उत्तरांचल	24.59
23.	पश्चिमी बंगाल	207.03

(4) उपपैरा (1) और उपपैरा (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।

^

[फा. सं. 19(3)/05-वि. I]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 208(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.205”

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 2 ORDER, 2005**

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2005.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified below, the sums specified against it—

State (1)	Rupees in crores (2)
1. Arunchal Pradesh	211.28
2. Himachal Pradesh	605.07
3. Jammu and Kashmir	1979.34
4. Manipur	287.86
5. Meghalaya	235.18
6. Mizoram	287.36
7. Nagaland	649.20
8. Sikkim	139.31
9. Tripura	388.01.

(2) The sums specified in column (2) of sub-paragraph (1) represent 85 per cent. of the amount recommended by the Eleventh Finance Commission for the year 2004-05. The Eleventh Finance Commission in its last report had recommended withholding of 15 per cent. of the grant recommended to the States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States.

(3) The following grants-in-aid as specified against each State were released during current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States during 2001-02, 2002-03, 2003-04 and 2004-05:—

State (1)	Rupees in crores (2)
1. Arunchal Pradesh	38.41
2. Bihar	411.41
3. Chattisgarh	7.74
4. Gujarat	55.40
5. Haryana	55.17
6. Himachal Pradesh	156.96
7. Jammu and Kashmir	354.31
8. Jharkhand	42.95
9. Karnataka	184.94
10. Madhya Pradesh	304.97
11. Manipur	107.50
12. Meghalaya	91.38
13. Mizoram	53.43
14. Nagaland	114.58
15. Orissa	50.91
16. Punjab	7.47
17. Rajasthan	120.38
18. Sikkim	76.45
19. Tamil Nadu	181.06
20. Tripura	75.02
21. Uttar Pradesh	174.34
22. Uttaranchal	24.59
23. West Bengal	207.03.

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(3)/05-L. I]

T.K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]
No. 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 209(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3, आदेश 2005 है ।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (2) से (13) में से प्रत्येक में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां उन स्तंभों में वर्णित सेक्टरों या सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों और “विशेष समस्याओं” के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी की प्रकृति के व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मणिपुर	..	52.10	54.78	59.78	..	60.00	59.78	49.78	18.00	449.56
मेघालय	..	133.72	23.16	49.78	..	208.68	49.78	34.78	198.12	..
मिजोरम	423.12	132.31	..	29.67	..	254.63	19.68	171.24	198.90	49.78	74.53	2090.76
नागालैंड	..	21.30	5.00	27.68	10.00	34.40
उड़ीसा	..	219.46	116.50	168.47	..	465.55	870.24	771.56	640.16	647.79
राजस्थान	..	724.75	60.00	872.74	240.70	710.90	697.76	..	74.00	100.00	536.20	238.54
तमिलनाडु	660.00	323.00	80.00	180.70	194.99	184.70	490.00
त्रिपुरा	..	162.55	10.00	102.82	18.00	39.67	64.00	100.00
उत्तर प्रदेश	..	70.13	317.76	2127.00	2235.13	..	145.00	..	1631.50	337.30
उत्तरांचल	118.00	348.27	124.48	137.54	..	538.02	1235.65	321.37	31.01	78.15	303.09	374.82
पश्चिमी बंगाल	266.09	78.94	298.90	627.27	..

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परंतु यह और कि राज्यों को न दी गई ऐसी रकम और राज्यों को दी गई रकम जो उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2005 तक उपयोग नहीं की गई है, राजवित्तीय सुधार सुविधा के अंतर्गत प्रोत्साहन निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदत्त राशि का किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति ।

[फा.सं.19(4)/05-वि.1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 209(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 206”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No.3 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2005.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (13) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and “special problems” relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

TABLE
For upgradation of standards relating to

State	District Administration	Police Administration	Jail Administration	Fire	Judicial	Health	(Rupees in lakhs)												
							Elementary Education	Computer Training	Public Libraries	Heritage Protection	Augmentation of Traditional Water Sources	Special Problem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Andhra Pradesh			39.70	10.00			510.00	98.90	56.00										
Arunachal Pradesh							16.57						135.00	150.00					
Assam		678.51	103.74	50.00		1076.04		516.73						735.75					
Bihar		199.73	225.00	436.02		1614.06	2017.77	951.10	79.00	138.32			844.77	115.00					
Chhattisgarh		182.25	42.23	100.00		121.20	294.66		295.80				155.66						
Gujarat		834.22		388.57	1287.27	356.04	538.02	324.27	60.00				1846.02	774.22					
Haryana		819.22	44.56	79.34		200.00	234.68		0.10				50.00	2532.19					
Himachal Pradesh		558.02					10.00		34.00					298.90					
Karnataka	2684.60	1220.69	178.34				660.82	403.80	63.70		20.00		207.20	2287.90					
Kerala		101.55		149.34	344.69	90.00		150.50	330.18				64.50						
Madhya Pradesh		155.10					2469.52	193.50			319.06			263.51					
Maharashtra		370.00		100.00	483.68	700.00	150.00						200.00	200.00					
Manipur		52.10	54.78	58.78		60.00	58.78				49.78		18.00	449.56					
Meghalaya		133.72	23.16	48.78		208.68	48.78				34.78		198.12						
Mizoram		132.31		29.67		254.63	19.62	171.24	-198.90		48.78		74.53	2090.76					
Nagaland	423.12	132.31		5.00		27.68	10.00	34.40											
Orissa		219.46	116.50	168.47		465.55	870.24	771.16					640.16	647.79					
Rajasthan		724.75	60.00	872.74	240.70	710.90	697.76		74.00	100.00			536.20	838.54					
Tamil Nadu	660.00	323.00	80.00	180.70			194.99						184.70	490.00					
Tripura		162.55					10.00	102.82	18.00		39.67		64.00	100.00					
Uttar Pradesh		70.13	317.76			2127.00	2235.13		145.00				1631.50	337.30					
Uttaranchal	148.00	348.27	124.48	137.54		538.02	1235.65	321.37	31.01	78.15			303.09	374.82					
West Bengal			266.09	78.94						298.90			627.23						

1098 GT/2005-2

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees:

Provided further that the amount not released to States and amount released to the States but not utilised by them for this purpose by 31st day of March, 2005 will be transferred to Incentive Fund under Fiscal Reforms Facility:

Provided also that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(4)/05-LI]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]
No. 143]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 210(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं0आ0 207”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2005 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि पर भास्ति होगी,—
(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :-

राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
आन्ध्र प्रदेश	7602.00
बिहार	5437.50
छत्तीसगढ़	6300.59
गुजरात	17402.18
हरियाणा	2941.75
हिमाचल प्रदेश	1328.46
केरल	6592.58
मध्य प्रदेश	5054.50
महाराष्ट्र	19701.88
मिजोरम	157.11
उड़ीसा	13823.52
पंजाब	2902.62
राजस्थान	24547.40
तमिलनाडु	6726.76
त्रिपुरा	853.78
उत्तर प्रदेश	11671.33
उत्तरांचल	4560.00
पश्चिमी बंगाल	5777.29

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां,-

सारणी

राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
आन्ध्र प्रदेश	3293.14
बिहार	670.47
गुजरात	6626.15
हरियाणा	732.80
हिमाचल प्रदेश	116.76
कर्नाटक	6240.98
केरल	1504.91
मध्य प्रदेश	2548.00
महाराष्ट्र	3162.55
मिजोरम	76.89
उड़ीसा	799.20

पंजाब	1094.53
राजस्थान	2971.06
तमिलनाडु	5741.66
त्रिपुरा	80.32
उत्तर प्रदेश	4557.64
उत्तरांचल	475.00
पश्चिमी बंगाल	3949.78

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में यथाअंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के निबंधनों के अनुसार और अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी:

परंतु यह भी कि राज्यों को न दी गई रकम और राज्यों को दी गई ऐसी रकम जो उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2005 तक उपयोग नहीं की गई है, राजवित्तीय सुधार सुविधा के अन्तर्गत प्रोत्साहन निधि में स्थानांतरित कर दी जाएंगी।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(5)/05-वि. I]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 210(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.207”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 4 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2005.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—

TABLE

State (1)	Rupees in lakhs (2)
Andhra Pradesh	7602.41
Bihar	5437.50
Chhattisgarh	6300.59
Gujarat	17402.18
Haryana	2941.75
Himachal Pradesh	1328.46
Kerala	6592.58
Madhya Pradesh	5054.50
Maharashtra	19701.88
Mizoram	157.11
Orissa	13823.52
Punjab	2902.62
Rajasthan	24547.40
Tamil Nadu	6726.76
Tripura	853.78
Uttar Pradesh	11671.33
Uttaranchal	4560.00
West Bengal	5777.29:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies:—

TABLE

State (1)	Rupees in lakhs (2)
Andhra Pradesh	3293.14
Bihar	670.47
Gujarat	6626.15
Haryana	732.80
Himachal Pradesh	116.76
Karnataka	6240.98
Kerala	1504.91
Madhya Pradesh	2548.00
Maharashtra	3162.55
Mizoram	76.89
Orissa	799.20
Punjab	1094.53
Rajasthan	2971.06
Tamil Nadu	5741.66
Tripura	80.32
Uttar Pradesh	4557.64
Uttaranchal	475.00
West Bengal	3949.78

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Eleventh Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants :

Provided also that the amount not released to States and amount released to the States but not utilised by them for this purpose by 31st day of March, 2005 will be transferred to Incentive Fund under Fiscal Reforms Facility.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(5)/05-L.I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 2005/वैशाख 10, 1927

No. 178]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 2005/VAISAKHA 10, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 254(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं.आ. 208"

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व)

संशोधन आदेश, 2005

राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रभावी करते हुए किया है;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ तथा उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के निबंधनों के अनुसार इसे 30 अप्रैल, 1999 तक या उस तारीख तक, जो राष्ट्रपति इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, प्रवृत्त रहना था;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की स्थापना उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने, अर्थात् 30 अप्रैल, 1999, तक के लिए थी;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 175 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 1999, 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि को 30 अप्रैल, 2004 तक बढ़ा दिया था;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 203 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 2004, 30 अप्रैल, 2005 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 2004 के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि को 30 अप्रैल, 2005 तक बढ़ा दिया था;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों के हित में बनाए रखना समीचीन समझा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः, अब, राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19 (7)/2005-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2005

G.S.R. 254(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 208”

THE STATE OF MAHARASHTRA (SPECIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNOR FOR VIDARBHA, MARATHWADA AND THE REST OF MAHARASHTRA) AMENDMENT ORDER, 2005

WHEREAS the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order) giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

AND WHEREAS the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it was to remain in force up to the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

AND WHEREAS in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra had set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remained in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 175 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 203 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 shall remain in force up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, of the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on the approval of the State Government of Maharashtra has requested the President to extend the duration of the said Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2006.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President

[F. No. 19(7)/2005-L.1]
T. K. VISWANATHAN, Secy.

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]
No. 245]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2005/ज्येष्ठ 17, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2005/JYAISTHA 17, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सा.का.नि 376(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—
“सं. आ. 209”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2005 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 270 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट, सेवाकर से भिन्न, करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का वह प्रतिशत जो 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रों को समनुदेशित किया जाना है, साढ़े उनतीस प्रतिशत होगा जो राष्ट्रों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :—

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.356
अरुणाचल प्रदेश	0.288
असम	3.235
बिहार	11.028
छत्तीसगढ़	2.654
गोवा	0.259
गुजरात	3.569
हरियाणा	1.075

हिमाचल प्रदेश	0.522
जम्मू - कश्मीर	1.297
झारखंड	3.361
कर्नाटक	4.459
केरल	2.665
मध्यप्रदेश	6.711
महाराष्ट्र	4.997
मणिपुर	0.362
मेघालय	0.371
मिजोरम	0.239
नागालैंड	0.263
उड़ीसा	5.161
पंजाब	1.299
राजस्थान	5.609
सिक्किम	0.227
तमिलनाडु	5.305
त्रिपुरा	0.428
उत्तर प्रदेश	19.264
उत्तरांचल	0.939
पश्चिमी बंगाल	7.057

(2) उस सेवाकर के, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर है, शुद्ध आगमों का साढ़े उनतीस प्रतिशत, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :-

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.453
अरुणाचल प्रदेश	0.292

असम	3.277
बिहार	11.173
छत्तीसगढ़	2.689
गोवा	0.262
गुजरात	3.616
हरियाणा	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.529
झारखंड	3.405
कर्नाटक	4.518
केरल	2.700
मध्यप्रदेश	6.799
महाराष्ट्र	5.063
मणिपुर	0.367
मेघालय	0.376
मिजोरम	0.242
नागालैंड	0.266
उड़ीसा	5.229
पंजाब	1.316
राजस्थान	5.683
सिक्किम	0.230
तमिलनाडु	5.374
त्रिपुरा	0.433
उत्तर प्रदेश	19.517
उत्तरांचल	0.952
पश्चिमी बंगाल	7.150:

परंतु जहां किसी वर्ष में सेवाकर जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्ग्रहणीय हो जाता है वहां जम्मू-कश्मीर सहित प्रत्येक राज्य को पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा ।

4. अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट, सेवाकर से भिन्न, करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का एक प्रतिशत जो 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले किन्तु उस तारीख के अपश्चात् जिससे अतिरिक्त उत्पाद-

शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन कर भाटक व्यवस्था समाप्त हो जाती है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :-

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.356
अरुणाचल प्रदेश	0.288
असम	3.235
बिहार	11.028
छत्तीसगढ़	2.654
गोवा	0.259
गुजरात	3.569
हरियाणा	1.075
हिमाचल प्रदेश	0.522
जम्मू - कश्मीर	1.297
झारखंड	3.361
कर्नाटक	4.459
केरल	2.665
मध्यप्रदेश	6.711
महाराष्ट्र	4.997
मणिपुर	0.362
मेघालय	0.371
मिजोरम	0.239
नागालैंड	0.263
उड़ीसा	5.161
पंजाब	1.299
राजस्थान	5.609
सिक्किम	0.227
तमिलनाडु	5.305

त्रिपुरा	0.428
उत्तर प्रदेश	19.264
उत्तरांचल	0.939
पश्चिमी बंगाल	7.057

परंतु ऐसे किसी वर्ष में जहां कोई राज्य अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत करता है वहां उस राज्य को कोई अंश संदेय नहीं होगा।

5. उस सेवाकर के, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर है, शुद्ध आगमों का एक प्रतिशत, जो 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले परंतु उस तारीख के अपश्चात्, जिससे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन कर भाटक व्यवस्था समाप्त हो जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :-

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.453
अरुणाचल प्रदेश	0.292
असम	3.277
बिहार	11.173
छत्तीसगढ़	2.689
गोवा	0.262
गुजरात	3.616
हरियाणा	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.529
झारखंड	3.405
कर्नाटक	4.518
केरल	2.700
मध्यप्रदेश	6.799
महाराष्ट्र	5.063

17/10/2012

मणिपुर	0.367
मेघालय	0.376
मिजोरम	0.242
नागालैंड	0.266
उड़ीसा	5.229
पंजाब	1.316
राजस्थान	5.683
सिक्किम	0.230
तमिलनाडु	5.374
त्रिपुरा	0.433
उत्तर प्रदेश	19.517
उत्तरांचल	0.952
पश्चिमी बंगाल	7.150:

परंतु ऐसे किसी वर्ष में जहां कोई राज्य अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत करता है वहां उस राज्य को कोई अंश संदेय नहीं होगा।

परंतु यह और कि जहां किसी वर्ष में जम्मू-कश्मीर राज्य में सेवा कर उद्ग्रहणीय हो गया है वहां जम्मू-कश्मीर राज्य सहित प्रत्येक राज्य को पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा।

6. यदि 2005-10 की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संघ के अधीन कोई कर किसी राज्य में उद्ग्रहणीय नहीं हैं तो उस कर में उस राज्य का अंश शून्य कर दिया जाएगा और संपूर्ण आगम शेष राज्यों में उनके अंश को अनुपाततः समायोजित करते हुए वितरित किया जाएगा।

7. संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2000, 1 अप्रैल, 2005 से ही निरसित हो जाएगा।

8. किसी राज्य को उसके हक से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां उसी या किसी पश्चात्पूर्ति वर्ष में वसूलीय होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(6)/2005-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

G.S.R. 376(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O.209”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 5 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2005.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the service tax, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2005 but ending before the 1st day of April, 2010, shall be twenty-nine and one-half per cent., which shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.356
Arunachal Pradesh	0.288
Assam	3.235
Bihar	11.028
Chhattisgarh	2.654
Goa	0.259
Gujarat	3.569
Haryana	1.075
Himachal Pradesh	0.522
Jammu and Kashmir	1.297
Jharkhand	3.361
Karnataka	4.459
Kerala	2.665
Madhya Pradesh	6.711
Maharashtra	4.997
Manipur	0.362
Meghalaya	0.371
Mizoram	0.239
Nagaland	0.263
Orissa	5.161
Punjab	1.299
Rajasthan	5.609
Sikkim	0.227
Tamil Nadu	5.305
Tripura	0.428
Uttar Pradesh	19.264
Uttaranchal	0.939
West Bengal	7.057

(2) The twenty-nine and one-half per cent. of the net proceeds of the service tax, being the tax referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2005 but ending before the 1st day of April, 2010, shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.453
Arunachal Pradesh	0.292
Assam	3.277
Bihar	11.173
Chhattisgarh	2.689
Goa	0.262
Gujarat	3.616
Haryana	1.089
Himachal Pradesh	0.529
Jharkhand	3.405
Karnataka	4.518
Kerala	2.700
Madhya Pradesh	6.799
Maharashtra	5.063
Manipur	0.367
Meghalaya	0.376
Mizoram	0.242
Nagaland	0.266
Orissa	5.229
Punjab	1.316
Rajasthan	5.683
Sikkim	0.230
Tamil Nadu	5.374
Tripura	0.433
Uttar Pradesh	19.517
Uttaranchal	0.952
West Bengal	7.150

Provided that where in any year the service tax become leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

4. One per cent. of the net proceeds of taxes and duties other than service tax, referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2005 but ending before the 1st day of April, 2010 but not later than the date with effect from which tax rental arrangement under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) is terminated shall be distributed among the States as follows:—

State	Percentage
(1)	(2)
Goa	0.262
Gujarat	3.616
Haryana	1.089
Himachal Pradesh	0.529
Jharkhand	3.405
Karnataka	4.518
Kerala	2.700
Madhya Pradesh	6.799
Maharashtra	5.063
Manipur	0.367
Meghalaya	0.376
Mizoram	0.242
Nagaland	0.266
Orissa	5.229
Punjab	1.316
Rajasthan	5.683
Sikkim	0.230
Tamil Nadu	5.374
Tripura	0.433
Uttar Pradesh	19.517
Uttaranchal	0.952
West Bengal	7.150

Provided that no share shall be payable to a State in a year where that State levies any tax or duty on the sale or purchase of any of the goods described in column (3) of the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957):

Provided further that where in any year the service tax become leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the State of Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to paragraph 4.

6. If in any year during the period 2005-2010, a tax under Union is not leviable in a State, the share of that State in that tax shall be put to zero and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their shares.

7. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2000, shall, as from the 1st day of April, 2005, stand repealed.

8. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(6)/2005-L.I.]
T. K. VISWANATHAN, Secy.

1740 E/105-3



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2005/अग्रहायण 25, 1927

No. 509]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2005/AGRAHAYANA 25, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 719(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 210”

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) दूसरा संशोधन आदेश, 2005

राष्ट्रपति महोदय ने, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया था;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 को प्रवृत्त हो गया था तथा उक्त आदेश के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के निबंधनों के अनुसार इस आदेश को 30 अप्रैल, 1999 तक या ऐसी तारीख तक, जिसे राष्ट्रपति इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, प्रवृत्त रहना था;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने, अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड गठित किए थे;

और राष्ट्रपति महोदय ने, उक्त आदेश के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश सं. 175 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999, 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों के कार्यकाल को 30 अप्रैल, 2004 तक विस्तारित किया था;

और राष्ट्रपति महोदय ने, उक्त आदेश के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश सं. 203 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004, 30 अप्रैल, 2005 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 के अनुसरण में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों के कार्यकाल को 30 अप्रैल, 2005 तक विस्तारित किया था;

और राष्ट्रपति महोदय ने, उक्त आदेश के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश सं. 208 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005, 30 अप्रैल, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल उक्त क्षेत्रों के हित में उक्त विकास बोर्डों को बनाए रखना समीचीन मानते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति महोदय से उक्त आदेश की अवधि को विस्तारित करने का अनुरोध किया है;

अतः, अब राष्ट्रपति महोदय, उक्त आदेश के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(8)/2005-त्रि. 1]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

G.S.R. 719(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 210”

The State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005

Whereas the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order) giving effect to the Resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

And whereas the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it was to remain in force upto the 30th day of April, 1999 or upto such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

And whereas in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra had set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remained in force, that is, upto the 30th day of April, 1999;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 175 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 shall remain in force upto the 30th day of April, 2004;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra upto the 30th day of April, 2004;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 203 that the State of

Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 shall remain in force upto the 30th day of April, 2005;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra upto the 30th day of April, 2005;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 208 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005 shall remain in force upto the 30th day of April, 2006;

And whereas the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on the approval of the State Government of Maharashtra has requested the President to extend the duration of the said Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2010.

A.P. J. ABDUL KALAM,
President

[F.No. 19(8)/2005-L.I]
T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006 सा.का.नि. 194(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :— “सं. आ. 211” संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2006 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :— 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2006 है। 2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है। 3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने तथा नाशकजीव प्रकोप के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—	(1)	(2)
राज्य		रुपये लाख में
(1)	(2)	
1. आन्ध्र प्रदेश		25806.00
2. अरुणाचल प्रदेश		2123.00
3. असम		7239.50
4. बिहार		5584.50
5. छत्तीसगढ़		4190.50
6. गोवा		79.00
7. गुजरात		18450.00
8. हरियाणा		8394.80
9. हिमाचल प्रदेश		7552.00
10. जम्मू-कश्मीर		6484.00
11. झारखंड		9456.00
12. कर्नाटक		8600.00
13. केरल		6413.00
14. मध्य प्रदेश		19067.00
15. महाराष्ट्र		16718.00
16. मेघालय		423.50
17. मिजोरम		247.00
18. नागालैंड		143.50
19. उड़ीसा		22616.00
20. पंजाब		5476.00
21. राजस्थान		31173.00
22. सिक्किम		1315.00
23. तमिलनाडु		7840.50
24. उत्तर प्रदेश		22195.00
25. उत्तरांचल		7102.00
26. पश्चिमी बंगाल		17605.00 :

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2005 को प्रारम्भ

होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2005 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2005 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/06-वि-1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 194(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 211”

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
ORDER, 2006**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2006.

2. The General clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues of each of the State specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Fund for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst and pest attack in the States :—

State	Rupees in lakhs
(1)	2
1. Andhra Pradesh	25806.00
2. Arunachal Pradesh	2123.00
3. Assam	7239.50

(1)	(2)
4. Bihar	5584.50
5. Chhattisgarh	4190.50
6. Goa	79.00
7. Gujarat	18450.00
8. Haryana	8394.80
9. Himachal Pradesh	7552.00
10. Jammu and Kashmir	6484.00
11. Jharkhand	9456.00
12. Karnataka	8600.00
13. Kerala	6413.00
14. Madhya Pradesh	19067.00
15. Maharashtra	16718.00
16. Meghalaya	423.50
17. Mizoram	247.00
18. Nagaland	143.50
19. Orissa	22616.00
20. Punjab	5476.00
21. Rajasthan	31173.00
22. Sikkim	1315.00
23. Tamil Nadu	7840.50
24. Uttar Pradesh	22195.00
25. Uttaranchal	7102.00
26. West Bengal	17605.00

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above :

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under Sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2005.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(1)/2006-L-1]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]
No. 133]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 195(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं० आ० 212”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2, आदेश 2006 है।

2. 'साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी,—

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों के मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	31740.00
असम	5260.00
बिहार	16240.00
छत्तीसगढ़	12300.00
गोवा	180.00
गुजरात	9310.00
हरियाणा	7760.00
हिमाचल प्रदेश	2940.00
जम्मू-कश्मीर	1762.00
कर्नाटक	8880.00
केरल	19700.00
मध्य प्रदेश	33260.00
महाराष्ट्र	19830.00
मणिपुर	211.60
मिजोरम	200.00
नागालैंड	400.00
उड़ीसा	16060.00
पंजाब	3240.00
राजस्थान	24600.00

(1)	(2)
सिक्किम	130.00
तमिलनाडु	17400.00
उत्तर प्रदेश	58560.00
उत्तरांचल	1620.00
पश्चिमी बंगाल	12710.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों को उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	3740.00
असम	550.00
बिहार	1420.00
छत्तीसगढ़	744.63
गुजरात	8280.00
हरियाणा	1820.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
जम्मू-कश्मीर	380.00
कर्नाटक	3230.00
केरल	2980.00
मध्य प्रदेश	7220.00
मणिपुर	90.00
मिजोरम	100.00
नागालैंड	60.00
उड़ीसा	2080.00
पंजाब	1710.00
राजस्थान	4400.00
तमिलनाडु	11440.00
उत्तर प्रदेश	5170.00
उत्तरांचल	340.00
पश्चिमी बंगाल	3930.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों को उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुपयोजित अनुदान अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किए जा सकेंगे।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(2)/06-वि-1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 195(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 212”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 2 ORDER, 2006

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in

column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	31740.00
Assam	5260.00
Bihar	16240.00
Chhattisgarh	12300.00
Goa	180.00
Gujarat	9310.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Jammu and Kashmir	1762.00
Karnataka	8880.00
Kerala	19700.00
Madhya Pradesh	33260.00
Maharashtra	19830.00
Manipur	211.60
Mizoram	200.00
Nagaland	400.00
Orissa	16060.00
Punjab	3240.00
Rajasthan	24600.00
Sikkim	130.00
Tamil Nadu	17400.00
Uttar Pradesh	58560.00
Uttaranchal	1620.00
West Bengal	12710.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants;

(b) each of the State specified in column (1) of the

Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	3740.00
Assam	550.00
Bihar	1420.00
Chhattisgarh	744.63
Gujarat	8280.00
Haryana	1820.00
Himachal Pradesh	160.00
Jammu and Kashmir	380.00
Karnataka	3230.00
Kerala	2980.00
Madhya Pradesh	7220.00
Manipur	90.00
Mizoram	100.00
Nagaland	60.00
Orissa	2080.00
Punjab	1710.00
Rajasthan	4400.00
Tamil Nadu	11440.00
Uttar Pradesh	5170.00
Uttaranchal	340.00
West Bengal	3930.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Urban Local Bodies as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants :

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19 (2)/2006-L. I]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]
No. 134]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 196(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 213"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3, आदेश, 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	271.84
असम	305.67

(1)	(2)
हिमाचल प्रदेश	2164.12
जम्मू-कश्मीर	2458.56
केरल	470.37
मणिपुर	808.39
मेघालय	376.67
मिजोरम	537.19
नागालैंड	993.65
उड़ीसा	488.04
पंजाब	1556.83
सिक्किम	66.81
त्रिपुरा	1041.91
उत्तरांचल	1112.91
पश्चिमी बंगाल	2438.90

(2) उप-पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए सिफारिश की गई रकम है।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त निर्देश निबंधन के संबंध में अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदान के 15 प्रतिशत को रोक कर और उतना ही अंशदान केंद्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे। सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सहायता अनुदान को, चालू वर्ष के दौरान राज्यों के राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से निर्मुक्त किया गया था :—

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
असम	68.33
छत्तीसगढ़	75.77
जम्मू-कश्मीर	360.15
झारखंड	62.52
कर्नाटक	68.92
उड़ीसा	51.62
राजस्थान	146.27
त्रिपुरा	151.37
उत्तरांचल	12.00

(4) उप-पैरा (1) और उप-पैरा (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19/(3)/06-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 196 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 213”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 3 ORDER, 2006

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues to each of the State specified in column

(1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in crores
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	271.84
Assam	305.67
Himachal Pradesh	2164.12
Jammu and Kashmir	2458.56
Kerala	470.37
Manipur	808.39
Meghalaya	376.67
Mizoram	537.19
Nagaland	993.65
Orissa	488.04
Punjab	1556.83
Sikkim	66.81
Tripura	1041.91
Uttaranchal	1112.91
West Bengal	2438.90

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year 2005-06.

(3) The Eleventh Finance Commission in its report on the additional term of reference had recommended withholding of 15 per cent of the grant recommended to the States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States. The grants-in-aid specified against it in each of the column (2) of the Table below against each State were released during the current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States :—

State	Rupees in crores
(1)	(2)
Assam	68.33
Chhattisgarh	75.77
Jammu and Kashmir	360.15
Jharkhand	62.52
Karnataka	68.92
Orissa	51.62
Rajasthan	146.27
Tripura	151.37
Uttaranchal	12.00

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
PRESIDENT.

[F. No. 19(3)/2006-L1]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]
No. 135]नई दिल्ली, शुक्रेवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 197(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 214”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट

राशियां शिक्षा सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात्:—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	18320.00
बिहार	44399.00
झारखंड	10782.00
मध्य प्रदेश	7603.00
उड़ीसा	5345.50
राजस्थान	2000.00
उत्तर प्रदेश	73687.00
पश्चिमी बंगाल	3241.50

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।[फा. सं. 19 (4)/20/06-वि.-1]
के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 197(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 214”**The Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2006**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues to each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the

said Table, towards expenditure on education sector, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	18320.00
Bihar	44399.00
Jharkhand	10782.00
Madhya Pradesh	7603.00
Orissa	5345.50
Rajasthan	2000.00
Uttar Pradesh	73687.00
West Bengal	3241.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM.
President.

[F. No. 19(4)/2006-L-1]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928

No. 136]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 198(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 215

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट

राशियां स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारत होंगी, अर्थात्:—

सारणी

राज्य	रूपए लाख में
(1)	(2)
असम	15358
बिहार	28930
झारखंड	5739
मध्य प्रदेश	2888
उड़ीसा	3122
उत्तर प्रदेश	36763
उत्तरांचल	1000

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(5)/06-वि. I]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

TABLE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi the 31st March, 2006

G.S.R. 198(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 215

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
NO. 5 ORDER, 2006

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) No. 5 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues to each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure on health sector, namely:—

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	15358
Bihar	28930
Jharkhand	5739
Madhya Pradesh	2888
Orissa	3122
Uttar Pradesh	36763
Uttaranchal	1000

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,

President.”

[F.No. 19(5)2006-L.1]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]
No. 137]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 199(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 216"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6, आदेश 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में मिजोरम राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, आसन्न बांस के पुष्पण से उद्भूत कृतकों की समस्या से निपटने के लिए राज्य-विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर व्यय के मद्दे 1000 लाख रुपये की राशि भारत को संचित निधि पर भारित होगी :

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्य सरकार द्वारा राज्य-विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए विरचित उन कार्यक्रमों पर व्यय की जाएंगी जो राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित हैं :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है, तो इस प्रकार आधिक्य में संदत्त रकम ऐसी किसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा जो राज्य सरकार को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी आगामी वर्ष में संदेय हो।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(6)/2006-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006.

G.S.R. 199(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 216”**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 6 ORDER, 2006**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) No. 6 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act..

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues to the State of Mizoram the sum of rupees 1000 lakhs towards expenditure on State-specific Needs for tackling the problem of rodents arising out of impending bamboo flowering :

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State-specific Needs and approved by High Level Committee of the State :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the State under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No 19(6)/2006-I. 1]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928

No. 138]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 200(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 217”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 7, आदेश 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट राशियों वनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

राज्य	रुपये लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	650
अरुणाचल प्रदेश	2000
असम	800
बिहार	100
छत्तीसगढ़	1700
गोवा	60
गुजरात	400
हरियाणा	40
हिमाचल प्रदेश	400
जम्मू-कश्मीर	600
झारखंड	300
कर्नाटक	1100
केरल	500
मध्य प्रदेश	2300
महाराष्ट्र	700
मणिपुर	600
मेघालय	300
मिजोरम	500
नागालैंड	500

(1)	(2)	TABLE	
		State	Rupees in lakhs
		(1)	(2)
उड़ीसा	1500	Andhra Pradesh	650
पंजाब	40	Arunachal Pradesh	2000
राजस्थान	500	Assam	800
सिक्किम	160	Bihar	100
तमिलनाडु	600	Chhattisgarh	1700
त्रिपुरा	150	Goa	60
उत्तर प्रदेश	400	Gujarat	400
उत्तरांचल	700	Haryana	40
पश्चिमी बंगाल	300	Himachal Pradesh	400

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(7)/06-वि.1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 200(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 217”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 7 ORDER, 2006

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2006.

2. The General clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues to each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of forests, namely :—

Jammu and Kashmir	600
Jharkhand	300
Karnataka	1100
Kerala	500
Madhya Pradesh	2300
Maharashtra	700
Manipur	600
Meghalaya	300
Mizoram	500
Nagaland	500
Orissa	1500
Punjab	40
Rajasthan	500
Sikkim	160
Tamil Nadu	600
Tripura	150
Uttar Pradesh	400
Uttaranchal	700
West Bengal	300

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(7)/2006-L.1]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 145]
No. 145]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007	(1)	(2)
सा.का.नि. 245(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :- “सं. आ. 218 संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2007 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :- 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2007 है । 2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है । 3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :- सारणी	असम बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश	8253.00 7734.00 3280.00 987.00 11190.00 4568.00 6541.00 1471.00 5113.00 36453.00 16058.00 14672.00 29742.00 1924.00 2160.00 1053.00 3022.00 36877.00 10524.00 15833.00 233.00 30360.00 1537.00 60079.00
राज्य	रुपए लाख में	
(1)	(2)	
आंध्र प्रदेश	12251.50	
अरुणाचल प्रदेश	554.50	

(1)	(2)	(1)	(2)
उत्तराखंड	8114.00	Assam	8253.00
पश्चिमी बंगाल	5161.50	Bihar	7734.00
(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।		Chhattisgarh	3280.00
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति।”		Goa	987.00
		Gujarat	11190.00
		Haryana	4568.00
		Himachal Pradesh	6541.00
[फा. सं. 19(2)/2007-वि. 1]		Jammu and Kashmir	1471.00
के. एन. चतुर्वेदी, सचिव		Jharkhand	5113.00
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE		Karnataka	36453.00
(Legislative Department)		Kerala	16058.00
NOTIFICATION		Madhya Pradesh	14672.00
New Delhi, the 28th March, 2007		Maharashtra	29742.00
G.S.R. 245(E). —The following Order made by the President is published for general information :—		Manipur	1924.00
“C.O. 218		Meghalaya	2160.00
THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)		Mizoram	1053.00
ORDER, 2007		Nagaland	3022.00
In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—		Orissa	36877.00
1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2007.		Punjab	10524.00
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.		Rajasthan	15833.00
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of roads and bridges, namely :—		Sikkim	233.00
		Tamil Nadu	30360.00
		Tripura	1537.00
		Uttar Pradesh	60079.00
		Uttarakhand	8114.00
		West Bengal	5161.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

TABLE

State	Rupes in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	12251.50
Arunachal Pradesh	554.50

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.”

[F. No. 19(2)/2007-Leg. I]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 146]
No. 146]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007	(1)	(2)
सा.का.नि. 246(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :- “सं. आ. 219	असम	800.00
संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 2007	बिहार	100.00
राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-	छत्तीसगढ़	1700.00
1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 2007 है।	गोवा	60.00
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।	गुजरात	400.00
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, वनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-	हरियाणा	40.00
	हिमाचल प्रदेश	400.00
	जम्मू कश्मीर	600.00
	झारखंड	900.00
	कर्नाटक	1100.00
	केरल	489.95
	मध्य प्रदेश	2300.00
	मणिपुर	600.00
	मेघालय	600.00
	मिजोरम	500.00
	नागालैंड	500.00
	उड़ीसा	1500.00
	राजस्थान	500.00
	सिक्किम	160.00
	तमिलनाडु	600.00
	त्रिपुरा	300.00
	उत्तर प्रदेश	400.00
	उत्तराखंड	700.00
	पश्चिमी बंगाल	300.00
	सारणी	
	राज्य	रुपए लाख में
	(1)	(2)
	आंध्र प्रदेश	1950.00
	अरुणाचल प्रदेश	2000.00

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा.सं. 19(3)/2007-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 246(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 219

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 2 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of forests, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1950.00
Arunachal Pradesh	2000.00
Assam	800.00

(1)	(2)
Bihar	100.00
Chhattisgarh	1700.00
Goa	60.00
Gujarat	400.00
Haryana	40.00
Himachal Pradesh	400.00
Jammu and Kashmir	600.00
Jharkhand	900.00
Karnataka	1100.00
Kerala	489.95
Madhya Pradesh	2300.00
Manipur	600.00
Meghalaya	600.00
Mizoram	500.00
Nagaland	500.00
Orissa	1500.00
Rajasthan	500.00
Sikkim	160.00
Tamil Nadu	600.00
Tripura	300.00
Uttar Pradesh	400.00
Uttarakhand	700.00
West Bengal	300.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.”

[F.No. 19(3)/2007-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929

No. 147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.पि. 247(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

‘सं. आ. 220

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2007 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	17124.00
बिहार	32257.00
झारखंड	3199.50
मध्य प्रदेश	3220.00
उड़ीसा	3481.00
उत्तर प्रदेश	40990.00
उत्तराखंड	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(4)/2007-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 247(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 220

The Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2007.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure on health sector, namely :—

TABLE

State	Rupces in lakhs
(1)	(2)
Assam	17124.00
Bihar	32257.00
Jharkhand	3199.50
Madhya Pradesh	3220.00
Orissa	3481.00
Uttar Pradesh	40990.00
Uttarakhand	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.”

[F. No. 19(4)/2007-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929.

No. 148]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधावी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.वि. 248 (अ).-राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

“सं. आ. 221

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2007

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2007 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अग्रेल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, “विरासत संरक्षण”-ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए तथा इन स्थलों पर परिदर्शन को सुकर बनाने के

लिए पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए भी व्यय मददे भारत की संघित निधि पर भारित होंगी, अर्थात्:-

सारणी

राज्य	रुपये लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1000.00
अरुणाचल प्रदेश	125.00
असम	450.68
बिहार	897.00
छत्तीसगढ़	250.00
गुजरात	625.00
हरियाणा	375.00
हिमाचल प्रदेश	250.00
जम्मू-कश्मीर	250.00
झारखंड	250.00
कर्नाटक	1250.00
केरल	625.00
मध्य प्रदेश	500.00
महाराष्ट्र	1250.00
मणिपुर	125.00
मेघालय	125.00
मिजोरम	125.00

(1)	(2)
नागालैंड	125.00
उड़ीसा	1250.00
पंजाब	250.00
राजस्थान	1250.00
सिक्किम	125.00
तमिलनाडु	1000.00
त्रिपुरा	125.00
उत्तर प्रदेश	1250.00
उत्तराखण्ड	125.00
पश्चिमी बंगाल	1000.00

(2) उप परा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(5)/2007-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 248(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O.221

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 4 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2007.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards

expenditure for “Heritage conservation”-preservation and protection of historical monuments, archeological sites, public libraries, museums and archives, and also for improving the tourist infrastructure to facilitate visit to these sites, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1000.00
Arunachal Pradesh	125.00
Assam	450.68
Bihar	897.00
Chhattisgarh	250.00
Gujarat	625.00
Haryana	375.00
Himachal Pradesh	250.00
Jammu and Kashmir	250.00
Jharkhand	250.00
Karnataka	1250.00
Kerala	625.00
Madhya Pradesh	500.00
Maharashtra	1250.00
Manipur	125.00
Meghalaya	125.00
Mizoram	125.00
Nagaland	125.00
Orissa	1250.00
Punjab	250.00
Rajasthan	1250.00
Sikkim	125.00
Tamil Nadu	1000.00
Tripura	125.00
Uttar Pradesh	1250.00
Uttarakhand	125.00
West Bengal	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) article of 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.”

[F. No. 19(5)/2007-Leg.1]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 149]
No. 149]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय (विद्यापी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007 सा.का.नि. 249(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :- ‘सं. आ. 222 संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2007 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :- 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2007 है । 2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है । 3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यय मदें भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-	सारणी	
	राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
आन्ध्र प्रदेश	12500.00	
अरुणाचल प्रदेश	250.00	
असम	425.00	
बिहार	11947.00	
छत्तीसगढ़	7740.00	
गोवा	250.00	
गुजरात	5000.00	
हरियाणा	2500.00	
हिमाचल प्रदेश	2876.00	
जम्मू कश्मीर	2250.00	
कर्नाटक	19320.00	
केरल	14330.00	
मध्य प्रदेश	7500.00	
महाराष्ट्र	7500.00	
मणिपुर	862.50	
मेघालय	1200.00	
मिजोरम	1500.00	
नागालैंड	1975.00	
उड़ीसा	4050.00	
राजस्थान	10600.00	
तमिलनाडु	7500.00	
उत्तर प्रदेश	4021.40	

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान को रकम से कम है तो इस प्रकार संदत्त अधिक रकम, ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी, जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संबद्ध राज्य सरकार को संदेय हो सकती है।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा.सं. 19(6)/2007-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 249(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 222

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 5 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the

said Table, towards expenditure for State specific Needs, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	12500.00
Arunachal Pradesh	250.00
Assam	425.00
Bihar	11947.00
Chhattisgarh	7740.00
Goa	250.00
Gujarat	5000.00
Haryana	2500.00
Himachal Pradesh	2876.00
Jammu and Kashmir	2250.00
Karnataka	19320.00
Kerala	14330.00
Madhya Pradesh	7500.00
Maharashtra	7500.00
Manipur	862.50
Meghalaya	1200.00
Mizoram	1500.00
Nagaland	1975.00
Orissa	4050.00
Rajasthan	10600.00
Tamil Nadu	7500.00
Uttar Pradesh	4021.40

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State Specific Needs and approved by the High Level Committee of the State :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programmes as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the concerned State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.”

[F.No. 19(6)/2007-Leg. I]
K.N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]
No. 150]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधानी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.कान.नि. 250(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 223

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2007 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ल फटने तथा नाशकजीव प्रकोप के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :-

राज्य	रुपये लाख में
(1)	(2)
अंध्र प्रदेश	33548.00
अरुणाचल प्रदेश	2184.00
असम	22136.50
बिहार	5584.50
छत्तीसगढ़	15032.50
गोवा	245.00
गुजरात	24686.50
हरियाणा	10728.20
हिमाचल प्रदेश	7770.00
जम्मू-कश्मीर	6672.00
झारखंड	4864.00
कर्नाटक	11398.00
केरल	6733.00
मध्य प्रदेश	24667.00
महाराष्ट्र	20000.00
मेघालय	1294.50
मिजोरम	501.00
उड़ीसा	29134.00
पंजाब	11226.00
राजस्थान	41366.00
तमिलनाडु	24305.50
त्रिपुरा	1460.00
उत्तर प्रदेश	22836.00
उत्तराखंड	3822.00
पश्चिमी बंगाल	18112.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, सविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2006 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(7)/2007-वि.1]
के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 250(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 223

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 6 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Fund for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst and pest attack in the States :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	33548.00
Arunachal Pradesh	2184.00
Assam	22136.50
Bihar	5584.50
Chhattisgarh	15032.50
Goa	245.00
Gujarat	24686.50
Haryana	10728.20
Himachal Pradesh	7770.00
Jammu and Kashmir	6672.00
Jharkhand	4864.00
Karnataka	11398.00
Kerala	6733.00
Madhya Pradesh	24667.00
Maharashtra	22000.00
Meghalaya	1294.50
Mizoram	501.00
Orissa	29134.00
Punjab	11226.00
Rajasthan	41366.00
Tamil Nadu	24305.50
Tripura	1460.00
Uttar Pradesh	22836.00
Uttarakhand	3622.00
West Bengal	18112.00

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above :

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2006.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.”

[F. No. 19(7)/2007-Leg. I]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 151]
No. 151]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.नि. 251(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 224

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 7 आदेश, 2007 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, शिक्षा सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित विधि पर धारित होंगी, अर्थात् :-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	20060.00
बिहार	48617.00
झारखंड	5903.00
मध्य प्रदेश	8325.00
उड़ीसा	5857.00
राजस्थान	2000.00
उत्तर प्रदेश	80687.00
पश्चिमी बंगाल	3549.50

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा.सं. 19(8)/2007-वि. 1]
के.एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 251(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

"C.O. 224

TABLE

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 7 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure on education sector, namely:—

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	20060.00
Bihar	48617.00
Jharkhand	5903.00
Madhya Pradesh	8325.00
Orissa	5857.00
Rajasthan	2000.00
Uttar Pradesh	80687.00
West Bengal	3549.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

A.P.J. ABDULKALAM,
President."

[F.No. 19(8)/2007-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 152]
No. 152]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.कां.नि. 252(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं.आ. 225

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 8 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 8 आदेश, 2007 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपय लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	6064.00
अरुणाचल प्रदेश	717.50
असम	2883.00
बिहार	8990.00
छत्तीसगढ़	2289.00
गोवा	605.00
गुजरात	2545.00
हरियाणा	1897.50
हिमाचल प्रदेश	3690.00
जम्मू-कश्मीर	2057.00
झारखंड	1995.00
कर्नाटक	2564.00
केरल	2588.00
मध्य प्रदेश	11076.00
महाराष्ट्र	5890.00
मणिपुर	942.00
मेघालय	875.00
मिजोरम	291.00
नागालैंड	577.00
उड़ीसा	4864.00
पंजाब	1897.50

(1)	(2)	TABLE	
		State	Rupees in Lakhs
		(1)	(2)
राजस्थान	5327.00	Andhra Pradesh	6064.00
सिक्किम	402.00	Arunachal Pradesh	717.50
तमिलनाडु	6064.00	Assam	2883.00
त्रिपुरा	1253.00	Bihar	8990.00
उत्तर प्रदेश	7503.50	Chhattisgarh	2289.00
उत्तराखंड	2440.00	Goa	605.00
पश्चिमी बंगाल	4530.00	Gujarat	2545.00
		Haryana	1897.50
		Himachal Pradesh	3690.00
		Jammu and Kashmir	2057.00
		Jharkhand	1995.00
		Karnataka	2564.00
		Kerala	2588.00
		Madhya Pradesh	11076.00
		Maharashtra	5590.00
		Manipur	942.00
		Meghalaya	875.00
		Mizoram	291.00
		Nagaland	577.00
		Orissa	4864.00
		Punjab	1897.50
		Rajasthan	5327.00
		Sikkim	402.00
		Tamil Nadu	6064.00
		Tripura	1253.00
		Uttar Pradesh	7503.50
		Uttarakhand	2440.00
		West Bengal	4530.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(9)/2007-वि. I]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 252(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 225

The Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of Public buildings, namely :—

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.”

[F.No. 19(9)/2007-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]
No. 153]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.वि. 253(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

सं.आ. 226

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 9 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 9 आदेश, 2007 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात्:-

सारणी

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	262.94
हिमाचल प्रदेश	2107.14
जम्मू-कश्मीर	2446.64
मणिपुर	841.17
मेघालय	359.02
मिजोरम	556.52
नागालैंड	1037.66
पंजाब	922.64
सिक्किम	47.06
त्रिपुरा	1064.30
उत्तराखण्ड	1064.30
पश्चिमी बंगाल	605.82

(2) उप पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियाँ, बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए सिफारिश की गई रकम है।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए सिफारिश किए गए गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान के 15 प्रतिशत को रोकने और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के

आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु राज्य को वर्ष के दौरान प्रोत्साहन निधि से 2004-05 के दौरान राज्य के राजवितीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि में केन्द्र के अंशदान के रूप में 96.92 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

(4) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(10)/2007-वि. 1]

के.एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R.253(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 226

The Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commissions, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in Crore
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	262.94
Himachal Pradesh	2107.14
Jammu and Kashmir	2446.64
Manipur	841.17
Meghalaya	359.02
Mizoram	556.52
Nagaland	1037.66
Punjab	922.64
Sikkim	47.06
Tripura	1064.30
Uttarakhand	1064.30
West Bengal	605.82

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year 2006-07.

(3) The Eleventh Finance Commission in its report on the additional terms of reference had recommended withholding of 15 per cent of the non-plan revenue deficit grant recommended to the States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants were required to be released to all the States. During the year Rs. 96.92 crore was released to State of Tamil Nadu from the Incentive Fund based on the fiscal performance of State during 2004-05 as Centre's contribution to the Incentive Fund.

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDULKALAM,
President.”

[F. No. 19(10)/2007-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 154]
No. 154]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधाकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.क्र.वि. 254(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं.अ. 227

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 10 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 10 आदेश, 2007 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भारित होगी,-

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान मुद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां:-

राज्य.	रुपय लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	15870.00
अरुणाचल प्रदेश	600.00
बिहार	32480.00
छत्तीसगढ़	12300.00
गुजरात	18620.00
हरियाणा	7760.00
हिमाचल प्रदेश	2940.00
जम्मू-कश्मीर	3523.94
कर्णाटक	26640.00
केरल	19700.00
मध्य प्रदेश	33260.00
महाराष्ट्र	39660.00
मणिपुर	423.20
मेघालय	1500.00
मिजोरम	600.00
नागालैंड	800.00
उड़ीसा	16060.00
पंजाब	6400.00
राजस्थान	24600.00
तमिलनाडु	17400.00

(1)	(2)
त्रिपुरा	570.00
उत्तर प्रदेश	29280.00
उत्तराखण्ड	3240.00
पश्चिमी बंगाल	25420.00 :

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के योग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके समाने विनिर्दिष्ट राशियां :-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7480.00
बिहार	2840.00
छत्तीसगढ़	1015.37
गोवा	240.00
गुजरात	4140.00
हरियाणा	1820.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
जम्मू-कश्मीर	760.00
कर्नाटक	9690.00
केरल	2980.00
मध्य प्रदेश	7220.00
महाराष्ट्र	23730.00
मणिपुर	180.00
मेघालय	240.00
मिजोरम	300.00
नागालैंड	120.00
उड़ीसा	1040.00
पंजाब	3420.00
राजस्थान	2200.00
तमिलनाडु	11440.00
त्रिपुरा	80.00
उत्तर प्रदेश	10340.00

(1)	(2)
उत्तराखण्ड	680.00
पश्चिमी बंगाल	7860.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी:

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुपयोजित अनुदान अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा;

(ग) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां:-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
बिहार	10875.00
कर्नाटक	6805.00
मध्य प्रदेश	5054.00
महाराष्ट्र	6567.00
तमिलनाडु	2655.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी:

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(11)/2007-वि.1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 254(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O.227

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 10 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commissions, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	15870.00
Arunachal Pradesh	680.00
Bihar	32480.00
Chhattisgarh	12300.00
Gujarat	18620.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Jammu and Kashmir	3523.94
Karnataka	26640.00
Kerala	19700.00
Madhya Pradesh	33260.00
Maharashtra	39660.00
Manipur	423.20
Meghalaya	1500.00
Mizoram	600.00

(1)	(2)
Nagaland	800.00
Orissa	16660.00
Punjab	6480.00
Rajasthan	24600.00
Tamil Nadu	17400.00
Tripura	570.00
Uttar Pradesh	29280.00
Uttarakhand	3240.00
West Bengal	25420.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums following to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants:

(b) Each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7480.00
Bihar	2840.00
Chhattisgarh	1015.37
Goa	240.00
Gujarat	4140.00
Haryana	1820.00
Himachal Pradesh	160.00
Jammu and Kashmir	760.00
Karnataka	9690.00
Kerala	2980.00
Madhya Pradesh	7220.00
Maharashtra	23730.00
Manipur	180.00
Meghalaya	240.00
Mizoram	300.00
Nagaland	120.00
Orissa	1040.00
Punjab	3420.00

(1)	(2)
Tamil Nadu	11440.00
Tripura	80.00
Uttar Pradesh	10340.00
Uttarakhand	680.00
West Bengal	7860.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums following to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Twelfth Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants :

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year;

(c) Each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions :

TABLE	
State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Bihar	10875.00
Karnataka	6805.00
Madhya Pradesh	5054.00
Maharashtra	6567.00
Tamil Nadu	2655.00 :

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums following to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions in terms of the recommendations of the Eleventh Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants;

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President."

[F.No. 19(11)/2007-Leg. I]
K.N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.नि. 255(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं.आ. 228

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 11 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 11 आदेश, 2007 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के चिह्नचक्र के लिए इसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) से स्तंभ (14) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, उन स्तंभों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को उन्नत करने और “विशेष समस्याओं” के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए, भारत की सचिव निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को उन्नत करने के लिए

राज्य	कृषि प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जल प्रशासन	अग्नि	न्यायिक	सचिवीय प्रशासन	स्वस्थ	प्रौद्योगिक शिक्षा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	सर्वजनिक पुस्तकालय	विद्युत संरक्षण	वार्षिक जल स्तरों की वृद्धि	विशेष समस्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंध्र प्रदेश		49.50		167.67	85.03		180.00				38.92	427.40	598.76
असम		-42.54	74.73		58.90	-150.62	-32.10	99.20	73.90	-56.31	25.00	183.34	538.43
गुजरात		-717.59	34.18	-13.57	879.12		720.00		642.64		181.69		280.96
हरियाणा		-42.96	28.86	100.00	-114.87	-9.15	381.58	-20.70	-101.51		-201.10	140.08	
हिमाचल प्रदेश		-52.57	-18.40	-102.61	36.41	-0.01	538.00	-1.20	-15.54		48.00	99.00	110.97
कर्नाटक	880.61	48.63		112.73	-1049.73	-875.05	525.00	420.55	186.21	-63.40	34.86	434.47	1000.00

(रु. लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(रु. लाख में)
केरल		243.64	18.39	27.48	72.95		83.59	10.00		11.61			500.00
मेघालय		203.10	33.94	9.67	-43.36		49.96	8.00	270.73	153.54	20.97	39.80	-606.60
मिजोरम	85.00	39.95	39.66	10.00	10.00		104.06	10.00	34.40	168.63	10.00	38.00	718.90
उड़ीसा		109.96			-650.88		969.17			70.00	100.00		
राजस्थान		126.26	-18.80				710.27	227.15	673.32		443.33	-1.05	442.50
सिक्किम		50.19	-10.00		29.70	20.02	30.00	21.30	110.87	18.00	0.05	-46.17	827.55
तमिलनाडु	440.00	55.32	-6.68		260.10		621.92	48.20			100.00		
उत्तर प्रदेश	909.07	166.07	-3.06	20.44	440.50		1140.50	-16.75	1789.38		119.86	-42.75	-5.59

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ, ऊपर विनिर्दिष्ट सैक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित उन्नयन और मानकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी ;

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदेय राशि का किसी ऐसी राशि या राशियों के संबंध में जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(12)/2007-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 255(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 228

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 11 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Eleventh Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (14) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and “special problems” relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely :—

TABLE

FOR UPGRADATION OF STANDARDS RELATING TO THE FOLLOWING SECTIONS

State	District Administration	Police Administration	Jail Administration	Fire	Judicial	Fiscal Administration	Health Administration	Elementary Education	Computer Training	Public Libraries	Heritage Protection	Augmentation of Traditional Water Sources	Special Problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(Rupees in lakhs)						
Andhra Pradesh	49.50		167.67	85.03			180.00				38.92	427.40	598.76
Assam	-32.54	74.73		58.90	-150.62	-32.10	99.20	73.90	-56.31	25.00		183.34	538.43
Gujarat	717.59	34.18	-13.57	879.12		720.00		642.64		181.69			280.96
Haryana	-42.96	28.86	100.00	-114.87	-9.15	381.58	-20.70	-101.51		-201.10		140.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(Rupees in lakhs)
Himachal Pradesh		-52.57	-18.40	-102.61	36.41	-0.01	538.00	-1.20	-15.54		40.00	99.00	110.97
Karnataka	886.61	48.63		112.73	-1049.73	-875.05	525.00	420.55	186.21	-63.40	34.86	434.47	1000.00
Kerala		243.64	18.39	27.48	72.95		-83.59	10.00		11.61			500.00
Meghalaya		203.10	33.94	9.67	-43.36		49.96	8.00	270.73	153.54	20.97	39.80	-606.60
Mizoram	85.00	39.95	39.66	10.00	10.00		104.06	10.00	34.40	168.63	10.00	38.00	718.90
Orissa		109.96			-650.88		969.17			70.00	100.00		
Rajasthan		126.26	-18.80				710.27	-227.15	673.32		443.33	-1.05	442.50
Sikkim		50.19	-10.00		-29.70	-20.02	30.00	-21.30	-110.87	18.00	-0.05	-46.17	827.55
Tamil Nadu	440.00	-55.32	-6.68		260.10		621.92	48.20			100.00		
Uttar Pradesh	-909.07	166.07	-3.06	20.44	440.50		-1140.50	-16.75	1789.38		119.86	-42.75	-5.59

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for up-gradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the State Level Empowered Committees:

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme relating to any administration as revealed in the accounts of the year ending on the 31st March, 2005 is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President

[F.No. 19(12)/2007-Log. I]
K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

No. 180]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007/चैत्र 21, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2007/CHAITRA 21, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 285(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 229”

अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 को, जहां तक इसका संबंध झारखंड राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से है, विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनःपरिभाषित किया जाता है:—

झारखंड

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला

5. लातेहार जिला

6. पूर्वी-सिंहभूम जिला

7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला

8. सरायकेला-खरसावां जिला

9. साहेबगंज जिला

10. दुमका जिला

11. पाकुर जिला

12. जामतारा जिला

13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें

14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक

15. गोड्डा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

स्पष्टीकरण :—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त क्षेत्र वही हैं, चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारा जाए, जो सं. आ. 109 [अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977], तारीख 31 दिसम्बर, 1977 द्वारा तत्कालीन बिहार राज्य के भाग के रूप में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित किए गए हैं।

3. पूर्ववर्ती पैरा में प्रादेशिक खंड, उसे चाहे किसी नाम से उपदर्शित किया गया हो, किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारंभ पर उस नाम से विद्यमान प्रादेशिक खंड के प्रतिनिर्देश है।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(8)/2006-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2007

G.S.R. 285(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 229”

**The Scheduled Areas (State of Jharkhand)
Order, 2007**

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003 in so far as it relates to the areas now comprised in the State of Jharkhand and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely :

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007.
- (2) It shall come into force at once.
2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Jharkhand :—

JHARKHAND

1. Ranchi District
2. Lohardaga District
3. Gumla District
4. Simdega District

5. Latehar District
6. East-Singhbhum District
7. West-Singhbhum District
8. Saraikela-Kharsawan District
9. Sahebganj District
10. Dumka District
11. Pakur District
12. Jamtara District
13. Palamu District— Rabda and Bakoria Panchayats of Satharwa Block
14. Garhwa District—Bhandaria Block
15. Godda District—Sunderpahari and Boarjior Blocks.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the said areas are the same, by whatever name called, as were notified as Scheduled Areas as part of the erstwhile State of Bihar *vide* C.O. 109 [the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977], dated the 31st December, 1977.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(8)/2006-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]
No. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 242(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 230

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2008 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भरित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	293.07
हिमाचल प्रदेश	2120.96
जम्मू-कश्मीर	2552.18
मणिपुर	889.10
मेघालय	393.24
मिजोरम	605.17
नागालैंड	1124.44
पंजाब	653.20
सिक्किम	52.86
त्रिपुरा	1122.91
उत्तराखण्ड	1115.02

(2) उप-पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए सिफारिश की गई रकम है।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(3)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 242(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 230

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in Crore
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	293.07
Himachal Pradesh	2120.96
Jammu and Kashmir	2552.18
Manipur	889.10
Meghalaya	393.24
Mizoram	605.17
Nagaland	1124.44
Punjab	653.20
Sikkim	52.86
Tripura	1122.91
Uttarakhand	1115.02

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year 2007-08.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(3)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]
No. 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 240(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 231

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2008 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट

राशियां शिक्षा सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	10983.00
बिहार	26618.00
झारखंड	6464.00
मध्य प्रदेश	9116.00
उड़ीसा	6413.00
राजस्थान	1000.00
उत्तर प्रदेश	44176.00
पश्चिमी बंगाल	3886.50

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति ।” ।

[फा. सं. 19(1)/2008-विधायी-I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 240(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 231**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 2 ORDER, 2008**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2008.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table

below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on education sector, namely :

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	10983.00
Bihar	26618.00
Jharkhand	6464.00
Madhya Pradesh	9116.00
Orissa	6413.00
Rajasthan	1000.00
Uttar Pradesh	44176.00
West Bengal	3886.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”.

[F. No. 19(1)/2008-Leg.-I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]
No. 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 243(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 232

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2008 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट

राशियां स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	9546.50
बिहार	17983.00
झारखंड	10334.50
मध्य प्रदेश	3590.00
उड़ीसा	1940.50
उत्तर प्रदेश	22852.00
उत्तराखंड	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,

राष्ट्रपति।”।

[फा. सं. 19(4)/2008-विधायी-1]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 243(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 232

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to

each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on health sector, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	9546.50
Bihar	17983.00
Jharkhand	10334.50
Madhya Pradesh	3590.00
Orissa	1940.50
Uttar Pradesh	22852.00
Uttarakhand	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President”.

[F. No. 19(4)/2008-Leg-I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]
No. 168]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008	(1)	(2)
सा.का.नि. 248(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:— “सं. आ. 233 संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 2008 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात्:— 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 2008 है । 2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है । 3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :— सारणी	गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैण्ड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी बंगाल	33570.00 4568.00 6541.00 1471.00 5113.00 36453.00 16058.00 14672.00 14871.00 962.00 2160.90 1053.00 3022.00 36877.00 5262.00 15833.00 233.00 30360.00 1537.00 60079.00 4057.00 15484.50
	(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी । प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।”।	
	[फा. सं. 19(9)/2008-विधायी I] के. डी. सिंह, सचिव	
राज्य	रुपए लाख में	
(1)	(2)	
आन्ध्र प्रदेश	36754.50	
अरुणाचल प्रदेश	554.50	
असम	4126.50	
बिहार	7734.00	
छत्तीसगढ़	3280.00	
गोवा	987.00	

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 248 (E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 233**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 4 ORDER, 2008**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of roads and bridges, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	36754.50
Arunachal Pradesh	554.50
Assam	4126.00
Bihar	7734.00
Chhattisgarh	3280.00

(1)	(2)
Goa	987.50
Gujarat	33570.00
Haryana	4568.00
Himachal Pradesh	6541.00
Jammu and Kashmir	1471.00
Jharkhand	5113.00
Karnataka	36453.00
Kerala	16058.00
Madhya Pradesh	14672.00
Maharashtra	14871.00
Manipur	962.00
Meghalaya	2160.90
Mizoram	1053.00
Nagaland	3022.00
Orissa	36877.00
Punjab	5262.00
Rajasthan	15833.00
Sikkim	233.00
Tamil Nadu	30360.00
Tripura	1537.00
Uttar Pradesh	60079.00
Uttarakhand	4057.00
West Bengal	15484.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(9)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]
No. 161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 241(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 234

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 5 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 5 आदेश, 2008 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	6063.00
अरुणाचल प्रदेश	2152.50
असम	2883.00
बिहार	4495.00
छत्तीसगढ़	2288.50
गोवा	302.50
गुजरात	2545.00
हरियाणा	1897.50
हिमाचल प्रदेश	3690.00
जम्मू-कश्मीर	2057.00
झारखंड	5985.00
कर्नाटक	7692.00
केरल	2588.00
मध्य प्रदेश	11076.00
महाराष्ट्र	2795.00
मणिपुर	943.00
मेघालय	438.00
मिजोरम	873.00
नागालैण्ड	577.50
उड़ीसा	14592.00
पंजाब	1897.50
राजस्थान	5327.00
सिक्किम	401.50

(1)	(2)
तमिलनाडु	3031.50
त्रिपुरा	626.50
उत्तर प्रदेश	7503.50
उत्तराखण्ड	1220.00
पश्चिमी बंगाल	2265.50

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”।

[फा.सं. 19(2)/2008-विधायी-I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 241 (E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“ C. O. 234

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 5 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of public buildings namely :—

TABLE	
State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	6063.00
Arunachal Pradesh	2152.50
Assam	2883.00
Bihar	4495.00
Chhattisgarh	2288.50
Goa	302.50
Gujarat	2545.00
Haryana	1897.50
Himachal Pradesh	3690.00
Jammu and Kashmir	2057.00
Jharkhand	5985.00
Karnataka	7692.00
Kerala	2588.00
Madhya Pradesh	11076.00
Maharashtra	2795.00
Manipur	943.00
Meghalaya	438.00
Mizoram	873.00
Nagaland	577.50
Orissa	14592.00
Punjab	1897.50
Rajasthan	5327.00
Sikkim	401.50
Tamil Nadu	3031.50
Tripura	626.50
Uttar Pradesh	7503.50
Uttarakhand	1220.00
West Bengal	2265.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”.

[F. No. 19(2)/2008-Leg.-I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]
No. 165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008	(1)	(2)
सा.का.नि. 245(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:— “सं. आ. 235	छत्तीसगढ़	1700.00
संविधान (राजस्व वितरण) सं. 6 आदेश, 2008	गोवा	60.00
राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात्:—	गुजरात	400.00
1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 6 आदेश, 2008 है।	हरियाणा	40.00
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।	हिमाचल प्रदेश	400.00
3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, वनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात्:—	झारखंड	600.00
	कर्नाटक	1100.00
	केरल	495.00
	मध्य प्रदेश	2300.00
	महाराष्ट्र	1400.00
	मणिपुर	600.00
	मेघालय	241.90
	मिजोरम	500.00
	नागालैण्ड	500.00
	उड़ीसा	1500.00
	पंजाब	40.00
	राजस्थान	500.00
	सिक्किम	160.00
	तमिलनाडु	600.00
	उत्तर प्रदेश	400.00
	पश्चिमी बंगाल	300.00
सारणी	(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।	
राज्य	रुपए लाख में	
(1)	(2)	
आन्ध्र प्रदेश	1300.00	
अरुणाचल प्रदेश	2000.00	
असम	800.00	
बिहार	100.00	

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”।

[फा.सं. 19(6)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 245 (E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 235

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 6 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of forests, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1300.00
Arunachal Pradesh	2000.00
Assam	800.00

(1)	(2)
Bihar	100.00
Chhattisgarh	1700.00
Goa	60.00
Gujarat	400.00
Haryana	40.00
Himachal Pradesh	400.00
Jharkhand	600.00
Karnataka	1100.00
Kerala	495.00
Madhya Pradesh	2300.00
Maharashtra	1400.00
Manipur	600.00
Meghalaya	241.90
Mizoram	500.00
Nagaland	500.00
Orissa	1500.00
Punjab	40.00
Rajasthan	500.00
Sikkim	160.00
Tamil Nadu	600.00
Uttar Pradesh	400.00
West Bengal	300.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(6)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 244(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 236

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2008 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, “विरासत संरक्षण”— ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण

और संरक्षण तथा इन स्थलों पर परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1000.00
अरुणाचल प्रदेश	125.00
असम	49.32
बिहार	1000.00
छत्तीसगढ़	246.00
गोवा	1000.00
गुजरात	625.00
हरियाणा	375.00
हिमाचल प्रदेश	250.00
जम्मू-कश्मीर	250.00
झारखंड	250.00
कर्नाटक	1250.00
केरल	625.00
मध्य प्रदेश	500.00
महाराष्ट्र	1250.00
मणिपुर	125.00
मिजोरम	125.00
नागालैण्ड	125.00
उड़ीसा	1250.00

(1)	(2)
पंजाब	250.00
राजस्थान	1250.00
सिक्किम	125.00
त्रिपुरा	125.00
उत्तर प्रदेश	1250.00
पश्चिमी बंगाल	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”।

[फा. सं. 19(5)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 244(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 236

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 7 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each

of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for “Heritage Conservation”—preservation and protection of historical monuments, archaeological sites, public libraries, museums and archives, and also for improving the tourist infrastructure to facilitate visit to these sites, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1000.00
Arunachal Pradesh	125.00
Assam	49.32
Bihar	1000.00
Chhattisgarh	246.00
Goa	1000.00
Gujarat	625.00
Haryana	375.00
Himachal Pradesh	250.00
Jammu and Kashmir	250.00
Jharkhand	250.00
Karnataka	1250.00
Kerala	625.00
Madhya Pradesh	500.00
Maharashtra	1250.00
Manipur	125.00
Mizoram	125.00
Nagaland	125.00
Orissa	1250.00
Punjab	250.00
Rajasthan	1250.00
Sikkim	125.00
Tripura	125.00
Uttar Pradesh	1250.00
West Bengal	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”.

[F. No. 19(5)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]
No. 167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008	(1)	(2)
सा.का.नि. 247(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:— “सं. आ. 237 संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2008 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात्:— 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2008 है । 2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है । 3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारत होंगी, अर्थात् :—	हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मिजोरम नागालैण्ड उड़ीसा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी बंगाल	2500.00 406.00 2583.00 5000.00 2500.00 7500.00 7000.00 662.50 1593.75 1225.00 3950.00 2400.00 21237.50 4578.00 2340.50 17500.00 6215.55 17890.00:

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	5820.00
बिहार	4309.25
छत्तीसगढ़	2500.00
गुजरात	5000.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो, इस प्रकार संदत्त अधिक रकम ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संबद्ध राज्य सरकार को संदेय हो सकती है ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”।

[फा. सं. 19(8)/2008-विधायी I]
के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 247 (E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 237

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 8 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for State Specified Needs, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	5820.00
Bihar	4309.25
Chhattisgarh	2500.00
Gujarat	5000.00
Haryana	2500.00

(1)	(2)
Himachal Pradesh	406.00
Jammu and Kashmir	2583.00
Karnataka	5000.00
Kerala	2500.00
Madhya Pradesh	7500.00
Maharashtra	7000.00
Manipur	662.50
Mizoram	1593.75
Nagaland	1225.00
Orissa	3950.00
Punjab	2400.00
Rajasthan	21237.50
Tamil Nadu	4578.00
Tripura	2340.50
Uttar Pradesh	17500.00
Uttarakhand	6215.55
West Bengal	17890.00:

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State Specific Needs and approved by the High Level Committee of the State :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programmes as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the concerned State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisions to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”.

[F. No. 19(8)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 166]
No. 166]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008सा.का.नि. 246(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित
आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 238

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 9 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर
विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण)
सं. 9 आदेश, 2008 है।2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस
आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह
किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार,
1 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के
स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता
अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने
विनिर्दिष्ट राशियां, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों
में चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन,
हिमस्खलन, बादल फटने तथा नाशकजीव प्रकोप के पीड़ितों को
राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधि मद्दे केन्द्रीय सरकार के
अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	21999.00
अरुणाचल प्रदेश	2248.00

(1)

(2)

असम	15336.00
बिहार	23323.00
छत्तीसगढ़	6657.00
गोवा	174.00
गुजरात	4857.00
हरियाणा	10285.00
हिमाचल प्रदेश	7999.00
जम्मू-कश्मीर	6868.00
झारखण्ड	14879.00
कर्नाटक	7111.00
केरल	7070.00
मध्य प्रदेश	15148.00
महाराष्ट्र	4769.50
मणिपुर	1067.00
मेघालय	896.00
मिजोरम	777.00
नागालैण्ड	741.50
उड़ीसा	18087.00
पंजाब	17824.00
राजस्थान	25734.00
सिक्किम	2746.00
तमिलनाडु	17288.00
त्रिपुरा	1006.50
उत्तर प्रदेश	23510.00
उत्तराखण्ड	7318.50
पश्चिमी बंगाल	18647.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों
के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ
होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2007 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”।

[फा. सं. 19(7)/2008-विधायी I]
के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 246(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 238

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 9 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Fund for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud-burst and pest attack in the States mentioned in column (1) of the said Table :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	21999.00
Arunachal Pradesh	2248.00
Assam	15336.00

(1)	(2)
Bihar	23323.00
Chhattisgarh	6657.00
Goa	174.00
Gujarat	4857.00
Haryana	10285.00
Himachal Pradesh	7999.00
Jammu and Kashmir	6868.00
Jharkhand	14879.00
Karnataka	7111.00
Kerala	7070.00
Madhya Pradesh	15148.00
Maharashtra	4769.00
Manipur	1067.00
Meghalaya	896.90
Mizoram	777.00
Nagaland	741.50
Orissa	18087.00
Punjab	17824.00
Rajasthan	25734.00
Sikkim	2746.00
Tamil Nadu	17288.00
Tripura	1006.50
Uttar Pradesh	23510.00
Uttarakhand	7318.50
West Bengal	18647.00

Provided that the sum specified above shall expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above :

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.


(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2007.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,

President.”.

[F. No. 19(7)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]
No. 169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 249(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 239

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं; अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2008 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य को राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) से स्तंभ (5) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां उन स्तंभों में वर्णित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित मानकों और “विशेष समस्याओं” को उन्नत करने के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी की प्रकृति के व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित मानकों को उन्नत करने के लिए

राज्य	कारागार प्रशासन	अग्नि	स्वास्थ्य	विशेष समस्याएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(रुपए लाख में)				
मध्य प्रदेश	59.00	206.60	365.00	314.74:

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित मानकों को उन्नत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो, इस प्रकार संदत्त अधिक रकम ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य सरकार को सदेय हो सकती है ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन सदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को सदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,

राष्ट्रपति ।”

[फा. सं. 19(10)/2008—विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 249(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 239**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 10 ORDER, 2008**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Eleventh Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2008.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in columns (2) to (5) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programme for upgradation of standards and special problems relating to the administration of the sector and services mentioned in those columns, namely :—

TABLE

For upgradation of standards relating to

State	Jail Administration	Fire	Health	Special problems
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(Rupees in lakhs)				
Madhya Pradesh	59.00	206.60	365.00	314.74

Provided that the sum specified above was to be expended on programme formulated by the State Government for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the State Level Empowered Committees :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of the year ending on the 31st March, 2005 is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the State under each of the provisions to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(10)/2008-Leg.-I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]
No. 170]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008	(1)	(2)
सा.का.नि. 250(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:— “सं. आ. 240	गोवा	77.00
संविधान (राजस्व वितरण) सं. 11 आदेश, 2008	गुजरात	18620.00
राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—	हरियाणा	7760.00
1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 11 आदेश, 2008 है ।	हिमाचल प्रदेश	2940.00
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।	कर्नाटक	8880.00
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित की राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भरित होंगी,—	केरल	19700.00
(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :—	मध्य प्रदेश	33260.00
सारणी	महाराष्ट्र	39660.00
	मणिपुर	211.60
	नागालैण्ड	400.00
	उड़ीसा	16060.00
	पंजाब	3240.00
	राजस्थान	12300.00
	तमिलनाडु	8700.00
	उत्तर प्रदेश	87840.00
	उत्तराखण्ड	1620.00
	पश्चिमी बंगाल	25420.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :—

राज्य	रूपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	31740.00
असम	10520.00
बिहार	48720.00
छत्तीसगढ़	12300.00

सारणी	
राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	3740.00
अरुणाचल प्रदेश	60.00
असम	1100.00
बिहार	2840.00
छत्तीसगढ़	880.00
गुजरात	8280.00
हरियाणा	1820.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
कर्नाटक	3230.00
केरल	2980.00
मध्य प्रदेश	3610.00
महाराष्ट्र	7910.00
मणिपुर	90.00
नागालैण्ड	60.00
पंजाब	3420.00
राजस्थान	2200.00
तमिलनाडु	5720.00
उत्तर प्रदेश	15510.00
पश्चिमी बंगाल	7860.00 :

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुपयोजित अनुदान अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा ;

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,

राष्ट्रपति ।”।

[फा.सं. 19(11)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 250(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 240

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 11 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards grants for Panchayati Raj Institutions, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	31740.00
Assam	10520.00
Bihar	48720.00
Chhattisgarh	12300.00
Goa	77.00
Gujarat	18620.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Karnataka	8880.00
Kerala	19700.00
Madhya Pradesh	33260.00
Maharashtra	39660.00
Manipur	211.60
Nagaland	400.00
Orissa	16060.00
Punjab	3240.00
Rajasthan	12300.00
Tamil Nadu	8700.00
Uttar Pradesh	87840.00
Uttarakhand	1620.00
West Bengal	25420.00 :

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards grants for Urban Local Bodies, namely:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	3740.00
Arunachal Pradesh	60.00
Assam	1100.00
Bihar	2840.00
Chhattisgarh	880.00
Gujarat	8280.00
Haryana	1820.00
Himachal Pradesh	160.00
Karnataka	3230.00
Kerala	2980.00
Madhya Pradesh	3610.00
Maharashtra	7910.00

(1)	(2)
Manipur	90.00
Nagaland	60.00
Punjab	3420.00
Rajasthan	2200.00
Tamil Nadu	5720.00
Uttar Pradesh	15510.00
West Bengal	7860.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Urban Local Bodies as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants :

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisios to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(11)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 175]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 205(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 241

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2009 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भरित होंगी, अर्थात् :—

राज्य (1)	रुपये करोड़ में (2)
अरुणाचल प्रदेश	273.92
हिमाचल प्रदेश	1991.64
जम्मू-कश्मीर	2510.64
मणिपुर	918.50
मेघालय	355.78
मिजोरम	634.00
नागालैंड	1168.17
सिक्किम	21.94
त्रिपुरा	1131.90
उत्तराखंड	992.02

(2) उप-पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए सिफारिश की गई रकम हैं।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(1)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 205(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 241

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in crore
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	273.92
Himachal Pradesh	1991.64
Jammu and Kashmir	2510.64
Manipur	918.50
Meghalaya	355.78
Mizoram	634.00
Nagaland	1168.17
Sikkim	21.94
Tripura	1131.90
Uttarakhand	992.02

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year, 2008-2009.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisions to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F.No. 19(1)/2009-Leg.-I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 176]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 206(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 242

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2009 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां शिक्षा सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	12026.50
बिहार	58293.00
झारखंड	7078.00
मध्य प्रदेश	9982.00
उड़ीसा	3511.00
राजस्थान	1000.00
उत्तर प्रदेश	96745.00
पश्चिमी बंगाल	4255.50

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,

राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(2)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 206(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 242

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 2 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on education sector, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	12026.50
Bihar	58293.00
Jharkhand	7078.00
Madhya Pradesh	9982.00
Orissa	3511.00
Rajasthan	1000.00
Uttar Pradesh	96745.00
West Bengal	4255.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(2)/2009-Leg.I]
T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 177]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 207(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 243

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2009 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	21289.00
बिहार	20051.00
झारखंड	3977.50
मध्य प्रदेश	4003.00
उड़ीसा	2164.00
उत्तर प्रदेश	25480.00
उत्तराखंड	500.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,

राष्ट्रपति ।”

[फा. सं. 19(3)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 207(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 243

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 3 ORDER, 2009**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on health sector, namely:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	21289.00
Bihar	20051.00
Jharkhand	3977.50
Madhya Pradesh	4003.00
Orissa	2164.00
Uttar Pradesh	25480.00
Uttarakhand	500.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F.No. 19(3)/2009-Leg.-I]
T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009	सारणी	
	राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
<p>सा.क्रा.नि. 208(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है :-</p> <p>‘सं. आ. 244</p> <p>संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 2009</p> <p>राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-</p> <p>1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 2009 है।</p> <p>2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।</p> <p>3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी अर्थात् :-</p>	आन्ध्र प्रदेश	24503.00
	अरुणाचल प्रदेश	554.50
	असम	4126.50
	बिहार	7734.00
	छत्तीसगढ़	3280.00
	गोवा	987.00
	गुजरात	22380.00
	हरियाणा	4568.00
	हिमाचल प्रदेश	6541.00
	जम्मू-कश्मीर	1471.00
	झारखंड	5113.00
	कर्नाटक	36453.00
	केरल	8029.00
	मध्य प्रदेश	14672.00
महाराष्ट्र	14871.00	
मणिपुर	962.00	
मेघालय	1080.00	

(1)	(2)
मिजोरम	1053.00
नागालैंड	3022.00
उड़ीसा	36877.00
पंजाब	10524.00
राजस्थान	7916.50
सिक्किम	466.00
तमिलनाडु	30360.00
त्रिपुरा	1537.00
उत्तर प्रदेश	60079.00
उत्तराखंड	4057.00
पश्चिमी बंगाल	5161.50

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।''

[फा. सं. 19(4)/2009-वि. 1]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 208(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 244

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 4 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) No. 4 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of roads and bridges, namely :—

TABLE	
State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	24503.00
Arunachal Pradesh	554.50
Assam	4126.50
Bihar	7734.00
Chhattisgarh	3280.00
Goa	987.00
Gujarat	22380.00
Haryana	4568.00
Himachal Pradesh	6541.00
Jammu and Kashmir	1471.00
Jharkhand	5113.00
Karnataka	36453.00
Kerala	8029.00
Madhya Pradesh	14672.00
Maharashtra	14871.00
Manipur	962.00
Meghalaya	1080.00
Mizoram	1053.00
Nagaland	3022.00
Orissa	36877.00
Punjab	10524.00
Rajasthan	7916.50
Sikkim	466.00
Tamil Nadu	30360.00
Tripura	1537.00
Uttar Pradesh	60079.00
Uttarakhand	4057.00
West Bengal	5161.50

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(4)/2009-Leg. I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009	सारणी	
	राज्य	रुपए लाख में
	(1)	(2)
सा.का.नि. 209(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :— “सं. आ. 245 संविधान (राजस्व वितरण) सं. 5 आदेश, 2009 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :— 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 5 आदेश, 2009 है। 2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है। 3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायक अनुदान के रूप में; उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां; सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की सौंपित निधि पर भारत होंगी, अर्थात् :—	आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय	3031.50 1436.00 2883.00 4495.50 4577.00 302.00 2545.00 3795.00 3690.00 4113.00 3990.00 5128.00 1293.50 11075.00 2795.00 471.50 875.00

(1)	(2)
मिजोरम	291.00
नागालैंड	577.00
उड़ीसा	4864.50
पंजाब	1897.50
राजस्थान	5327.00
सिक्किम	402.00
तमिलनाडु	3031.50
त्रिपुरा	1253.00
उत्तर प्रदेश	7504.00
उत्तराखंड	1220.00
पश्चिमी बंगाल	4532.00

2. उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं.19(5)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 209(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 245

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 5 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the

1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of Public buildings, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	3031.50
Arunachal Pradesh	1436.00
Assam	2883.00
Bihar	4495.50
Chhattisgarh	4577.00
Goa	302.00
Gujarat	2545.00
Haryana	3795.00
Himachal Pradesh	3690.00
Jammu and Kashmir	4113.00
Jharkhand	3990.00
Karnataka	5128.00
Kerala	1293.50
Madhya Pradesh	11075.00
Maharashtra	2795.00
Manipur	471.50
Meghalaya	875.00
Mizoram	291.00
Nagaland	577.00
Orissa	4864.50
Punjab	1897.50
Rajasthan	5327.00
Sikkim	402.00
Tamil Nadu	3031.50
Tripura	1253.00
Uttar Pradesh	7504.00
Uttarakhand	1220.00
West Bengal	4532.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(5)/2009-Reg.1]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]
No. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 210(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 246

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 6 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 6 आदेश, 2009 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, वनों के अनुरक्षण पर व्यय भद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1300.00
अरुणाचल प्रदेश	2000.00
असम	800.00
बिहार	100.00
छत्तीसगढ़	1700.00
गोवा	60.00
गुजरात	400.00
हरियाणा	40.00
हिमाचल प्रदेश	400.00
झारखंड	600.00
कर्नाटक	1100.00
केरल	495.00
मध्य प्रदेश	2300.00
महाराष्ट्र	700.00
मणिपुर	600.00
मेघालय	1200.00
नागालैंड	500.00
उड़ीसा	1500.00
पंजाब	40.00
राजस्थान	500.00

(1)	(2)
सिक्किम	160.00
तमिलनाडु	600.00
त्रिपुरा	600.00
उत्तर प्रदेश	400.00
पश्चिमी बंगाल	300.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”

[फा. सं. 19(6)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 210(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 246

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 6 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards expenditure on maintenance of forests, namely :—

TABLE	
State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1300.00
Arunachal Pradesh	2000.00
Assam	800.00
Bihar	100.00
Chhattisgarh	1700.00
Goa	60.00
Gujarat	400.00
Haryana	40.00
Himachal Pradesh	400.00
Jharkhand	600.00
Karnataka	1100.00
Kerala	495.00
Madhya Pradesh	2300.00
Maharashtra	700.00
Manipur	600.00
Meghalaya	1200.00
Nagaland	500.00
Orissa	1500.00
Punjab	40.00
Rajasthan	500.00
Sikkim	160.00
Tamil Nadu	600.00
Tripura	600.00
Uttar Pradesh	400.00
West Bengal	300.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(6)/2009-Leg. I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 181]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 211(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 247

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2009 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, “विरासत संरक्षण”—ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण

और संरक्षण तथा इन स्थलों पर परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यय मद्दे भारत की सचिवालय निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1000.00
अरुणाचल प्रदेश	125.00
बिहार	687.50
छत्तीसगढ़	211.00
गोवा	435.00
गुजरात	625.00
जम्मू-कश्मीर	250.00
झारखंड	250.00
कर्नाटक	602.50
केरल	418.30
मणिपुर	125.00
मेघालय	125.00
नागालैंड	125.00
उड़ीसा	937.25
राजस्थान	1250.00
सिक्किम	125.00
त्रिपुरा	125.00
उत्तर प्रदेश	1232.62
पश्चिमी बंगाल	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”

[फा सं 19(7)/2009-वि.-I]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 211(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 247

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 7 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for “Heritage Conservation”—preservation and protection of historical monuments,

archaeological sites, public libraries, museums and archives, and also for improving the tourist infrastructure to facilitate visit to these sites, namely :—

TABLE

State	Rupees in Lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1000.00
Arunachal Pradesh	125.00
Bihar	687.50
Chhattisgarh	211.00
Goa	435.00
Gujarat	625.00
Jammu and Kashmir	250.00
Jharkhand	250.00
Karnataka	602.50
Kerala	418.30
Manipur	125.00
Meghalaya	125.00
Nagaland	125.00
Orissa	937.25
Rajasthan	1250.00
Sikkim	125.00
Tripura	125.00
Uttar Pradesh	1232.62
West Bengal	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisions to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(7)/2009-Leg.-I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 182]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 212(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 248

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2009 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	16865.60
बिहार	2269.50
छत्तीसगढ़	2391.00
गोवा	500.00
गुजरात	5000.00
हरियाणा	2500.00
हिमाचल प्रदेश	844.00
जम्मू-कश्मीर	567.00
झारखंड	5000.00
कर्नाटक	2500.00
केरल	2472.00
मध्य प्रदेश	7500.00
महाराष्ट्र	1249.00
मणिपुर	115.00
मेघालय	500.00
नागालैंड	550.00
उड़ीसा	5143.50
पंजाब	5000.00
राजस्थान	6850.00
सिक्किम	5000.00
तमिलनाडु	3250.00
त्रिपुरा	1929.00
उत्तर प्रदेश	17500.00
उत्तराखंड	5000.00
पश्चिमी बंगाल	49429.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो, इस प्रकार संदत्त अधिक रकम ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संबद्ध राज्य सरकार को संदेय हो सकती है ।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद, 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति ।”

[फा. सं. 19(8)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 212(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 248

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 8 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for State Specific Needs, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	16865.60
Bihar	2269.50
Chhattisgarh	2391.00
Goa	500.00
Gujarat	5000.00
Haryana	2500.00
Himachal Pradesh	844.00
Jammu and Kashmir	567.00
Jharkhand	5000.00
Karnataka	2500.00
Kerala	2472.00
Madhya Pradesh	7500.00
Maharashtra	1249.00
Manipur	115.00
Meghalaya	500.00
Nagaland	550.00
Orissa	5143.50
Punjab	5000.00
Rajasthan	6850.00
Sikkim	5000.00
Tamil Nadu	3250.00
Tripura	1929.50
Uttar Pradesh	17500.00
Uttarakhand	5000.00
West Bengal	49429.00

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State Specific Needs and approved by the High Level Committee of the State :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programmes as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the concerned State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(8)/2009-Leg.-I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 183]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 213(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 249

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 9 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 9 आदेश, 2009 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने तथा नाशकजीव प्रकोप के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधि मद्दे केन्द्रीय सरकार के अधिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	29873.00
अरुणाचल प्रदेश	2315.00
असम	15797.00
बिहार	12186.00
छत्तीसगढ़	4571.50
गोवा	183.00
गुजरात	31528.50
हरियाणा	5399.50
हिमाचल प्रदेश	10362.75
जम्मू-कश्मीर	3537.50
झारखंड	5158.00
कर्नाटक	9955.00
केरल	7423.00
मध्य प्रदेश	20804.00
मणिपुर	448.00
मेघालय	923.00
नागालैंड	312.00
उड़ीसा	32449.60
पंजाब	12678.00
राजस्थान	36087.00

(1)	(2)
सिक्किम	1435.00
तमिलनाडु	22917.00
त्रिपुरा	1036.50
उत्तर प्रदेश	24215.00
उत्तराखण्ड	11246.50
पश्चिमी बंगाल	19207.00:

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा ।

(2) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2008 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति ।”

[फा. सं. 19(9)/2009-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 213(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 249

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 9 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Fund for affording relief to

the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud-burst and pest attack in the States mentioned in column (1) of the said Table :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	29873.00
Arunachal Pradesh	2315.00
Assam	15797.00
Bihar	12186.00
Chhattisgarh	4571.50
Goa	183.00
Gujarat	31528.50
Haryana	5399.50
Himachal Pradesh	10362.75
Jammu and Kashmir	3537.50
Jharkhand	5158.00
Karnataka	9955.00
Kerala	7423.00
Madhya Pradesh	20804.00
Manipur	448.00
Meghalaya	923.00
Nagaland	312.00
Orissa	32449.60
Punjab	12678.00
Rajasthan	36087.00
Sikkim	1435.00
Tamil Nadu	22917.00
Tripura	1036.50
Uttar Pradesh	24215.00
Uttarakhand	11246.50
West Bengal	19207.00:

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above :

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2008.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F.No. 19(9)/2009-Leg.I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 184]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 214(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ 250

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2009

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2009 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित की राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भरित होंगी,-

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	31740.00
बिहार	32480.00
छत्तीसगढ़	12300.00
गोवा	360.00
गुजरात	27930.00
हरियाणा	7760.00
हिमाचल प्रदेश	2940.00
कर्नाटक	26640.00
केरल	9850.00
मध्य प्रदेश	16630.00
महाराष्ट्र	59490.00
मणिपुर	423.20
मेघालय	2500.00
मिजोरम	800.00
नागालैंड	1600.00
उड़ीसा	16060.00
पंजाब	6480.00

(1)	(2)	(1)	(2)
राजस्थान	36900.00	पंजाब	5130.00
सिक्किम	910.00	राजस्थान	8800.00
तमिलनाडु	26100.00	तमिलनाडु	17160.00
त्रिपुरा	1140.00	उत्तर प्रदेश	10340.00
उत्तर प्रदेश	58560.00	पश्चिमी बंगाल	11790.00 :
पश्चिमी बंगाल	38130.00 :		

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियाँ राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ :-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	14960.00
बिहार	1420.00
छत्तीसगढ़	880.00
गोवा	480.00
गुजरात	12420.00
हरियाणा	910.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
झारखंड	1444.00
कर्नाटक	9690.00
केरल	1490.00
मध्य प्रदेश	10830.00
महाराष्ट्र	7910.00
मणिपुर	90.00
मेघालय	400.00
मिजोरम	400.00
नागालैंड	240.00
उड़ीसा	5200.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियाँ राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुपयोजित अनुदान अगल वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति ।"

[फा. सं 19(10)/2009-वि. 1]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 214(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 250

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 10 ORDER, 2009

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2009.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2008, as grants-in-aid of the revenues to—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions, namely :—

TABLE

State (1)	Rupees in lakhs (2)
Andhra Pradesh	31740.00
Bihar	32480.00
Chhattisgarh	12300.00
Goa	360.00
Gujarat	27930.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Karnataka	26640.00
Kerala	9850.00
Madhya Pradesh	16630.00
Maharashtra	59490.00
Manipur	423.20
Meghalaya	2500.00
Mizoram	800.00
Nagaland	1600.00
Orissa	16060.00
Punjab	6480.00
Rajasthan	36900.00
Sikkim	910.00
Tamil Nadu	26100.00
Tripura	140.00
Uttar Pradesh	58560.00
West Bengal	38130.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants :

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies, namely :—

TABLE

State (1)	Rupees in lakhs (2)
Andhra Pradesh	14960.00
Bihar	1420.00
Chhattisgarh	880.00
Goa	480.00
Gujarat	12420.00
Haryana	910.00
Himachal Pradesh	160.00
Jharkhand	1444.00
Karnataka	9690.00
Kerala	1490.00
Madhya Pradesh	10830.00
Maharashtra	7910.00
Manipur	90.00
Meghalaya	400.00
Mizoram	400.00
Nagaland	240.00
Orissa	5200.00
Punjab	5130.00
Rajasthan	8800.00
Tamil Nadu	17160.00
Uttar Pradesh	10340.00
West Bengal	11790.00 :

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Urban Local Bodies as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants :

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President."

[F.No. 19(10)/2009-Leg. I]
T.K. VISWANATHAN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 142]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 256(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 251”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2010 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

राज्य	रूपए करोड़ में
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	256.11
हिमाचल प्रदेश	1818.52
जम्मू-कश्मीर	2385.44
मणिपुर	934.82
मेघालय	312.15
मिजोरम	644.91
नागालैंड	1212.58
त्रिपुरा	1133.18
उत्तराखण्ड	830.43

(2) उप-पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए सिफारिश की गई रकमों हैं।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/2010-वि. 1]

वी. कं. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 256(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 251”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in Crore
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	256.11
Himachal Pradesh	1818.52
Jammu and Kashmir	2385.44
Manipur	934.82
Meghalaya	312.15
Mizoram	644.91
Nagaland	1212.58
Tripura	1133.18
Uttarakhand	830.43

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year 2009-10.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(1)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 143]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 257(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 252”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने

विनिर्दिष्ट राशियाँ शिक्षा सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	26338.00
बिहार	63831.00
झारखण्ड	7750.50
मध्य प्रदेश	10930.00
उड़ीसा	7689.00
राजस्थान	1000.00
उत्तर प्रदेश	105936.00
पश्चिमी बंगाल	4660.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(2)/2010-वि. 1]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 257(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 252”

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
NO. 2 ORDER, 2010**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the

sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on education sector, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	26338.00
Bihar	63831.00
Jharkhand	7750.50
Madhya Pradesh	10930.00
Orissa	7689.00
Rajasthan	1000.00
Uttar Pradesh	105936.00
West Bengal	4660.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(2)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 144]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 258(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 253”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
असम	23738.00
बिहार	44714.00
झारखंड	4435.00
मध्य प्रदेश	4463.00
उड़ीसा	2412.50
उत्तर प्रदेश	56821.00
उत्तराखंड	500.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(3)/2010-वि. 1]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 258(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 253"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
NO. 3 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aids of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on health sector, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Assam	23738.00
Bihar	44714.00
Jarkhand	4435.00
Madhya Pradesh	4463.00
Orissa	2412.50
Uttar Pradesh	56821.00
Uttarakhand	500.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(3)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 145]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 259(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 254”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	24503.00
अरुणाचल प्रदेश	554.50
असम	8253.00
बिहार	7734.00
छत्तीसगढ़	6560.00
गोवा	987.00
गुजरात	22380.00
हरियाणा	4568.00
हिमाचल प्रदेश	6541.00
जम्मू-कश्मीर	1471.00
झारखंड	5113.00
कर्नाटक	18226.50
केरल	8029.00
मध्य प्रदेश	14672.00
महाराष्ट्र	29742.00
मणिपुर	1924.00
मेघालय	1080.00
मिजोरम	1053.00
नागालैंड	3022.00

(1)	(2)
उड़ीसा	36877.00
पंजाब	5262.00
राजस्थान	23749.50
सिक्किम	466.00
तमिलनाडु	30360.00
त्रिपुरा	1537.00
उत्तर प्रदेश	60079.00
उत्तराखंड	4057.00
पश्चिमी बंगाल	10323.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(4)/2010-वि. 1]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 259(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 254”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 4 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In Accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of roads and bridges, namely :—

TABLE	
State	Rupees in Lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	24503.00
Arunachal Pradesh	554.50
Assam	8253.00
Bihar	7734.00
Chhattisgarh	6560.00
Goa	987.00
Gujarat	22380.00
Haryana	4568.00
Himachal Pradesh	6541.00
Jammu and Kashmir	1471.00
Jharkhand	5113.00
Karnataka	18226.50
Kerala	8029.00
Madhya Pradesh	14672.00
Maharashtra	29742.00
Manipur	1924.00
Meghalaya	1080.00
Mizoram	1053.00
Nagaland	3022.00
Orissa	36877.00
Punjab	5262.00
Rajasthan	23749.50
Sikkim	466.00
Tamil Nadu	30360.00
Tripura	1537.00
Uttar Pradesh	60079.00
Uttarakhand	4057.00
West Bengal	10323.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(4)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 146]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सा.का.नि. 260(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 255”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 5 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 5 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण पर व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारत होंगी, अर्थात्:—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	6063.00
अरुणाचल प्रदेश	1436.00
असम	5766.00
बिहार	8990.00
छत्तीसगढ़	4577.00
गोवा	604.00
गुजरात	2545.50
हरियाणा	3795.00
हिमाचल प्रदेश	3690.00
जम्मू-कश्मीर	4113.00
झारखंड	1995.50
कर्नाटक	5128.00
केरल	2587.00
मध्य प्रदेश	11075.00
मणिपुर	943.00
मेघालय	876.00
नागालैंड	577.00
उड़ीसा	4864.50

(1)	(2)
पंजाब	1897.50
राजस्थान	5328.00
सिक्किम	804.00
तमिलनाडु	6063.00
त्रिपुरा	1252.00
उत्तर प्रदेश	7503.00
उत्तराखण्ड	2440.00
पश्चिमी बंगाल	4530.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(5)/2010-वि. I]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 260(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 255”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 5 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In Accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aids of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of public buildings, namely :—

TABLE	
State	Rupees in Lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	6063.00
Arunachal Pradesh	1436.00
Assam	5766.00
Bihar	8990.00
Chhattisgarh	4577.00
Goa	604.00
Gujarat	2545.50
Haryana	3795.00
Himachal Pradesh	3690.00
Jammu and Kashmir	4113.00
Jharkhand	1995.50
Karnataka	5128.00
Kerala	2587.00
Madhya Pradesh	11075.00
Manipur	943.00
Meghalaya	876.00
Nagaland	577.00
Orissa	4864.50
Punjab	1897.50
Rajasthan	5328.00
Sikkim	804.00
Tamil Nadu	6063.00
Tripura	1252.00
Uttar Pradesh	7503.00
Uttarakhand	2440.00
West Bengal	4530.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(5)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 147]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी.

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 261(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 256”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 6 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 6 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, वनों के अनुरक्षण पर व्यय भद्दे भारत की सचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :-

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	1300.00
अरुणाचल प्रदेश	2000.00
असम	800.00
बिहार	100.00
छत्तीसगढ़	1700.00
गोवा	60.00
गुजरात	400.00
हरियाणा	40.00
हिमाचल प्रदेश	400.00
जम्मू-कश्मीर	1500.00
कर्नाटक	1100.00
केरल	495.00
मध्य प्रदेश	2300.00
महाराष्ट्र	1400.00
मणिपुर	600.00
मेघालय	371.49
मिजोरम	782.99
नागालैंड	500.00
उड़ीसा	1500.00

(1)	(2)
पंजाब	40.00
राजस्थान	500.00
सिक्किम	160.00
तमिलनाडु	600.00
उत्तर प्रदेश	400.00
उत्तराखण्ड	2100.00
पश्चिमी बंगाल	300.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(6)/2010-वि. I]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 261(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 256”

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
NO. 6 ORDER, 2010**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column

(1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure on maintenance of forests, namely:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1300.00
Arunachal Pradesh	2000.00
Assam	800.00
Bihar	100.00
Chhattisgarh	1700.00
Goa	60.00
Gujarat	400.00
Haryana	40.00
Himachal Pradesh	400.00
Jammu and Kashmir	1500.00
Karnataka	1100.00
Kerala	495.00
Madhya Pradesh	2300.00
Maharashtra	1400.00
Manipur	600.00
Meghalaya	371.49
Mizoram	782.99
Nagaland	500.00
Orissa	1500.00
Punjab	40.00
Rajasthan	500.00
Sikkim	160.00
Tamil Nadu	600.00
Uttar Pradesh	400.00
Uttarakhand	2100.00
West Bengal	300.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(6)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 148]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 262(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 257”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, “विरासत संरक्षण”—ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के

परिरक्षण और संरक्षण तथा इन स्थलों पर परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रूपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	1000.00
अरुणाचल प्रदेश	125.00
असम	1500.00
बिहार	237.00
छत्तीसगढ़	250.00
गोवा	420.00
गुजरात	625.00
हरियाणा	750.00
हिमाचल प्रदेश	250.00
जम्मू-कश्मीर	250.00
झारखंड	225.00
कर्नाटक	1897.00
केरल	625.00
मध्य प्रदेश	1000.00
महाराष्ट्र	2500.00
मणिपुर	125.00
मेघालय	187.50

(1)	(2)
मिजोरम	250.00
नागालैंड	125.00
उड़ीसा	997.00
राजस्थान	1250.00
सिक्किम	123.76
तमिलनाडु	1000.00
उत्तर प्रदेश	1201.52
पश्चिमी बंगाल	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(7)/2010-वि. I]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 262(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 257”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 7 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aids of the revenues to each of the States specified in

column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for “Heritage Conservation”—preservation and protection of historical monuments, archeological sites, public libraries, museums and archives, and also for improving the tourist infrastructure to facilitate visit to these sites, namely:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1000.00
Arunachal Pradesh	125.00
Assam	1500.00
Bihar	237.00
Chhattisgarh	250.00
Goa	420.00
Gujarat	625.00
Haryana	750.00
Himachal Pradesh	250.00
Jammu and Kashmir	250.00
Jharkhand	225.00
Karnataka	1897.00
Kerala	625.00
Madhya Pradesh	1000.00
Maharashtra	2500.00
Manipur	125.00
Meghalaya	187.50
Mizoram	250.00
Nagaland	125.00
Orissa	997.00
Rajasthan	1250.00
Sikkim	123.76
Tamil Nadu	1000.00
Uttar Pradesh	1201.52
West Bengal	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(7)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली; मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 149]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

सारणी

(विधाधी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सा.का.नि. 263(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 258”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 8 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	17616.00
अरुणाचल प्रदेश	500.00
असम	5135.63
बिहार	12054.00
छत्तीसगढ़	11777.00
गोवा	150.00
गुजरात	4698.00
हरियाणा	1500.00
हिमाचल प्रदेश	374.00
जम्मू-कश्मीर	3400.00
झारखंड	26400.00
कर्नाटक	27180.00
केरल	6664.00
मध्य प्रदेश	4750.00
महाराष्ट्र	10500.00
मणिपुर	887.50
मिज़ोरम	2063.00
नागालैंड	750.00
उड़ीसा	2156.00
पंजाब	1240.00

(1)	(2)
राजस्थान	5307.50
सिक्किम	4000.00
तमिलनाडु	11672.00
त्रिपुरा	290.00
उत्तर प्रदेश	32411.00
उत्तराखण्ड	7357.00
पश्चिमी बंगाल	12781.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो, इस प्रकार संदत्त अधिक रकम ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संबद्ध राज्य सरकार को सौंपे जा सकती है।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन सौंपे कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को सौंपे किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(8)/2010-वि. I]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 263(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 258”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 8 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 8 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column

(1) of the Table below, the sums specified it against in column (2) of the said Table, towards expenditure for State Specified Needs, namely:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	17616.00
Arunachal Pradesh	500.00
Assam	5135.63
Bihar	12054.00
Chhattisgarh	11777.00
Goa	150.00
Gujarat	4698.00
Haryana	1500.00
Himachal Pradesh	374.00
Jammu and Kashmir	3400.00
Jharkhand	26400.00
Karnataka	27180.00
Kerala	6664.00
Madhya Pradesh	4750.00
Maharashtra	10500.00
Manipur	887.50
Mizoram	2063.00
Nagaland	750.00
Orissa	2156.50
Punjab	1240.00
Rajasthan	5307.50
Sikkim	4000.00
Tamil Nadu	11672.00
Tripura	290.00
Uttar Pradesh	32411.00
Uttarakhand	7357.00
West Bengal	12781.00

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State Specific Needs and approved by the High Level Committee of the State:

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the concerned State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F.No. 19(8)/2010-Leg. I]

V.K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 150]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 264(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 259”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 9 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 9 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ल फटने तथा नाशकजीव प्रकोप के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधि मद्दे केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :-

सारणी

राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
आंध्र प्रदेश	31367.00
अरुणाचल प्रदेश	2386.00
असम	16280.00
बिहार	12559.00
छत्तीसगढ़	13993.50
गोवा	192.00
गुजरात	22425.00
हरियाणा	16738.50
हिमाचल प्रदेश	6368.25
जम्मू-कश्मीर	10827.50
झारखंड	15789.00
कर्नाटक	10452.00
केरल	7793.00
मध्य प्रदेश	21441.00
महाराष्ट्र	48889.50
मणिपुर	696.00
मेघालय	954.00
मिज़ोरम	1094.00
नागालैंड	322.00
उड़ीसा	17650.40
पंजाब	13312.00
राजस्थान	37890.00
सिक्किम	1478.00
तमिलनाडु	14295.00
त्रिपुरा	1609.00

(1)	(2)
उत्तर प्रदेश	24955.00
उत्तराखण्ड	7639.00
पश्चिमी बंगाल	19793.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, यथास्थिति, राज्य की विपत्ति राहत निधि या राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा ।

(2) 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2008 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(9)/2010-वि. I]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 264(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 259”

**THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
No. 9 ORDER, 2010**

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No.9 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Fund for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood,

tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud-burst and pest attack in the States mentioned in column (1) of the said Table:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	31367.00
Arunachal Pradesh	2386.00
Assam	16280.00
Bihar	12559.00
Chhattisgarh	13993.50
Goa	192.00
Gujarat	22425.00
Haryana	16738.50
Himachal Pradesh	6368.25
Jammu and Kashmir	10827.50
Jharkhand	15789.00
Karnataka	10452.00
Kerala	7793.00
Madhya Pradesh	21441.00
Maharashtra	48889.50
Manipur	696.00
Meghalaya	951.00
Mizoram	1094.00
Nagaland	322.00
Orissa	17650.40
Punjab	13312.00
Rajasthan	37890.00
Sikkim	1478.00
Tamil Nadu	14295.00
Tripura	1609.00
Uttar Pradesh	24955.00
Uttarakhand	7639.00
West Bengal	19793.00

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund or the State Disaster Response Fund, as the case may be, of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2008.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(9)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 151]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 265(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

‘सं. आ. 260”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2010 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित की राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भारित होगी :—

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के

लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों के मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	47610.00
अरुणाचल प्रदेश	2040.00
असम	21040.00
बिहार	32480.00
छत्तीसगढ़	12300.00
गोवा	180.00
गुजरात	18620.00
हरियाणा	7760.00
हिमाचल प्रदेश	2940.00
कर्नाटक	17760.00
केरल	29550.00
मध्य प्रदेश	49890.00
महाराष्ट्र	39660.00
मणिपुर	846.40

(1)	(2)	(1)	(2)
नागालैंड	800.00	मध्य प्रदेश	7220.00
उड़ीसा	16060.00	महाराष्ट्र	39550.00
पंजाब	6480.00	मणिपुर	360.00
राजस्थान	24600.00	नागालैंड	120.00
सिक्किम	130.00	उड़ीसा	2080.00
तमिलनाडु	17400.00	पंजाब	3420.00
त्रिपुरा	2280.00	राजस्थान	4400.00
उत्तर प्रदेश	58560.00	तमिलनाडु	11440.00
उत्तराखण्ड	6480.00	त्रिपुरा	320.00
पश्चिमी बंगाल	25420.00 :	उत्तर प्रदेश	10340.00
		पश्चिमी बंगाल	7860.00 :

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7480.00
अरुणाचल प्रदेश	30.00
असम	2200.00
बिहार	5680.00
छत्तीसगढ़	4400.00
गुजरात	8280.00
हरियाणा	2730.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
जम्मू-कश्मीर	760.00
कर्नाटक	6400.00
केरल	4470.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(10)/2010-वि. I]
वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 265(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 260”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)
NO. 10 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No.10 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aid of the revenues to—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	47610.00
Arunachal Pradesh	2040.00
Assam	21040.00
Bihar	32480.00
Chhattisgarh	12300.00
Goa	180.00
Gujarat	18620.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Karnataka	17760.00
Kerala	29550.00
Madhya Pradesh	49890.00
Maharashtra	39660.00
Manipur	846.40
Nagaland	800.00
Orissa	16060.00
Punjab	6480.00
Rajasthan	24600.00
Sikkim	130.00
Tamil Nadu	17400.00
Tripura	2280.00
Uttar Pradesh	58560.00
Uttarakhand	6480.00
West Bengal	25420.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7480.00
Arunachal Pradesh	30.00
Assam	2200.00
Bihar	5680.00
Chhattisgarh	4400.00
Gujarat	8280.00
Haryana	2730.00
Himachal Pradesh	160.00
Jammu and Kashmir	760.00
Karnataka	6460.00
Kerala	4470.00
Madhya Pradesh	7220.00
Maharashtra	39550.00
Manipur	360.00
Nagaland	120.00
Orissa	2080.00
Punjab	3420.00
Rajasthan	4400.00
Tamil Nadu	11440.00
Tripura	320.00
Uttar Pradesh	10340.00
West Bengal	7860.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a

State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(10)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 2010/वैशाख 9, 1932

No. 217]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2010/VAISAKHA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 353(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 261”

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2010

राष्ट्रपति, ने संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ और उक्त आदेश के खंड (1) के उप-खंड (3) के निबंधनानुसार यह 30 अप्रैल, 1999 तक या ऐसी तारीख तक जो राष्ट्रपति इस बाबत किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहा ;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों का उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक का गठन किया है;

और राष्ट्रपति उक्त आदेश के खंड (1) के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 175 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2004 तक किया था;

और राष्ट्रपति उक्त आदेश के खंड (1) के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 203 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल 2005 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2005 तक किया था ;

और राष्ट्रपति उक्त आदेश के खंड (1) के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश, 2008 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2006 तक किया था;

और राष्ट्रपति उक्त आदेश के खंड (1) के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 210 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2010 तक किया था;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों के हित में बना रहना समीचीन समझते हैं और महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः, अब राष्ट्रपति उक्त आदेश के खंड (1) के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती हैं कि उक्त आदेश 31 अक्टूबर, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(12)/2010-वि. 1.]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2010

G.S.R. 353(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C-O-261”

The State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010

Whereas the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order) giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

And whereas the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it was to remain in force up to the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

And whereas in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra has set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remains in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 175, the State of Maharashtra

(Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 203, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2005;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2005;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 208, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2006;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2006;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 210, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2010;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2010;

And whereas the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on approval of the State Government of Maharashtra has requested the President to extend the duration of the said Order; .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 31st day of October, 2010.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
PRESIDENT

[F.No. 19(12)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2010/वैशाख 13, 1932

No. 228]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2010/VAISAKHA 13, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2010

सा.का.नि. 375(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

“सं० आ० 262”

संविधान (राजस्व वितरण) सं० 11 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं० 11 आदेश, 2010 है ।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।
3. (1) 1 अप्रैल, 2010 को और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन निर्दिष्ट, सेवा कर से भिन्न, करों और शुल्कों

के शुद्ध आगमों की प्रतिशतता, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित की जानी है, बत्तीस प्रतिशत होगी, जो निम्नानुसार राज्यों को वितरित की जाएगी :--

सारणी

राज्य	प्रतिशतता
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	6.937
अरुणाचल प्रदेश	0.328
असम	3.628
बिहार	10.917
छत्तीसगढ़	2.470
गोवा	0.266
गुजरात	3.041
हरियाणा	1.048
हिमाचल प्रदेश	0.781
जम्मू-कश्मीर	1.551
झारखंड	2.802
कर्नाटक	4.328
केरल	2.341
मध्य प्रदेश	7.120
महाराष्ट्र	5.199
मणिपुर	0.451
मेघालय	0.408
मिजोरम	0.269
नागालैंड	0.314
उड़ीसा	4.779
पंजाब	1.389
राजस्थान	5.853
सिक्किम	0.239
तमिलनाडु	4.969
त्रिपुरा	0.511
उत्तर प्रदेश	19.677
उत्तराखंड	1.120
पश्चिमी बंगाल	7.264:

(2) 1 अप्रैल, 2010 को और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन निर्दिष्ट कर हैं, सेवा कर के शुद्ध आगमों का बत्तीस प्रतिशत, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, निम्नानुसार राज्यों को वितरित किया जाएगा :--

सारणी

राज्य	प्रतिशतता
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7.047
अरुणाचल प्रदेश	0.332
असम	3.685
बिहार	11.089
छत्तीसगढ़	2.509
गोवा	0.270
गुजरात	3.089
हरियाणा	1.064
हिमाचल प्रदेश	0.793
झारखंड	2.846
कर्नाटक	4.397
केरल	2.378
मध्य प्रदेश	7.232
महाराष्ट्र	5.281
मणिपुर	0.458
मेघालय	0.415
मिजोरम	0.273
नागालैंड	0.318
उड़ीसा	4.855
पंजाब	1.411
राजस्थान	5.945
सिक्किम	0.243
तमिलनाडु	5.047
त्रिपुरा	0.519
उत्तर प्रदेश	19.987
उत्तराखंड	1.138
पश्चिमी बंगाल	7.379:

परंतु जहां अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन किसी वर्ष में सेवा कर जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्गृहणीय हो जाता है प्रत्येक राज्य को जिसमें जम्मू-कश्मीर सम्मिलित हैं, वहां पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) के सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा ।

4. यदि 2010-2015 की अवधि के दौरान किसी वर्ष में, संघ के अधीन कोई कर किसी राज्य में उद्गृहणीय नहीं है तो उस कर में, उस राज्य का अंश शून्य होगा और संपूर्ण आगम को शेष राज्यों को अंशों को आनुपातिक रूप में समायोजित करके उनमें वितरित किया जाएगा ।

5. संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2005, 1 अप्रैल, 2010 से ही निरसित हो जाएगा ।

6 किसी राज्य को उसके हक से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां उसी या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में वसूलनीय होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(11)/2010-वि. 1]

वी. कं. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2010

G.S.R. 375(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.262”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 11
ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Thirteenth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the service tax, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2010 but

ending before the 1st day of April, 2015, shall be thirty-two per cent., which shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	6.937
Arunachal Pradesh	0.328
Assam	3.628
Bihar	10.917
Chhattisgarh	2.470
Goa	0.266
Gujarat	3.041
Haryana	1.048
Himachal Pradesh	0.781
Jammu and Kashmir	1.551
Jharkhand	2.802
Karnataka	4.328
Kerala	2.341
Madhya Pradesh	7.120
Maharashtra	5.199
Manipur	0.451
Meghalaya	0.408
Mizoram	0.269
Nagaland	0.314
Orissa	4.779
Punjab	1.389
Rajasthan	5.853
Sikkim	0.239
Tamil Nadu	4.969
Tripura	0.511
Uttar Pradesh	19.677
Uttarakhand	1.120
West Bengal	7.264

(2) The thirty-two per cent. of the net proceeds of the service tax, being the tax referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2)

1673 GI/10-2

of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2010 but ending before the 1st day of April, 2015, shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.047
Arunachal Pradesh	0.332
Assam	3.685
Bihar	11.089
Chhattisgarh	2.509
Goa	0.270
Gujarat	3.089
Haryana	1.064
Himachal Pradesh	0.793
Jharkhand	2.846
Karnataka	4.397
Kerala	2.378
Madhya Pradesh	7.232
Maharashtra	5.281
Manipur	0.458
Meghalaya	0.415
Mizoram	0.273
Nagaland	0.318
Orissa	4.855
Punjab	1.411
Rajasthan	5.945
Sikkim	0.243
Tamil Nadu	5.047
Tripura	0.519
Uttar Pradesh	19.987
Uttarakhand	1.138
West Bengal	7.379

Provided that where in any year the service tax under clause (1) of article 270 becomes leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

4. If in any year during the period 2010-2015, a tax under Union is not leviable in a State, the share of that State in that tax shall be put to zero and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their shares.

5. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2005, shall, as from the 1st day of April, 2010, stand repealed.

6. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(11)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.

29-6-10 Mx J

185X2

370

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2010/आषाढ़ 4, 1932

No. 360]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2010/ASADHA 4, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2010

सा.का.नि. 555(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 263”

जनजाति सलाहकार परिषद् (उत्तराखंड राज्य)

आदेश, 2010

राष्ट्रपति, भारत का संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा-4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि उत्तराखंड राज्य में, उस राज्य में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए, इस संबंध में राज्यपाल द्वारा विहित रीति में, निम्नलिखित उन्नीस सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

- उत्तराखंड विधान सभा के तीन अनुसूचित जनजाति सदस्य;
- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ सदस्य, जिनके पास अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों में अनुभव हो;
- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जन्मासरी समुदाय की पंचायत/ग्राम पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्य (जिनमें से एक महिला होगी);

- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले थारू समुदाय की पंचायत/ग्राम पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्य (जिनमें से एक महिला होगी);
- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बुक्सा समुदाय की पंचायत/ग्राम पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्य (जिनमें से एक महिला होगी);
- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भोटिया समुदाय की पंचायत/ग्राम पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्य (जिनमें से एक महिला होगी);
- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राजी समुदाय की पंचायत/ग्राम पंचायत के दो निर्वाचित सदस्य (जिनमें से एक महिला होगी)।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(14)/2010-वि.1]

एन. के. नम्पूतिरी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2010

G.S.R. 555(E).— The following Order made by the President is published for general information:—

350

“C.O. 263”

**The Tribes Advisory Council (State of Uttarakhand)
Order, 2010**

In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby directs that in the State of Uttarakhand, a Tribes Advisory Council shall be established consisting of the following nineteen members to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in that State, in the manner prescribed by the Governor in this regard, namely:—

- (i) three Scheduled Tribes members of the Legislative Assembly of Uttarakhand;
- (ii) two expert members having experience in the matters pertaining to the Scheduled Tribes to be nominated by the State Government;
- (iii) three elected members of the Panchayat/Village Panchayat of Jaunsari Community, to be nominated by the State Government (out of whom one shall be woman);

- (iv) three elected members of the Panchayat/Village Panchayat of Tharu Community, to be nominated by the State Government (out of whom one shall be woman);
- (v) three elected members of the Panchayat/Village Panchayat of Buksa Community, to be nominated by the State Government (out of whom one shall be woman);
- (vi) three elected members of the Panchayat/Village Panchayat of Bhotia Community, to be nominated by the State Government (out of whom one shall be woman);
- (vii) two elected members of the Panchayat/Village Panchayat of Raji Community, to be nominated by the State Government (out of whom one shall be woman).

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President

[F. No. 19(14)/2010-Leg.I]

N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932

No. 413]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 631(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 264”

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व)
दूसरा संशोधन आदेश, 2010

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया ;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ और उक्त आदेश के खंड (1) के उपखंड (3) के निबंधनानुसार यह 30 अप्रैल, 1999 को या ऐसी तारीख तक जो राष्ट्रपति इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, इसका अवसान होगा ;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों का उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक गठन किया है ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 175 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2004 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 203 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2005 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2004 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2005 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 208 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2006 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 210 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2005 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) दूसरा संशोधन आदेश, 2005 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 30 अप्रैल, 2010 तक किया था ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 261 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2010 विनिर्दिष्ट किया था कि उक्त आदेश 31 अक्टूबर, 2010 तक प्रवृत्त रहेगा ;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2010 के अनुसरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि का विस्तार 31 अक्टूबर, 2010 तक किया था ;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों के हित में बना रहना समीचीन समझते हैं और राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उप-खंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2015 तक प्रवृत्त रहेगा ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(13)/2010-वि. 1]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2010.

G.S.R. 631(E).—The following Order made by the President is published for general information :—**“C.O. 264”****The State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and The Rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2010**

WHEREAS the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order), giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

AND WHEREAS the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it shall expire on the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

AND WHEREAS, in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra has set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remains in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 175, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 203, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 208, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2006;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005, the Government of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2006;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 210, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2010;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2010;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order had specified in the Constitution Order 261, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010 that the said Order shall remain in force up to the 31st day of October, 2010;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 31st day of October, 2010;

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on approval of the State Government has requested the President to extend the duration of the said Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2015.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.

[F. No. 19(13)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24, 2013/कार्तिक 2, 1935

No. 533]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2013/KARTIKA 2, 1935

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 701(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 265”

कर्नाटक राज्य (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 2013

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371अ के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कर्नाटक राज्य (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 2013 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व.—(1) कर्नाटक के राज्यपाल का, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 371अ के खंड (1) और खंड (2) में निर्दिष्ट उस क्षेत्र के संबंध में एक पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए तथा अन्य मामलों के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा ।

(2) राज्यपाल को उप-खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आदेश, जो आवश्यक हों, जारी करने की शक्ति होगी ।

प्रणब मुखर्जी,

राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(1)/13-वि. 1]

पी. के. मल्होत्रा, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2013

G.S.R. 701(E).—The following Order made by the President is published for general information :—**“C.O. 265”****THE STATE OF KARNATAKA (SPECIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNOR FOR HYDERABAD-KARNATAKA REGION) ORDER, 2013**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 371J of the Constitution, the President hereby makes, with respect to the State of Karnataka, the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the state of Karnataka (Special Responsibility of Governor for Hyderabad-Karnataka Region) Order, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Special responsibility of Governor.—(1) The Governor of Karnataka shall have the special responsibility for the establishment of a separate development board for Hyderabad-Karnataka region and for other matters referred to in clause (1) and clause (2) of article 371J of the Constitution in respect of that region.

(2) The Governor shall, for the purposes of sub-clause (1), have power to issue such orders as may be necessary.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. 19(1)/13-L. I]

P. K. MALHOTRA, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 276]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 337(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"सं. आ. 266"

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) संशोधन आदेश, 2015

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया ;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ और उक्त आदेश के खंड (1) के उपखंड (3) के निबंधनानुसार यह 30 अप्रैल, 1999 को या ऐसी तारीख तक जो राष्ट्रपति इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, इसका अवसान होगा ;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों का उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने अर्थात् 30 अप्रैल, 1999 तक गठन किया है ;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 175 में महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल

और महाराष्ट्र के राज्यपाल उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों के हित में बना रहना समीचीन समझते हैं और महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2020 तक प्रवृत्त रहेगा ।

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(1)/15-वि.1]

डॉ. संजय सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2015

G.S.R. 337(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C. O. 266"

THE STATE OF MAHARASHTRA (SPECIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNOR FOR VIDARBHA, MARATHWADA AND THE REST OF MAHARASHTRA) AMENDMENT ORDER, 2015

Whereas the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order) giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

And whereas the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it was to remain in force up to the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

And whereas in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra has set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remains in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 175, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 203, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2005;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2005;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 208, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2006;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2005, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2006;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 210, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2010;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2005, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2010;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 261, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010 that the said Order shall remain in force up to the 31st day of October, 2010;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2010, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 31st day of October, 2010;

And whereas the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order, 264, the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2010 that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2015;

And whereas in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Second Amendment Order, 2010, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2015;

And whereas the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on approval of the State Government of Maharashtra has requested the President to extend the duration of the said Order;

And whereas, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2020.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. 19(1)/15-L. I]
Dr. SANJAY SINGH, Secy.


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11, 1937

No. 355]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015/JYAISTHA 11, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

सा.का.नि.446(अ).-- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

"सं.आ.267"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2015

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2015 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट करें और शूलकों के शुद्ध आगम का प्रतिशत, सेवाकर से भिन्न, जो उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित है, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, बयालीस प्रतिशत होगा जो निम्नलिखित रूप में राज्यों के मध्य वितरित होगा:

सारणी 1

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों का अंश
आंध्र प्रदेश	4.305
अरुणाचल प्रदेश	1.370
असम	3.311
बिहार	9.665
छत्तीसगढ़	3.080
गोवा	0.378
गुजरात	3.084
हरियाणा	1.084
हिमाचल प्रदेश	0.713
जम्मू-कश्मीर	1.854
झारखंड	3.139
कर्नाटक	4.713
केरल	2.500
मध्य प्रदेश	7.548
महाराष्ट्र	5.521
मणिपुर	0.617
मेघालय	0.642
मिजोरम	0.460
नागालैंड	0.498
ओडिशा	4.642
पंजाब	1.577
राजस्थान	5.495
सिक्किम	0.367
तमिलनाडु	4.023
तेलंगाना	2.437
त्रिपुरा	0.642
उत्तर प्रदेश	17.959
उत्तराखंड	1.052
पश्चिमी बंगाल	7.324

(2) सेवाकर के शुद्ध आगम का बयालीस प्रतिशत, अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर होगा, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित है, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित रूप में राज्यों के मध्य वितरित होगा :

सारणी 2

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों का अंश
आंध्र प्रदेश	4.398
अरुणाचल प्रदेश	1.431
असम	3.371
बिहार	9.787
छत्तीसगढ़	3.166
गोवा	0.379
गुजरात	3.172
हरियाणा	1.091
हिमाचल प्रदेश	0.722
झारखंड	3.198
कर्नाटक	4.822
केरल	2.526
मध्य प्रदेश	7.727
महाराष्ट्र	5.674
मणिपुर	0.623
मेघालय	0.650
मिजोरम	0.464
नागालैंड	0.503
ओडिशा	4.744
पंजाब	1.589
राजस्थान	5.647
सिक्किम	0.369
तमिलनाडु	4.104
तेलंगाना	2.499
त्रिपुरा	0.648
उत्तर प्रदेश	18.205
उत्तराखंड	1.068
पश्चिमी बंगाल	7.423

परंतु जहां अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन किसी वर्ष में सेवा कर जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्गृहणीय हो जाता है प्रत्येक राज्य को जिसमें जम्मू-कश्मीर सम्मिलित हैं, वहां पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) के सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा।

- यदि 2015-2020 की अवधि के दौरान किसी वर्ष में, किसी राज्य में संघ के अधीन कोई कर उद्गृहीत नहीं है तो उक्त कर में उस राज्य का अंश शून्य होगा और संपूर्ण आगम आनुपातिक समायोजन द्वारा शेष राज्यों के मध्य वितरित होगा।
- संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 11 आदेश, 2010, 1 अप्रैल, 2015 से ही निरसित हो जाएगा।
- किसी राज्य को उसके हक से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां उसी या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में वसूलनीय होंगी।

प्रणव मुखर्जी,
राष्ट्रपति।

[फा.सं. 19(2)/15-वि.1]
डा. संजय सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2015

G.S.R. 446(E).— The following Order made by the President is published for general information:-**“C.O.267”****THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2015**

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Fourteenth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2015.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the service tax, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2015 but ending before the 1st day of April, 2020, shall be forty-two per cent. which shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	4.305
Arunachal Pradesh	1.370
Assam	3.311
Bihar	9.665
Chhattisgarh	3.080
Goa	0.378
Gujarat	3.084
Haryana	1.084
Himachal Pradesh	0.713
Jammu and Kashmir	1.854
Jharkhand	3.139
Karnataka	4.713
Kerala	2.500
Madhya Pradesh	7.548
Maharashtra	5.521
Manipur	0.617
Meghalaya	0.642
Mizoram	0.460
Nagaland	0.498
Odisha	4.642
Punjab	1.577
Rajasthan	5.495
Sikkim	0.367
Tamil Nadu	4.023
Telangana	2.437
Tripura	0.642
Uttar Pradesh	17.959
Uttarakhand	1.052
West Bengal	7.324

(2) The forty-two per cent. of the net proceeds of the service tax, being the tax referred to in clause (1) of the article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2015 but ending before the 1st day of April, 2020, shall be distributed among the States as follow:-

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	4.398
Arunachal Pradesh	1.431
Assam	3.371
Bihar	9.787
Chhattisgarh	3.166
Goa	0.379
Gujarat	3.172
Haryana	1.091
Himachal Pradesh	0.722
Jharkhand	3.198
Karnataka	4.822
Kerala	2.526
Madhya Pradesh	7.727
Maharashtra	5.674
Manipur	0.623
Meghalaya	0.650
Mizoram	0.464
Nagaland	0.503
Odisha	4.744
Punjab	1.589
Rajasthan	5.647
Sikkim	0.369
Tamil Nadu	4.104
Telangana	2.499
Tripura	0.648
Uttar Pradesh	18.205
Uttarakhand	1.068
West Bengal	7.423 :

Provided that where in any year the service tax under clause (1) of article 270 becomes leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the State of Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

4. If in any year during the period 2015-2020, a tax under Union is not leviable in a State, the share of that State in that tax shall be put to zero and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their shares.

5. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2010, shall, as from the 1st day of April, 2015, stand repealed.

6. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. 19(2)/15-L.I]
Dr.SANJAY SINGH,Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 879]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2016

सा.का.नि. 1167(अ)--राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 268”

संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016 है।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूरथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस संघ राज्यक्षेत्र में, जहां तक उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

अनुसूची

इरुलर (विल्ली और वेट्टेकारन् सहित)

प्रणब मुखर्जी,

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/2016-वि-I]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2016

G.S.R. 1167(E).—The following Order made by the President is published for general information:—**“C.O.268”****THE CONSTITUTION (PUDUCHERRY) SCHEDULED TRIBES ORDER, 2016**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Puducherry) Scheduled Tribes Order, 2016.
2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of Puducherry so far as regards members thereof resident in that Union territory.

THE SCHEDULE

Irular (including Villi and Vettaikaran)

PRANAB MUKHERJEE,

President.

[F.No.19(1)/2016-Leg.I]

DR.G. NARAYANA RAJU, Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939

No. 609]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 846(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“का.आ. 269”

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होगा।
- (3) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 5 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य की शक्तियां अतिक्रमण रहेंगी।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में,—

(I) भाग 11 से संबंधित उप पैरा (6) में,—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) अनुच्छेद 246 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“246क. (1) जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल को राज्य द्वारा उद्बुद्धित माल और सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां होंगी।

(1क) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी संघ द्वारा उद्बुद्धित माल और सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां होंगी।

(2) संसद् को माल और सेवा कर के संबंध में वहां विधि बनाने की अनन्य शक्ति है जहां माल या सेवा या दोनों की पूर्ति अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होती है।

(3) जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल को किन्हीं करों के अधिरोपण के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्तियां होंगी जैसा जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 5 द्वारा समर्थ बनाया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे।”।

(2) खंड (ग) में “किसी भी विषय के लिए” शब्दों से पूर्व “अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।”

(II) भाग 12 से संबंधित उप पैरा (7) में,—

(1) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(घ) अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, “तथा औषधियां और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) अनुच्छेद 269 के खंड (1) के उपखंड (छ) में, “अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य” शब्दों के स्थान पर “सिवाय जैसा कि अनुच्छेद 269क में उपबंधित है” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।”;

(च) अनुच्छेद 269 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“269क. अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण.—(1) भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में पूर्तियों पर माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण तथा ऐसे कर को संघ और राज्यों के बीच माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर संसद् द्वारा बनाई गई विधि में उपबंधित रीति के अनुसार प्रभाजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति समझा जाएगा।

(2) खंड (1) के अधीन राज्य को प्रभाजित रकम भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर के रूप में संग्रहित रकम का उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य द्वारा उद्ग्रहीत कर के संदाय के लिए किया जाता है, वहां ऐसी रकम भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी।

(4) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में पूर्तियों पर माल और सेवा कर के परिणामस्वरूप संघ द्वारा राज्यों को अंतरित रकम निम्नलिखित सकल राशि होगी, अर्थात् :—

(क) खंड (1) के अधीन राज्य को प्रभाजित रकम ;

(ख) खंड (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर के रूप में संग्रहित रकम, जिसका उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य द्वारा उद्ग्रहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है ;

(ग) अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य द्वारा उद्ग्रहीत कर के रूप में संग्रहित रकम, जिसका उपयोग खंड (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है ;

(घ) अनुच्छेद 270 के खंड (2) के अधीन राज्य को वितरित रकम।

(5) संसद, विधि द्वारा पूर्ति के स्थान और जब अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की जाती है, का अवधारण करने के लिए विधि द्वारा सिद्धांतों की विरचना कर सकेगी।”;

(छ) अनुच्छेद 270 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1क) के अधीन संघ द्वारा संग्रहीत कर को खंड (2) में उपबंधित रीति में संघ और राज्यों के बीच भी वितरित किया जाएगा।

“(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उदग्रहीत और संग्रहीत कर जिसका उपयोग संघ द्वारा अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन उदग्रहीत कर के संदाय के लिए किया गया है और रकम को अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित किया गया है, को खंड (2) में उपबंधित रीति में संघ और राज्यों के बीच भी वितरित किया जाएगा।”;

(ज) अनुच्छेद 271 में “उन अनुच्छेदों में” शब्दों के पश्चात् “सिवाय अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(झ) अनुच्छेद 279 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“279क. माल और सेवा कर परिषद्.—(1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगा।

(2) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) संघ का वित्त मंत्री — अध्यक्ष ;

(ख) संघ का भारसाधक राजस्व या वित्त राज्यमंत्री — सदस्य ;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री — सदस्य।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे।

(4) माल और सेवा कर परिषद्, निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी—

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उदग्रहीत कर, उपकर और अधिभार, जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जाएंगे ;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सकेंगी या जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी ;

(ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, उदग्रहण के सिद्धांत, अनुच्छेद 269क के अधीन अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में पूर्तियों पर उदग्रहीत माल और सेवा कर का प्रभाजन तथा वे सिद्धांत जो पूर्ति के स्थान को शासित करते हैं ;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी ;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं ;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें ;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध ; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्दृहीत किया जाएगा।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी।

(8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के अनुपालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी।

(9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा बैठक में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगी ; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर उस बैठक में डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगी।

(10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है।

(11) माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उद्भूत, निम्नलिखित के मध्य, किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी —

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्य ; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्य ; या

(ग) दो या अधिक राज्य के मध्य।”।

(12) जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों पर टकराव के किसी विनिश्चय के प्रयोजन के लिए, खंड (4) से खंड (11) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर परिषद् में जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि की सहमति आज्ञापक होगी और धारा 370 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(13) इस धारा की कोई बात किसी रीति में चाहे जो हो जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 5 द्वारा यथाप्रत्याभूत जम्मू-कश्मीर राज्य का विधायी सक्षमता किसी भी रीति से प्रभावित नहीं करेगी।”

(ज) अनुच्छेद 286 में,—

(1) खंड (1) में,—

(क) “माल के क्रय या विक्रय जहां ऐसा क्रय या विक्रय होता है” शब्दों के स्थान पर, “माल या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति जहां ऐसी पूर्ति होती है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ख) में “माल” दोनों स्थानों पर जहां वह आता है शब्द के स्थान पर, “माल या सेवा या दोनों” शब्द रखे जाएंगे;

(2) खंड (2) में “माल का क्रय या विक्रय” शब्दों के स्थान पर, “माल या सेवा या दोनों की पूर्ति” शब्द रखे जाएंगे;

(3) खंड (3) का लोप किया जाएगा।

(III) भाग 19 से संबंधित उप पैरा (14) में,—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक) अनुच्छेद 366 में,—

(i) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(12क) “माल और सेवा कर” से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहोली लिकर की पूर्ति पर कर के सिवाय माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर कोई कर अभिप्रेत है;’

(ii) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(26क) “सेवाओं” से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है ;

(26ख) “राज्य” के अंतर्गत अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में विधानमंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेत्र भी आता है ;’।

(IV) भाग 20 से संबंधित उप पैरा (15) में,—

खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(क) अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) में, “अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241” शब्दों या अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(कक) अनुच्छेद 368 के खंड (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि ऐसे किसी संशोधन का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तब तक प्रभाव नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।”।

(V) सातवीं अनुसूची के उप पैरा (22) में,—

(1) खंड (क) में उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(iii) प्रविष्टि 84 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क, अर्थात् :—

(क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम ;

(ख) उच्च गति डीजल ;

(ग) मोटर स्प्रीट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात) ;

(घ) प्राकृतिक गैस ;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन ; और

(च) तबाकू और तबाकू उत्पाद ;

(iii) प्रविष्टि 92 का लोप किया जाएगा ;”;

(VI) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 यथा आवश्यक उपांतरणों सहित राज्य को लागू होगा।

(VII) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 19 और धारा 20 निम्नलिखित रूप में लागू होगी :—

“19. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, माल या सेवा या दोनों के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी कर के उपबंध, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान के उपबंधों से असंगत हैं, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल द्वारा संशोधित या निरसित न कर दिए जाएं या संविधान लागू होना आदेश के प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

20. अनुच्छेद 370 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान लागू होना आदेश द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई (जिसके अंतर्गत इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व यथा विद्यमान संविधान के उपबंधों से संक्रमण के संबंध में कोई कठिनाई है) उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेंगे, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या विधि द्वारा यथा उपबंधित संविधान के किसी उपबंध का अनुकूलिकरण या उपांतरण है, जो राष्ट्रपति को कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी अनुमति की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।”

प्रणब मुखर्जी,

राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(3)/2017-वि. I]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

G.S.R. 846(E).—The following order made by the President is published for general information :—

“C.O. 269”

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force at once.

(3) Notwithstanding anything contained in this Order, the powers of the State of Jammu and Kashmir as per section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir, shall remain intact.

Short title,
extent and
commencement.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(I) in sub-paragraph (6), relating to Part XI,—

(1) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aa) after article 246, the following article shall be inserted, namely:—

“246A. (1) The Legislature of the State of Jammu and Kashmir shall have powers to make laws with respect to goods and services tax levied by the State.

(1A) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, the Parliament shall have power to make laws with respect to goods and services tax levied by the Union.

(2) Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.

(3) The Legislature of State of Jammu and Kashmir shall have exclusive powers to make laws in respect of imposition of any taxes as enabled by section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir.

Explanation.—The provisions of this article shall, in respect of goods and services tax referred to in clause (5) of article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Services Tax Council.’

(2) in clause (c), before the words “to any of the matters”, the words, figures and letter, “goods and service tax provided under article 246A or” shall be inserted;

(II) in sub-paragraph (7), relating to Part XII, —

(1) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(d) in article 268, in clause (1), the words “and such duties of excise on medicinal and toilet preparations” shall be omitted;

(e) in article 269, in clause (1), in sub-clause (g), after the words “inter-State trade or commerce”, the words, figures and letter “except as provided in article 269A” shall be inserted;’;

(f) after article 269, the following article shall be inserted, namely:—

“269A. **Levy and collection of goods and service tax in course of inter-State trade or commerce.**— (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council.

Explanation.—For the purposes of this clause, supply of goods, or of services, or both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods, or of services, or both in the course of inter-State trade or commerce.

(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(4) The amount transferred by the Union to the State consequent to goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be net of the following amounts, namely:—

(a) the amount apportioned under clause (1) to the State;

(b) the amount collected as tax levied under clause (1) used for the payment of the tax levied by the State under article 246A;

(c) the amount collected as tax levied by the State under article 246A used for the payment of tax levied under clause (1);

(d) the amount distributed to the State under clause (2) of article 270.

(5) Parliament may, by law, formulate the principles for determining the place of supply, and when a supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.”;

(g) in article 270, after clause (I), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(IA) The tax collected by the Union under clause (1A) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

(IB) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (I) of article 246A, and the amount apportioned to the Union under clause (I) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).”;

(h) in article 271, after the words, “in those articles”, the words, figures and letter “except the goods and services tax under article 246 A” shall be inserted;

(i) after article 279, the following article shall be inserted, namely:—

“279A. **Goods and Service Tax Council.**— (1) The President shall, within sixty days from the date of commencement of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, by Order, constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council.

(2) The Goods and Services Tax Council shall consist of the following Members, namely:—

(a) the Union Finance Minister.....Chairperson;

(b) the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance..... Member;

(c) the Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government.....Members.

(3) The Members of the Goods and Services Tax Council referred to in sub-clause (c) of clause (2) shall, as soon as may be, choose one amongst themselves to be the Vice-Chairperson of the Council for such period as they may decide.

(4) The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on—

(a) the taxes, cesses and surcharges levied by the Union, the States and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax;

(b) the goods and services that may be subjected to, or exempted from, the goods and services tax;

(c) model Goods and Services Tax Laws, principles of levy, apportionment of Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A and the principles that govern the place of supply;

(d) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax;

(e) the rates including floor rates with bands of goods and services tax;

(f) any special rate or rates for a specified period, to raise additional resources during any natural calamity or disaster;

(g) special provision with respect to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand; and

(h) any other matter relating to the goods and services tax, as the Council may decide.

(5) The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.

(6) While discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services.

(7) One-half of the total number of Members of the Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at its meetings.

(8) The Goods and Services Tax Council shall determine the procedure in the performance of its functions.

(9) Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely:—

(a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one third of the total votes cast; and

(b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast, in that meeting.

(10) No act or proceedings of the Goods and Services Tax Council shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in, the constitution of the Council; or

(b) any defect in the appointment of a person as a Member of the Council; or

(c) any procedural irregularity of the Council not affecting the merits of the case.

(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute —

(a) between the Government of India and one or more States; or

(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or

(c) between two or more States,

arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.

(12) Notwithstanding anything contained in clause (4) to clause (11), for the purpose of any decision impinging on the constitutional provisions relating to the State of Jammu and Kashmir, the concurrence of the representative of the State of Jammu and Kashmir in the Goods and Service Tax Council shall be mandatory and the procedure provided under article 370 shall be followed.

(13) Nothing in this article shall affect in any manner whatsoever the legislative competence of State of Jammu and Kashmir as guaranteed by virtue of section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir.”

(j) in article 286,—

(I) in clause (I),—

(A) for the words “the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place”, the words “the supply of goods or of services or both, where such supply takes place” shall be substituted;

(B) in sub-clause (b), for the word “goods”, at both the places where it occurs, the words “goods or services or both” shall be substituted;

(2) in clause (2), for the words “sale or purchase of goods takes place”, the words “supply of goods or of services or both” shall be substituted;

(3) clause (3) shall be omitted;

(III) in sub-paragraph (14), relating to Part XIX,—

(1) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(aa) in article 366,—

(i) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(12A) “goods and services tax” means any tax on supply of goods, or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption;’;

(ii) after clause (26), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(26A) “Services” means anything other than goods;

(26B) “State” with reference to articles 246A, 268, 269, 269A and article 279A includes a Union territory with Legislature;’;

(IV) in sub-paragraph (15), relating to Part XX, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

‘(a) in article 368, in clause (2), in the proviso, in clause (a), for the words and figures “article 162 or article 241”, the words, figures and letter “article 162, article 241 or article 279A” shall be substituted;

(aa) to clause (2) of article 368, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370”.’;

(V) in sub-paragraph (22), relating to Seventh Schedule,—

(1) clause (a) after sub-clause (iii) the following clauses shall be inserted, namely:—

(iia) for entry 84, the following entry shall be substituted, namely:—

“84. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in India, namely:—

(a) petroleum crude;

(b) high speed diesel;

(c) motor spirit (commonly known as petrol);

(d) natural gas;

(e) aviation turbine fuel; and

(f) tobacco and tobacco products;”;

(iib) entry 92 shall be omitted;

(VI) section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 shall, *mutatis mutandis*, apply to the State.

(VII) sections 19 and 20 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 shall apply in the following form, namely:—

“19. Notwithstanding anything in this Act, any provision of any law relating to tax on goods or services or on both in force in the State of Jammu and Kashmir immediately before the commencement of this Act, which is inconsistent with the provisions of the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir, shall continue to be in force until amended or repealed by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir or until expiration of one year from the commencement of this Constitution Application Order, whichever is earlier.

20. Subject to the provisions of article 370, if any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Constitution as amended by this Constitution Application Order (including any difficulty in relation to the transition from the provisions of the Constitution as they stood immediately before the date of issuance of this Order), the President may, by Order, make such provisions, including any adaptation or modification of any provision of the Constitution as amended by this Act or law, as appear to the President to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such Order shall be made after the expiry of three years from the date of such assent.”.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. 10(3)/2017-Leg. I]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940

No. 325]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूमबर, सराडा, खेरवाडा, ऋषभदेव तथा गोगून्दा तहसील ।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

- (I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोडों का गुढा, बान्दरवाडा, घोडान कलां, घोडान खुर्द और कायलों का गुढा ग्राम,
- (II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, झालों का गुढा तथा मुणवास ग्राम,
- (III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढा तथा सारे ग्राम,
- (IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढा तथा प्रतापपुरा ग्राम,
- (V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली तथा बड़ा ग्राम,
- (VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,
- (VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उबेश्वरजी, धार, बडंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

- (I) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोवा ग्राम,
- (II) धावडिया ग्राम पंचायत के धावडिया, खेड़ाफला, नागलिया, रानी डूंगला और राणिया ग्राम,
- (III) भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के भोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,
- (IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम ।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

- (i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढा और बारां ग्राम,

- (ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावदा ग्राम,
- (iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोदार ग्राम,
- (iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाडिया ग्राम,
- (v) बरदड़ा ग्राम पंचायत के बरदड़ा, उदावड़, कलथाना और कोटड़ा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढा, गामेठों का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुंजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुढा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम ।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,
- (ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावडिया ग्राम,
- (ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टेगडियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,
- (घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, ठीकडिया खेड़ी, पूजां का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,
- (ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूण्डी, गढ़ बोरूण्डी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदड़ा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,
- (ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोतीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,
- (ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,
- (घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,
- (ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरडी ग्राम,
- (च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,
- (छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

- (ज) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,
 (झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

(क) आबूरोड़ तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, साबेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,
 (ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,
 (iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,
 (iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गड़िया और पहाड़ कलां ग्राम,
 (v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,
 (vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,
 (vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,
 (viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,
 (ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,
 (x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,
 (xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,
 (xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,
 (xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,
 (xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,
 राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]

डॉ.रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2018

G.S.R. 466(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O.270"**THE SCHEDULED AREAS (STATE OF RAJASTHAN) ORDER, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 1981, and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely: —

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 2018.
- (2) It shall come into force at once.
2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Rajasthan:—
 - (1) Banswara district.
 - (2) Dungarpur district.
 - (3) Pratapgarh district.
 - (4) The following in Udaipur district:
 - (a) Tehsils of Kotra, Jhadol (erstwhile Phalasia), Lasadia, Salumbar, Sarada, Kherwara, Rishabhdeo and Gogunda;
 - (b) the following in Girwa tehsil:
 - (i) Girwa block,
 - (ii) the following villages of the gram panchayats of block Bargaon as mentioned below: —
 - (I) Madar, Brahmanon Ki Hunder, Rathoron Ka Gurha, Bandarwara, Ghodan Kalan, Ghoran Khurd and Kaylon Ka Gurha villages of Madar gram panchayat,
 - (II) Kailashpuri, Raya, Karawari, Mathatha, Nagda, Jhalon Ka Gurha and Munwas villages of Kailashpuri gram panchayat,
 - (III) Cheerwa, Mohanpura, Shivpuri, Karelton Ka Gurha and Sare villages of Cheerwa gram panchayat,
 - (IV) Amberi, Bheelon Ka Bedla, Oton Ka Gurha and Pratappura villages of Amberi gram panchayat,
 - (V) Dheekli and Bada villages of Dheekli gram panchayat,
 - (VI) Kavita, Barodiya, Ghasiyar and Dangiyon Ka Hundar villages of Kavita gram panchayat,

- (VII) Gehlton Ka Was, Beeyal, Kundal Ubeshwarji, Dhar, Badanga and Banadiya villages of Dhar gram panchayat;
- (c) the Nauwa, Khadra, Raiji Ka Gurha and Maruwas villages of the Nauwa gram panchayat of Mavli tehsil;
- (d) the following villages of the gram panchayats of Vallabhnagar tehsil as mentioned below:—
- (I) Mal Ki Toos, Gowala, Phalet, Tank and Brahmanon Ka Roba villages of Mal Ki Toos gram panchayat,
 - (II) Dhawariya, Kheraphala, Nagaliya, Rani Doongla and Raniya villages of Dhawariya gram panchayat,
 - (III) Bhopa Khera, Beripura, Hamerpura, Phoosariya and Rayla villages of Bhopa Khera gram panchayat,
 - (IV) Kundai, Bhamela, Gotipa, Kankariyon Ka Khera, Naharpura *alias* Narpura, Padma Khera and Sangrampura villages of Kundai gram panchayat.
- (5) The following in Rajsamand district:
- (a) the following villages of the gram panchayats of Kumbhalgarh tehsil as mentioned below:
 - (i) Antri, Sandookon Ka Gurha and Baran villages of Antri gram panchayat,
 - (ii) Kucholi, Keshar and Bawada villages of Kucholi gram panchayat,
 - (iii) Ora, Dowas and Kodar villages of Ora gram panchayat,
 - (iv) Peepana, Jetaran and Delwariya villages of Peepana gram panchayat,
 - (v) Bardara, Udawar, Kalthana and Kotra villages of Bardara gram panchayat;
 - (b) the following villages of Kaliwas gram panchayat of Nathdwara tehsil, namely, Kaliwas, Barwa, Barwaliya, Beran, Kamli Ka Gurha, Gamethon Ka Nohara, Damawari, Kolar, Munjela, Leelera, Rainiya, Shyamji Ka Gurha, Siyol, Songariya and Tantela.
- (6) The following villages of the gram panchayats of Bari Sadri tehsil in Chittorgarh district as mentioned below:
- (a) Afron Ka Talab, Linkoda, Sultanpura, Borkhera, Semal Khera, Rughnathpura, Keetkhera, Rati Talai, Rati Chandji Ka Khera, Chandpura, Sabalpura and Gundal Pur villages of Rati Chandji Ka Khera gram panchayat,
 - (b) Ameerama, Manpura, Parbati, Roop Pura and Maraodiya villages of Ameerama gram panchayat,
 - (c) Kewalpura (A), Kewalpura Jageer, Rawatpura, Shiv Pura, Tegariyo Ka Phala, Naya Khera, Rani Malya, Kali Bheet, Lachhmipura, Haripura, Shyampura, Jooni Barwal, Kalyanpura and Kewalpura (B) villages of Kewalpura gram panchayat,

- (d) Moonjwa, Jaisinghpura, Eklinghpura, Matamagari, Dheekriya Kheri, Pujan Ka Phalian, Payri, Kesharpura, Khankhariya Kheri, Lalpura, Kala Khet and Deepon Ka Talab villages of Moonjwa gram panchayat,
- (e) Parsoli, Borundi, Garh Borundi, Sangrampura, Rathoron Ka Khera, Kheri Kalan, Kheri Khurd and Sukhpura villages of Parsoli gram panchayat.
- (7) The following villages of the gram panchayats of Bali tehsil in Pali district as mentioned below:
- (a) Amliya, Kagdara, Thandi Beri, Laxman Pura Jod and Bothara villages of Amliya gram panchayat,
- (b) Kooran, Khetralli, Kolwara, Kotiwada, Kooran Khadra and Khetralli Khada villages of Kooran gram panchayat,
- (c) Goriya and Korwa villages of Goriya gram panchayat,
- (d) Bheemana, Upla Bheemana, Tani, Urana and Nadiya villages of Bheemana gram panchayat,
- (e) Kakradi, Aradwan, Danverli, Sambharwara and Berdi villages of Kakradi gram panchayat,
- (f) Malnoo, Heerola and Lalpura villages of Malnoo gram panchayat,
- (g) Peepla village of Peepla gram panchayat,
- (h) Lundara, Chimanpura and Maldar villages of Lundara gram panchayat,
- (i) Koyalavao, Chingta Bhata and Chopa Ki Nal villages of Koyalavao gram panchayat.
- (8) The following in Sirohi district:
- (a) Aburoad tehsil;
- (b) the following villages of the gram panchayats of Pindwara tehsil as mentioned below:
- (i) Varli, Kundal, Sabela, Vagdari, Dhanga, Kalumbari and Pindwara (Rural) villages of Varli gram panchayat,
- (ii) Moras, Cheeniya Band and Bhadaveri villages of Moras gram panchayat,
- (iii) Amlia, Thandi Beri, Sadalwa and Malap villages of Amlia gram panchayat,
- (iv) Gharat, Malera, Navawas, Gadiya and Pahar Kalan villages of Gharat gram panchayat,
- (v) Lotana, Apri Khera and Kalabor villages of Lotana gram panchayat,
- (vi) Mandwara Khalsa, Khokhri Khera and Varki Khera villages of Mandwara Khalsa gram panchayat,
- (vii) Sanwara, Sada Phali, Navawas Dev, Navawas Khalsa and Semli villages of Sanwara gram panchayat,

- (viii) Isra, Ker, Ubera and Churli Khera villages of Isra gram panchayat,
- (ix) Waloriya village of Waloriya gram panchayat,
- (x) Mandwara Deo, Peetari Padar, Kedar Padar and Bor Umri villages of Mandwara Deo gram panchayat,
- (xi) Bhoola village of Bhoola gram panchayat,
- (xii) Achpura, Kaseenda, Nagpura, Panch Dewal, Block No. 2 and Kotra villages of Achpura gram panchayat,
- (xiii) Basant Garh village of Basant Garh gram panchayat,
- (xiv) Siwera, Rajpura, Keshavganj and Darla Padar villages of Siwera gram panchayat.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

RAM NATH KOVIND,
President.

[F. No. 1(31)/2017-Leg. I]
Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 155]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 175(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 271

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2019

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **पैरा 2 का संशोधन.**—संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 के आरंभिक भाग में, "और संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988, संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (एक सौ तीनों संशोधन) अधिनियम, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

राम नाथ कोविंद,

राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(1)/2019-वि.1]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 175(E).—The following Order made by the President is published for general information :—**“C.O.271****THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 2019**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President with the concurrence of the Government of State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of paragraph 2.—In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in the opening portion, for the words, brackets and figures “and the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988”, the words, brackets and figures “the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988, the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995 and the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019” shall be substituted.

C.O. 48.

RAMNATH KOVIND
PRESIDENT.”

[F. No. 19(1)/2019-Leg.1]
Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941

No. 444]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

सा. का. नि. 551(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019

सी. ओ. 272

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 का अधिक्रमण करेगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे वे निम्न प्रकार होंगे:—

अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है, के प्रयोजनों के लिए—

(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा;

(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रि परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा।

(ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा; तथा

(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में “खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा” अभिव्यक्ति को “राज्य की विधान सभा” पढ़ा जाएगा।”

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा.सं. 19(2)/2019-विधायी 1]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2019

G.S.R .551(E).— the following Order made by the President is published for general information:-

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER, 2019

C.O. 272

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019.

(2) It shall come into force at once, and shall thereupon supersede the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 as amended from time to time.

2. All the provisions of the Constitution, as amended from time to time, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir and the exceptions and modifications subject to which they shall so apply shall be as follows:—

To article 367, there shall be added the following clause, namely:—

“(4) For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the State of Jammu and Kashmir—

(a) references to this Constitution or to the provisions thereof shall be construed as references to the Constitution or the provisions thereof as applied in relation to the said State;

(b) references to the person for the time being recognized by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office, shall be construed as references to the Governor of Jammu and Kashmir;

(c) references to the Government of the said State shall be construed as including references to the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of his Council of Ministers; and

(d) in proviso to clause (3) of article 370 of this Constitution, the expression “Constituent Assembly of the State referred to in clause (2)” shall read “Legislative Assembly of the State”.”

RAM NATH KOVIND,
President.

[F. No. 19(2)/2019-Leg.1]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रावण 15, 1941

No. 453]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 562(अ).—राष्ट्रपति द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है :—

संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा

“सं. आ. 273”

राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त, 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए के अनुसार हैं, प्रचालन में नहीं रहेंगे, अर्थात् :—

“370. इस संविधान के समय-समय पर यथा-संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य लिखित, संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा परिकल्पित या अन्यथा है, में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होंगे।”

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(3)/2019-वि. 1]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2019

G.S.R . 562(E).— The following Declaration made by the President is notified for general information:—**DECLARATION UNDER ARTICLE 370(3) OF THE CONSTITUTION****"C.O. 273"**

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 370 read with clause (1) of article 370 of the Constitution of India, the President, on the recommendation of Parliament, is pleased to declare that, as from the 6th August, 2019, all clauses of the said article 370 shall cease to be operative except the following which shall read as under, namely :—

"370. All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in article 152 or article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgement, ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under article 363 or otherwise."

RAM NATH KOVIND,

President.

[F. No. 19(3)/2019-Leg. 1]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.